लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में ये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 4—शुक्रवार 4 नवम्बर, 1966/13 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 4.—*Friday, November 4, 1966/Kartika 13, 1888 (Saka)*

विषय SUBJECT पृष्ठ/PAGES

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र०सं० S. Q. Nos.		
94.	अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम — Prices of Essential Commodities	397–402
95.	कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से ऊन — Wool from Australia under Colombo Plan	402–404
96.	कपड़े का मूल्य — Prices of cloth	405–408
97.	कनाडा से अखबारी कागज का आयात — Import of Newsprint from Canada	409–412
98.	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में भू-भौतिक हवाई शाखा — Airborne Geophysical Wing for G.S.I.	413
102.	हवाई भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिए अमरीकी सहायता — American Aid for Aerial Geological Survey	413–416
99.	पाकिस्तान द्वारा माल जब्त किया जाना — Seizure of Goods by Pakistan	416–41

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
93	नये उत्पादों का निर्यात — Exports of new products	419
100.	बंगलौर स्थित नई गवर्नमेंट इलैक्ट्रिकल फैक्टरी — New Government Electrical Factory at Bangalore	420
101	स्कूटरों का निर्माण — Manufacture of Scooters	420–421
103	हवाई भूतत्वीय सवक्षण के लिए अमरीकी सहायता — India Electric Works Ltd. Calcutta	421
104.	मैटल कार्पोरेशन आफ इंडिया — Metal Corporation of India	421-22
105.	इस्पात जांच समिति — Steel Enquiry Body	422
106.	कच्चे माल के भण्डार (बैंक) — Raw Material Bank	423
107.	चाय का निर्यात — Export of Tea	423–424

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इह बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was acqtually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
108. रेलवे स्टेशनों पर कैन्टीनों और जलपान गृहों के ठेकों का हस्तांतरण	Transfer of Contracts of Canteens and Restaurants at Railway Stations . .	424
109. 650 अश्व शक्ति वाले डीजल इंजन	650 H.P. Diesel Locomotives	424-425
110 उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में राक फास्फेट के निक्षेप	Rock Phosphate Deposits in U. P. and Rajasthan	425
111. रेलवे गार्ड, स्टेशन मास्टर तथा असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर	Railway Guards, S. Ms. and A. S. Ms.	425
112. कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills . .	426
113. बिहार में रेलवे लोक सेवा आयोग	Railway Public Service Commission in Bihar	427
114. निर्यात	Exports	427-28
115. रेलवे स्टेशनों पर हिंसात्मक तथा विनाशकारी कार्यवाहियां	Violence and Vandalism at Railway Stations	428
116. उपभोक्ता वस्तु उद्योग	Consumer Industries	428-29
117. बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर दुर्घटना	Accident at Bombay V.T. .	429
118. नेपाल को बिस्कुटों का निर्यात	Export of Biscuits to Nepal	429-30
119. इस्पात उत्पादों के निर्यात के लिये राज सहायता	Subsidy to Export of Steel Items	430
120. रूरकेला में निर्मित लोहे की पाइपों का निर्यात	Export of Rourkela Iron Pipes .	431
अ० प्र० संख्या U. S. Nos.		
429. हथकरघा उद्योग	Handloom Industry	431-32
430. औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates	432
432. दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाना	Durgapur Alloy Steel Plant . .	432
433. ऊनी माल के दामों में वृद्धि	Increase in Prices of Woollens . . .	433
434. ऊनी माल के मूल्य	Prices of Woollen Goods	433

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अ० प्र० संख्या U.S. Nos.		
436. मद्रास में अपरिष्कृत काफी की कमी	Scarcity of Raw Coffee in Madras . . .	434
437. तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of Processed Food . . .	434-435
438. दिल्ली में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in Delhi . . .	435
439. बेलापु के कारखाने से रेलवे के सामान की बरामदगी	Recovery of Railway Materials from Factory at Belapur	435
440. आयातित माल के दाम	Prices of Imported Goods . . .	436-437
441. उद्योगों में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Industry . .	437
443. औषधियों का एकस्व अधिकार	Patent Right in Medicines. . . .	438
444. उत्तर प्रदेश में केबल फैक्टरी	Cable Factory in U.P.	438-439
445. बरेली के निकट मालगाड़ी को लूटने का प्रयास	Attempt to Loot Goods Train near Bareilly	439
447. शाहदरा रेलवे स्टेशन के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Shahdara Railway Station .	439-440
448. चमड़े का सामान बनाने का उद्योग	Leather Goods Industry . .	440
449. बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel . . .	440-441
450. पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Plant	441
451. एशियाई साझा बाजार	Asian Common Market	441-442
452. तिरुनेलवेल्ली कन्याकुमारी त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन	Tirunelveli Kanyakumari Trivandrum Railway Line	442
453. उपभोक्ता वस्तु निगम	Consumer Commodity Corporation . .	442
454. अन्त र्राष्ट्रीय मेले तथा प्रदर्शनियां	International Fairs and Exhibitions . .	442-443
455. पन्ना में हीरे की खानें	Diamond Mines at Panna . . .	443-444
456. जूट की वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods . .	444
457. दुर्गापुर में धमन भट्टी का बन्द होना	Closure of Blast Furnace at Durgapur .	444-445

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० प्र० संख्या U. S. Nos.		
458. रेलवे विद्युतीकरण परियोजना से सम्बन्धित कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers from Railway Electrification	445
459. रेलवे दुर्घटनायें	Railway Accidents	446
460. माधोपुर स्टेशन पर तेल के डिब्बों में आग लग जाने की घटना	Fire in Oil Wagons at Madhopur Station .	446–47
461. चाय बागान	Tea Plantations . . .	447
462. बिजौरिया स्टेशन पर हमला	Raid on Bijauria Station	447
463. सामान्य उत्पादन योजना	Common Production Plan . . .	448
464. दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant	448
465. इस्पात पिंड तथा तैयार इस्पात	Steel Ingots and Finished Steel .	448
466. इस्पात मिलों के लिये नमक का तेजाब	Hydrochloric Acid for Steel Mills .	449
467. अलाभप्रद रेलवे लाइनों का बन्द किया जाना	Closing Down of Unremunerative Railway Lines	449
468 इस्पात की पटरियों (रेल्स) का आयात	Import of Steel Rails	449–450
469. रामगढ़ ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना	Ramgarh Open Cast Mining Project .	450
470. निर्यात संबर्धन योजना	Export Promotion Scheme . .	450–451
471. निर्यात आयात सलाहकार परिषद्	Export Import Advisory Council . .	451-452
472. उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa . . .	452
473. व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	United Nations Conference on Trade and Development	452–453
474. चौथी पचवर्षीय योजना में इस्पात परियोजनाएं	Fourth Plan Steel Projects . . .	453–454
475. राज्य खान मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Mining Ministers .	454–455

अ० प्र० संख्या
U. S. Nos.

476. रेलवे यात्रियों के लिये बीमा योजना — Insurance Scheme for Railway Passengers — 455

477. बड़ी लाइन पर भाप से चलने वाले रेलवे इंजन — B.G. Steam Locomotives — 455-56

478. बल्गेरिया को ट्रकों का निर्यात — Export of Trucks to Bulgaria — 457

479. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल यूनिट — Bharat Heavy Electrical Unit . — 457

480. इस्पात की उत्पादन लागत सबंधी समिति — Committee on cost of Steel Production — 457

481. काफी के कच्चे बीजों की काला बाजार में बिक्री — Black marketing in the sale of Raw Coffee Seeds — 458

482. खुले माल डिब्बों में सीमेंट का भेजा जाना — Despatch of cement in open wagons . — 459

483. अमृतसर की ऊनी कपड़ा मिलें — Woollen Textile Mills in Amritsar . . — 459

484. छोटी कार — Small Car . . — 460

485. इन्डोनेशिया के साथ व्यापार — Trade with Indonesia . — 460-461

486. रेल गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि — Increase in speed of trains. . . — 461-62

487. भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी — Employees of Geological Survey of India . — 462

488. दिल्ली क्षेत्र में बड़े स्टेशन को छोड़कर सीधी गुजरने वाली रेलवे लाइने (रेलवे अवोयडिंग लाइन्स) — Railway avoiding lines in Delhi area . — 462-463

489. डाली राजहारा दांतेवाला रेलवे परियोजना — Dhalli Rajhara Dhantewara Railway Project. — 463

490. देसी इस्पात के वितरण के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन — Study Team Report on Distribution of Indigenous Steel . . . . . — 463

491. इस्पात का निर्यात — Steel Exports . . . . . — 463-464

492. हसन मंगलौर रेलवे लाइन — Hassan Mangalore Railway Line . . — 464

493. तिपतूर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल — Over Bridge at Tiptur Railway Station . — 464

अ०प्र०संख्या U.S.Nos.			
494.	द्रोणमलाई लौह अयस्क खानें	Donamalai Iron Ore Mines . .	465
495.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	National Mineral Development Corporation	465
496.	आयात तथा निर्यात लाइसेंस	Import and Export Licences . . .	465–466
499.	पश्चिम बंगाल में और शिवपुर स्टेशन पर एक रेलगाड़ी पर हमला	Attack on a train at Vir Shivpur Station in West Bengal	466–467
500.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये पुनर्विलोकन समिति	Defects in Durgapur Steel Plant . .	467
501.	लीपजिग मेला	Leipzig Fair	467
503.	कपड़ा आयुक्त का संगठन	Textile Commissioner's Organisation	468-469
504.	बोकारो परियोजना क्षेत्र से विस्थापित परिवार	Displaced Families from Bokaro Project Area	469
505.	सच्चा व्यापार संहिता	Code of Fair Trade Practices . . .	470
506.	गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अलौह धातुओं का निकालना	Private Exploitation of Non-Ferrous Metals	470–471
507.	खोपरे तेल और चिकनाई का आयात	Import of Copra, Oil and Fat . . .	471
508.	केरल में नारियल का तेल निकालने वाले मिल मालिक	Coconut Millers in Kerala. . .	471–472
509.	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production . . .	472
510.	बोकारो इस्पात परियोजना	Bakaro Steel Project . .	473
511.	मैंगनीज अयस्क और कोयले का निर्यात	Export of Manganese Ore and Coal . .	473
512.	गुजरात में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant in Gujarat	474–475
513.	निर्यात	Exports	475
514.	सेलम में इस्पात का कारखाना	Steel Plant at Salem . . .	475–476
515.	आयात लाइसेंस	Import Licences . . .	476
516.	आसाम में सोने के अंश वाली चट्टान	Gold Bearing Rocks in Assam .	476
517.	ग्वालपाडा में लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposits in Goalpara .	476

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० प्र० संख्या U. S. Nos.		
518. कारों तथा स्कूटरों के मूल्य	Prices of Cars and Scooters . . .	477
519. निर्यात पर राजसहायता	Subsidy on Export	477
520. सीमेन्ट की कमी	Shortage of Cement	477–478
521. राक फास्फेट के खनन के लिये फ्रांसीसी सहयोग	French Collaboration for Rockphosphate Mining	478–479
522. रूटाइल की मांग	Requirement of Rutile	479
523. लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय	Iron and Steel Controller s Office	480
524. भद्रावती में अच्छे किस्म के इस्पात का उत्पादन	Production of high Grade Steel at Bhadravathi	480–481
525. जलगांव और पचीरा स्टेशनों के बीच रेल का पटरी से उतर जाना	Derailment between Jalgaon and Panchora Stations.	481
526. आयात लाइसेंसों सम्बन्धी गिरोह	Import Licences Racket	481
527. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का पिंजौर स्थित कारखाना	Pinjore Unit of H.M.T. . . .	482
528. नये क्षेत्रों में कोयला निकालना	Coal Mining in New Areas . . .	482
529. कारों का निर्माण	Manufacture of Cars	482–483
530. मद्रास अरकोनम और मद्रास जिवयवाड़ा सैक्शनों का विद्युतीकरण	Electrification of Madras Arkonam and Madras Vijayawads Sections . . .	483
531. सदर्न एक्सप्रेस और ए० सी० डीलक्स गाड़ियां	Southern Express and A.C. Deluxe Trains	483–484
532. ओखला औद्योगिक बस्ती	Okhla Industrial Estate	484
533. रूस में निर्मित ट्रैक्टर	Russian Tractors	484–485
535. रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike of Railway Electrification Workers .	485
536. माल डिब्बों की कमी	Shortage of Wagons	485–486
537. खोपरा का आयात	Import of Copra	486
538. महाराष्ट्र में कताई तथा बुनाई मिलें	Cotton Mills in Maharashtra . . .	486–487

प्र० प्र० संख्या U. S. Nos.		
539. इडाकरू (कोजीकोड जिला) में लोह अयस्क का खनन	Iron Ore Mining at Edakkru (Kozhikode District)	487–488
540. लाल मिर्च का निर्यात	Export of Chillies	488
541. रेलवे द्वारा माल की बुकिंग	Goods Booked by Railways	488
542. जूतों का निर्यात	Export of Footwear	489
543. केलों का निर्यात	Export of Bananas	489 490
544. नमक का निर्यात	Export of Salt	490
545. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों का निर्यात	Export of H.M.T. Watches	491
546. विदेशों में भारतीय लौह अयस्क का मूल्य	Price of Indian Iron Ore in Foreign Countries	491–492
547. भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सन्थानम समिति	Santhanam Committee on Prevention of Corruption	492
548. इलायची	Cardamom	492–493
549. इन्टीग्रल कोच फैक्टरी पेराम्बूर	Integral Coach Factory, Perambur	493
550. बिहार में राखा तांबा परियोजना	Rakha Copper Project in Bihar	493–494
551. अमरीका से रेल की पटरियों का आयात	Import of Rails from U.S.A.	494
552. पटसन के मूल्य	Jute Prices	494
553. अनियत श्रमिक	Casual Labourers	495
554. चाय परिष्करण एकक	Tea Processing Units	495
555. दिल्ली नगर निगम को सीटमेंट की कम सप्लाई	Short Supply of Cement to Delhi Municipal Corporation	495–496
556. हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Hindi Knowing Staff	496
557. हिन्दी में पत्र व्यवहार	Correspondence in Hindi	496
558. कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices	497
559. आयात तथा निर्यात नियमों का हिन्दी अनुवाद	Hindi Translation of Rules of Imports and Exports	497

अ० प्र० संख्या
U. S. Nos.

560.	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये मशीनें	Machinery for Bokaro Steel Plant	497-498
562.	राजस्थान में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Rajasthan	498
563.	जापान को पटरियों का सम्भरण	Supply of Rails to Japan	498
564.	उडीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa	498-499
565.	वर्क-मिस्त्रियों की छंटनी	Retrenchment of Work Mistries	499
566.	रेलवे परिवार दस्तकारी केन्द्र, आलमबाग	Railway Families Handicrafts Centre, Alambagh	499-500
567.		Railway Uniforms	500
568.	रेलवे परिवार दस्तकारी केन्द्र, आलमबाग	Railway Families Handicrafts Centre, Alambagh	500-501
569.	गांधी आश्रम	Gandhi Ashram	501
570.	इस्पात का निर्यात	Export of Steel	501-502
571.	दिल्ली से नंगल बांध तक सीधी रेलगाड़ी	Direct Train from Delhi to Nangal Dam	
572.	कीरतपुर साहिब स्टेशन पर माल का नष्ट होना	Destruction of Goods at Kirat Pur Sahib Station	502-503
573.	लघु उद्योग	Small Scale Industries	503
575.	हैवी इलैक्ट्रिल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	503-504
577.	गोमांस का निर्यात	Export of Beef	504
578.	दक्षिण मध्य रेलवे खण्ड (जोन)	South Central Railway Zone	504
579.	रेलवे अधिकारयों के वेतन में वृद्धि	Increase in Salary of Railway Officers	504
580.	कोयले का मूल्य	Coal Prices	505
581.	कांगड़ा में छोटे पैमाने का चाय उद्योग	Small Scale Tea Industry in Kangra	505
582.	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production	505
583.	चाय का निर्यात	Export of Tea	506

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGE
अ०प्र० संख्या U. S. Nos.		
584. गार्ड के कमरे से चावल और गेहूं की बरामदगी	Recovery of rice and wheat from Guard's Cabin	506
585. मैसर्स नानक चन्द शादीराम की फर्म	The Firm of M/s Nanakchand Shadiram	506–507
586. रेलवे वर्कशापों/रेल इंजन शेडों में फोरमैन तथा चार्जमैन	Foremen and Chargemen in the Railway W2rkshop/Loco Sheds . . .	507
587. रेलवे फोरमैनों तथा चार्जमैनों के वेतनक्रम	Grades of Pay of Railway Foremen and Chargemen	507–508
588. चार्जमैनों को प्रतिकर	Compensation to Chargemen . .	508
589. तालचेर औद्योगिक उद्योग समूह परियोजना	Talcher Industrial Complex Project .	508–509
590. पारादीप पत्तन तक रेलवे लाइन	Railway line to Paradeep Port	509
591. केरल में चीनी मिट्टी	China Clay in Kerala .	509-510
592. यमुना नदी के पुल पर पुन: गर्डर डालना	Regirdering of Bridge over River Jamuna .	510
593. विदेशों में रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण	Training of Railway Officials Abroad	510
594. कपड़ा उद्योग द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Spent by Textile Industry	510–511
595. कांगड़ा घाटी रेलवे सैक्शन पर माल डिब्बों और इंजनों की कमी	Shortage of Wagons and Locomotives on the Kangra Valley Railway Section .	511
597. पश्चिमी बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in West Bengal .	512
598. रिशड़ा स्टेशन का पश्चिम कैबिन	West Cabin of Rishra Station . . .	512-513
599. भारत सरकार के उत्पादन केन्द्र	Govt. of India Production Centres .	513
600. हैलक तथा भरतपुर के बीच गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment between Helak and Bharatpur .	513

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० प्र० संख्या U. S. Nos.		
601. गुजरात में कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Gujarat . .	514
602. मखमली कालीन बनाने के कारखाने	Tufted Carpet Plants	515
603. रेलवे के मलेरिया इन्सपैक्टर	Malaria Inspectors on Railways . . .	515
604. मैसूर राज्य में रेलवे के निर्माण कार्य	Railway Works in Mysore State . .	516
605. मैसूर और मिनर्वा मिल्स	Mysore and Minerva Mills . . .	516–17
606. छात्रों के आन्दोलन के कारण रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि	Damage to Raiway Property due to Students Agitation	517
607. मद्रास रामेश्वरम एक्सप्रैस रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Madras Rameshwaram Express	517–18
608. देवरिया सदर स्टेशन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Deoria Sadar Station . .	518
609. कपड़ा एकक	Textile Units	518
610. धनु कोडि रेल दुर्घटना	Dhanushkodi Train Disaster .	518–19
611. मिराज के निकट रेल दुर्घटना	Accident near Miraj	519
612. बंगलौर नगर रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जाना	Remodelling of Bangalore City Railway Station	519–20
613. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के पहाड़ी क्षेत्र में रेल गाड़ियों का पटरी से उतर जाना	Derailment in the Hill Section of N.E.F. Railway	520
614. कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति	Coal Price Revision Committee .	521
615. पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे क्षेत्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति	North East Frontier Railway Zonal Users' Consultative Committee	521
616. उत्तर रेलवे के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer Class II and IV Staff of Northern Railway	521–22

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अ० प्र० संख्या U. S. Nos.		
617. महाराष्ट्र में लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant in Maharashtra . . .	522
618. ब्लेड बनाने के कारखाने	Blade Factories	522–23
619. उद्योगों के लिये लाइसेंस देना	Licensing of Industries	523
620. स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट मास्टरों का नियमानुसार कार्य करने का निर्णय	Work to Rule Decision by S.Ms. and A.S.Ms.	523–24
621. शास्तानकोट्टा में निर्माण कार्य	Construction work at Sasthancotta . .	524
622. बम्बई सेंट्रल स्टेशन पर कलाई घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Wrist Watches at Bombay Central Station	524–25
624. असिस्टेंट रिवेमेंट इन्सपैक्टर का वेतन क्रम	Pay Scale of Assistant Re-weightment Inspector	525
625. रेशमी कपड़े का निर्यात	Export of Silk Fabrics	525
626. राजस्थान में बहु धातु निक्षेप	Multi Metal Deposit in Rajasthan . .	525–26
627. ब्रिटेन को निर्यात	Exports to U.K.	526–27
628. इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods . . .	527
629. दक्षिण मध्य रेलवे खंड (जोन)	South Central Railway Zone . . .	527–28
630. दक्षिण मध्य रेलवे खंड	South Central Railway Zone . .	528
631. इस्पात का वितरण	Distribution of Steel	528–29
632. कच्चे लोहे के कारखाने	Pig Iron Plants	529
633. लमब्रैटा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Lambretta Scooters .	529–30
634. त्रिपुरा में धर्मनगर से स्वरूम तक रेलवे लाइन	Railway Line from Dharamanagar to Subroom in Tripura	530
अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to U.S.Q. No. 3688.	530
सभा का कार्य	Business of the House	530

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	531
बीच विधेयक	Seeds Bill	532
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा साक्ष्य	Report of Select Committee and Evidence .	532
कार्य मन्त्रणा समिति	Business Advisory Committee .	535
पचासवां प्रतिवेदन	Fifteeth Report	
मंत्री परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers.	536
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	536
श्री नन्दा	Shri Nanda	540
श्री रंगा	Shri Ranga	542
श्री उमा नाथ	Shri Umanath .	544
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil.	547
श्री स्वैल	Shri Swell	549
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	549
छियानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-sixth Report.	
स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं का राष्ट्रीय	National Board of Post Graduate Medical.	550
बोर्ड विधेयक—पुरःस्थापित	Examinations Bill—Introduced . .	550
संविधान (संशोधन) विधेयक (अष्टम अनुसूची का संशोधन)—वापिस लिया गया	Constitution (Amendment) Bill—Withdrawn (Amendment of the Eighth Schedule)	
(श्री उ० म० त्रिवेदी का)	By Shri U. M. Trivedi . . .	550
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	550
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi	550
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . .	551
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	551
श्री श्री नारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	551
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	551
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida . .	552

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री हिम्मतसिंह जी	Shri Himmatsinghji .	552
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee . .	552
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . . .	552
डा० मा० श्री अणे	Dr. M. S. Aney . .	553
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	553
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan . . .	553
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	553
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)—वापिस लिया गया	CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL-WITHDRAWN (Omission of article 314) by Vishwa Nath Pandey	
(श्री विश्वनाथ पाण्डेय का)		
विचार करने	Motion to Consider .	554
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey .	554
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida .	555
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	555
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	555
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	555
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi	556
श्री बड़े	Shri Bade	556
श्री हनुमान्तैया	Shri Hanumanthaiaya]	557
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	557
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . .	557
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill	558
(श्री मलाइछामी का)	(By Shri M. Malaichami)	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	558
श्री मलाइछामी	Shri Malaichami . . .	558
श्री बड़े	Shri Bade . .	559
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das . . .	559

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh . . .	560
गोवध पर रोक लगाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. banning of Cow-slaughter	560
श्री नन्दा	Shri Nanda	560
भविष्य में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के बारे में वक्तव्य	Statement re. location of future steel plants.	
श्री वि० ना० सिंह	Shri T. N. Singh .	561

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 4 नवम्बर, 1966 / 13 कार्तिक, 1888 (शक)
Friday, November 4, 1966/Kartika 13, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्षमहोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम

+

*94. श्री सुबोध हंसदा :
श्री फिरोडिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० रानेन सेन :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह:
श्री राम सेवक यादव :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रा० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री मुहम्मद कोया :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री हेम राज :
श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के पश्चात् देश में अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के दामों को स्थिर करने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). अवमूल्यन के बाद विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों का रुख एकसा नहीं रहा है। वस्तु बाजारों में मिश्रित रुख दिखाई दिया है। सभी वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़े हैं, यद्यपि कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ते रहे हैं। अवमूल्यन के पूर्व की मूल्य वृद्धि की तुलना में अधिकांश वस्तुओं के मूल्य तेजी से नहीं बढ़े हैं। 8-10-66 को विद्यमान सामान्य मूल्य सूचकांक 189.0 में, अवमूल्यन के बाद के 18 सप्ताहों में 2.7 प्र० श० वृद्धि हुई है जब कि गत वर्ष की इसी अवधि में 4.9 प्र० श० वृद्धि हुई थी तथा अवमूल्यन के पूर्व के 18 सप्ताहों में 8.8 प्रतिशत वृद्धि हुई।

दिल्ली प्रशासन के अर्थ तथा सांख्यिकी के ब्यूरो द्वारा जारी किये गये, 30-5-66 से 21-10-66 तक सामान्य उपभोग की चुनी हुई 18 वस्तुओं के दिल्ली में खुदरा मूल्यों के साप्ताहिक उतार-चढ़ाव, संलग्न विवरण (अनुबन्ध-1) में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या 7208/66]** 20-10-66 के मूल्यों से 30-5-66 (अवमूल्यन से पूर्व) के मूल्यों की तुलना करने से स्पष्ट है कि पांच वस्तुओं अर्थात् लाल मिर्च, गुड़, (पथवां), शुद्ध घी, नहाने तथा धोने के साबुन के मूल्य बढ़े, तीन वस्तुओं अर्थात् वनस्पति सरसों का तेल तथा दाल (अरहर) के मूल्य गिरे और शेष वस्तुओं अर्थात् दूध, दियासलाई, मिटटी का तेल, सन लाइट साबुन, बीड़ी, धोती, साड़ियां तथा पलंग की चादरों के मूल्य स्थिर रहे।

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) रुपये के अवमूल्यन सम्बन्धी निणय के साथ ही यह निर्णय किया गया था कि खाद्यान्नों, उर्वरकों, मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल और अन्य पेट्रोल उत्पादों के मूल्यों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिये। तदनुसार पेट्रोल उत्पादों पर लगा हुआ शुल्क उचित रूप में समंजित किया गया और खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर उपदान की व्यवस्था की गयी।

(2) वनस्पति तथा अन्य खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से खोपड़ा, ताड़ का तेल, सूर्यमुखी तथा सोयाबीन के तेलों को पर्याप्त मात्रा में आयात करने का प्रबन्ध किया गया है।

(3) राष्ट्रीय व्यवस्था में तथा निर्यात प्रयास में उद्योग के महत्व तथा आम उपभोग की अत्यावश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों के आधार पर अधिकतम उत्पादन के उद्देश्य से 59 उद्योगों को कच्चे माल, संघटक तथा फालतू पुर्जों की उनकी कुल मांग को आयात करने देने के लिये चुना गया है। इस सूची में न आई हुई अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में उनकी आयात आवश्यकताओं को भी पूरा करने के प्रबन्ध किये गये हैं।

(4) मूल्य के उतार चढ़ाव पर निगरानी रखने तथा अत्यावश्यक वस्तुओं को सुगमता से उपलब्ध कराने में सहायता करने के उद्देश्य से नागरिक संभरण के आयुक्त की नियुक्ति की गयी है।

(5) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की योजना को सुदृढ़ किया गया है और इसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिये द्रुत कार्यक्रम संगठित किया गया है।

(6) खाद्यान्न तथा खाद्य तेलों आदि पर बैंकों द्वारा दी गयी पेशगी पर चयनात्मक उधार नियंत्रण प्रारम्भ किया गया है।

(7) उपभोक्ता माल के वितरण को लाइसेंसों परमिटों द्वारा या अन्यथा विनियमित करने के लिये अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शक्तियां सौंपी गई हैं।

श्री सुबोध हंसदा : अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं। कुछ उद्योगों को कच्चा माल आयात करने के लिये स्वतन्त्रता दे दी गयी है। क्या उन उत्पादकों को जो कच्चे माल का स्वतन्त्रतापूर्वक आयात कर रहे हैं यह भी अनुमति दे दी गयी है कि अवमूल्यन से कीमत बढ़ जाने के कारण वे भी अधिक कीमत वसूल कर सकते हैं ?

श्री मनु भाई शाह : इस सम्बन्ध में प्रत्येक मद का अध्ययन अलग से किया गया है और इस वजह से कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। परन्तु सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि जब तक नितान्त आवश्यक न हो मूल्य न बढ़ने दिये जायं।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण में यह बताया गया है कि मिर्च, गुड़, शुद्ध घी, प्रसाधन सामग्री आदि कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े हैं तथा बनस्पति, सरसों का तेल और दाल आदि के भाव कुछ कम हुये हैं। कुछ वस्तुओं के भाव बढ़ने तथा कुछ अन्य वस्तुओं के भाव घटने के क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जिन वस्तुओं का कृषि-उत्पादन बढ़ा है और जिनका आयात भी किया जा रहा है तथा जो अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं उनके दाम कुछ घटे हैं। जिन वस्तुओं का कृषि-उत्पादन कम हुआ है और जो खपत की तुलना में कम मात्रा में उपलब्ध हैं उनका मूल्य बढ़ा है।

Shri M. L. Dwivedi: May I know whether Government have taken any stern measures to control the rise in the prices prior and after the devaluation, whether it is also a fact that in spite of some measures taken in this direction prices are steadily rising?

Shri Manubhai Shah: This all has been mentioned in the statement laid on the Table of the House.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और उत्पादन लागत को कम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कच्चे माल और आयातित पुर्जों के दाम बढ़ जाने से उत्पादन लागत में वृद्धि अवश्य हुयी है। जहां तक अन्य बातों का ताल्लुक है कच्चे माल के आयात को उदार बना दिया गया है और इससे विभिन्न कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने लगेंगे और उनमें एक से अधिक पारियों में काम होने लगेगा। इस प्रकार जितना उत्पादन अधिक होगा उतनी ही उत्पादन लागत भी कम हो जायेगी।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण से यह प्रतीत होता है कि खोपरा बहुत अधिक मात्रा में आयात किया जा रहा है। इसके आयात को कम करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : भारत में कई दशकों से बनस्पति तेल की कमी चली आ रही है जिसे हमें पूरा करना है। लेकिन आयात से यह मालूम होता है कि बढ़ते हुये उत्पादन द्वारा एक ओर तो खपत की मांग पूरी की जा रही है और दूसरी ओर आयात को कम किया जा रहा है।

डा० रानन सेन : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि मिलों और कारखानों में उत्पादित अधिकतर अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती जा रही हैं, यदि हां, तो सरकार ने उनके दाम नियन्त्रित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : विवरण से यह मालूम होता है कि कुछ वस्तुओं के दाम बढ़े हैं तथा कुछ अन्य वस्तुओं के दामों में बहुत मामूली सी वृद्धि हुयी है ।

डा० म० मो० दास : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि माल के आयातित भाग के मूल्य में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाली वृद्धि कीमतों को बढ़ाने में किस हद तक जिम्मेदार है और कीमत घटाने में आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के प्रयोग की व्यवस्था किस हद तक सफल रही है ?

श्री मनुभाई शाह : आयातित वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं के प्रयोग से कीमतों के घटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण हमारे देश में सभी सामान की स्थानी। लागत अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है । परन्तु उत्पादिता बढ़ाकर और अर्थव्यवस्था में सुधार लाकर यह प्रयास किया जा रहा है कि उत्पादन लागत कम हो जाय ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रस्तुत विवरण में यह बताया गया है कि अवमूल्यन के बाद सामान्य मूल्य सूचकांक में 2 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है और अवमूल्यन के बारे में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने इसी वृद्धि को 3 . 5 प्रतिशत बताया है । क्या दो मंत्री सभा में एक ही प्रश्न के दो भिन्न भिन्न उत्तर दे सकते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : अवमूल्यन के बाद 18 हफ्तों में 4 . 9 प्रतिशत के बजाय 2 . 7 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है वित्त मंत्री ने जो 3 . 5 प्रतिशत की वृद्धि का जिक्र किया है, मुझे मालूम नहीं, उस वृद्धि का सम्बन्ध किस तारीख से है । फिर भी मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri Yashpal Singh: The Price Bulletin issued in the morning from All India Radio contains different rates of various commodities prevailing on a day in the different markets. There should be uniformity in the rates. May I know whether Government have paid attention to it?

Shri Manubhai Shah: It cannot be done. While determining the prices we have to take handling charges into account. Hence there is difference in rates, which prevail at the place of production of particular commodity and at the place where it is moved.

Shri Vishwa Nath Pandey: Though it has been stated that the prices of kerosene and diesel oil will not be allowed to increase, yet the prices of these things are going up. What are the reasons thereof?

Shri Manubhai Shah: They are increasing due to the import of these items.

श्री हेम बरुआ : क्या 30 लाख जन संख्या वाले शहर में कीमतों को घटाने के उद्देश्य से खोला गया एक ही सुपर बाजार काफी है, यदि नहीं, तो ऐसे सुपर बाजारों की राजधानी में संख्या बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कीमतों को नियंत्रित करने के लिये हम चारों ओर से प्रयास कर रहे हैं । सुपर बाजार तो उसका एक अंग मात्र है । हमारा विचार देश में ऐसे थोक बिक्री वाले 43 बाजार और

सहकारी भंडार खोलने का है । इनके अतिरिक्त उपभोक्ता सहकारी समितियां, उचित मूल्य की दुकानें और अत्यावश्यक वस्तुओं में गैर सरकारी व्यापार को नियंत्रित करने के लिये अध्यादेश भी होंगे । इस संगठित प्रयास से मल्यों में स्थिरता आयेगी ।

Shri Sheo Narain: All essential commodities should be controlled by the Government and they should be made available to the people through fair price shops. Super Bazar alone will not do. Defence of India Rules should be utilized to control the prices. May I know whether Government propose to do all this?

Shri Manubhai Shah: Hon. Member is right. We should not depend upon Super Bazar alone. Shops in thousands are being opened for the purpose. Both things will go together.

Shri Bade: The statement says that the rates of chillies have gone up because of their less production. It also states that the rates of gur have also gone up. But the production of sugar and gur has increased. So, why there has been increase in rates of gur and sugar?

Shri Manubhai Shah: Certainly the production of these items has increased. But we had to increase the price of sugarcane in order to provide renumerative prices to the farmers. It automatically affected the price of sugar and gur.

Shri Madhu Limaye: What are the prices of indigenous and imported coconut oil prevailing in country?

Shri Manubhai Shah: We have come to know that after devaluation the prices of imported copra have gone up by 57.5. We have increased effective duty imposed thereon. The difference in prices of imported and indigenous copra is Rs. 750 per ton.

श्री कन्डप्पन : बढ़ते हुये मूल्यों और विशेषकर मिर्च के बढ़े हुये मूल्य को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार का विचार मिर्च के आयात को पूर्णत: बन्द करने या आयात की मात्रा कम करने का है ?

श्री मनुभाई शाह : हम इसके लिये निरन्तर प्रयास कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में जो सुझाव आयेगा उसका स्वागत किया जायेगा ।

श्रीमती रेणुका राय : सर्वांगीण प्रयास और विवरण में बताये गये विभिन्न उपायों को करने के बावजूद साबुन जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : साबुन उद्योग के लिये प्रमुख कच्चे माल खोपरे के आयात की अनुमति देने में हमें कुछ समय लगा और इसी बीच उत्पादकों ने कीमतें बढ़ा दीं । इसके लिये उन्होंने सरकार से परामर्श नहीं लिया । हमने इस सम्बन्ध में उन से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा । ये ही नहीं बल्कि भविष्य में अन्य सभी उद्योगपति सरकार से इस बारे में परामर्श किया करेंगे । अब चूंकि खोपरे के आयात की अनुमति दे दी गयी है इसलिये दाम गिरते जा रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye: I put a supplementary regarding coconut oil but the Minister has given information about copra.

Shri Manubhai Shah: Coconut oil is directly linked with copra. Moreover coconut oil is not imported and it will not be imported.

Shri Madhu Limaye: This is not the answer to my question.

Mr. Speaker: Two supplementaries have been replied thereafter and now he is again raising his question.

श्री दी० चं० शर्मा : हम सदैव सामाजिक नियंत्रण की केवल बात ही करते रहते हैं। यदि सुपर बाजार जैसे प्रशासी उपाय तथा भारत रक्षा नियम जैसे निरोधक उपाय अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को घटाने में असमर्थ रहे हैं, तो क्या सरकार इन वस्तुओं के थोक व्यापारियों, उत्पादकों और फुटकर व्यापारियों पर सामाजिक नियंत्रण लागू करने पर विचार कर रही है। यदि हां, तो सामाजिक नियंत्रण को लागू करने के उपाय क्या हैं ? ऐसे उपाय ब्रिटेन में भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रयोग में लाये गये थे जो बहुत ही सफल रहे थे।

श्री मनुभाई शाह : ये विभिन्न उपाय सामाजिक नियंत्रण के ही अंग हैं जिनका और आगे भी विस्तार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ कपड़े के मामले में हमने उत्पादन पर नियंत्रण लगाया हुआ है और 50 प्रतिशत कपड़ा अधिनियमित दामों के अन्तर्गत आता है। आयातित और देशी दोनों ही प्रकार के खाद्यान्नों पर नियंत्रण है। इसी प्रकार औषधियों के सम्बन्ध में औषध नियंत्रण आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार औषधियों के थोक भाव, फुटकर भाव और डिब्बों में बन्द औषधियों के भाव निश्चित किये जाते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिये विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है और जहां तक सम्भव है हम ऐसे नियंत्रण लगा रहे हैं। परन्तु सरकार की सामान्य नीति यह है कि सरकार व्यापार के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न !

श्री उ० मू० त्रिवेदी मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वाणिज्य मंत्रालय से सम्बन्धित सभी प्रश्न पहले रखे जाते हैं फिर उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित इसके बाद खान तथा धातु मंत्रालय और सब से बाद में रेलवे मंत्रालय से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे को हमेशा पीछे क्यों धकेल दिया जाता है ? उस तक हम बिल्कुल नहीं पहुंच पाते।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं तुरन्त कुछ नहीं बता सकता, परन्तु मैं इसके कारण का पता करूंगा।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से ऊन

+

*95. **डा० पू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और आस्ट्रेलिया की सरकार के बीच कोई करार हुआ है जिसके अधीन भारत को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत सहायता के रूप में 40 लाख पौण्ड मेरीनो ऊन मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार का विचार ऊन को किस प्रकार से प्रयोग करने का है जिससे देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंच सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) आस्ट्रेलिया की सरकार 40 लाख पौण्ड ऊन का अनुदान देगी जो कि 1966-67 से आरम्भ हो कर तीन वर्षों में पूरा किया जायेगा । इस ऊन का विशेषत: उपयोग निर्यात हेतु ऊनी वस्त्र बनाने में किया जायेगा । ऊन के इस स्टाक जमा की सम्पूर्ति विदेशी मुद्रा दे कर की जायेगी । स्टाक जमा के लिये ऊन, आस्ट्रेलिया से किये जाने वाले सामान्य आयात के अलावा होगी ।

यह ऊन निर्यातकों को निर्यात हेतु वस्त्र बनाने के लिये दी जायेगी । वे निर्यातक इस सुविधा से लाभ उठा सकते हैं जिनके पास साख पत्रों से युक्त पक्के निर्यात आर्डर हों ।

डा० पू० ना० खां : आस्ट्रेलिया की यह मेरीनो ऊन, स्वदेशी ऊन और अन्य आयातित ऊन के मुकाबिले में कैसी है ।

श्री शफी कुरेशी : यह मेरीनो ऊन लम्बे रेशे की है और यह ऊंची किस्म के ऊनी कपड़ों के निर्माण में प्रयोग की जाती है ।

डा० पू० ना० खां : इस 40 लाख पौंड ऊन का मूल्य क्या है ?

श्री शफी कुरेशी : इसका मूल्य लगभग 3.32 करोड़ रु० है ।

डा० म० मो० दास : क्या इस भेंट के साथ कोई शर्तें लगाई गई हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ? क्या इस ऊन से बने वस्त्र केवल निर्यात के लिये ही होंगे और यदि हां, तो हमें इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ?

श्री शफी कुरेशी : बात यह है कि आस्ट्रेलिया से मिलने वाली इस 40 लाख पौंड ऊन के लिये हमें कोई विदेशी मुद्रा नहीं देनी होगी । आस्ट्रेलिया से यह ऊन किस तरीके से ली जायेगी और बाद में वास्तविक उपभोक्ताओं में इसका वितरण किस तरीके से किया जायेगा इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के परामर्श से कुछ शर्तें लगाई गई हैं।

डा० म० मो० दास : मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस भेंट के बारे में आस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत सरकार द्वारा पूरी की जाने वाली कोई शर्तें लगाई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : गत वर्ष जब मैं आस्ट्रेलिया गया था तो मैंने आस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री और उपप्रधान मंत्री से बातचीत की थी। बाद में मैंने सभापटल पर एक विवरण रखा था । यह पूर्णरूपेण नि:शुल्क भेंट है, परन्तु केवल दो ही शर्तें हैं, अर्थात्, भारतीय ऊन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये सहायता दी जायेगी और यह कि यह निर्यात के विरुद्ध दी जायेगी । हमने इन दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया है । इसके लिये हमें कोई विदेशी मुद्रा नहीं देनी पड़ेगी । रुपयों में भुगतान निरुद्ध लेखे में होगा और उसे क्षेत्र से कारखाने तक अनुसन्धान के लिये काम में लिया जायेगा ।

Shri M. L. Dwivedi: May I know whether the requirements of the exporters for the raw wool needed for the manufacture of textiles and other

things will be met by this wool or that which we have been importing. If so, the steps being taken by Government to meet this shortage and to boost the exports?

Shri Shafi Quareshi: Last year we had allotted Rs. 2 crores for the import of wool. This time Government have sanctioned Rs. 12 crores of foreign exchange to accelerate the pace of production in these factories. This wool is over and above that and after exhausting the stock of this wool, we can import more wool from Australia. The amount set apart by Government for the wool industry is sufficient to meet the need.

Shri M. L. Dwivedi: I wanted to know whether the manufacturers will have to face any shortage of raw wool, if so, the quantity thereof?

Shri Shafi Quareshi: They will not have to face any shortage.

श्री दी० चं० शर्मा : जहां तक मैं जानता हूं कोलम्बो आयोजना योजनाएं वस्तु विनिमय के आधार पर काम करती हैं। अर्थात् हम कुछ वस्तुएं लेते हैं और कुछ वस्तुएं देते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश को मुफ्त भेंट लेने की आदत पड़ी हुई है। परन्तु जहां तक कोलम्बो योजना का सम्बन्ध है उन्होंने यह विशेष किस्म की ऊन हमें भेंट में दी है। हमारी सरकार ने आस्ट्रेलिया को कोलम्बो आयोजना की योजनाओं के अन्तर्गत क्या भेंट दी है जो कि ऊन के मूल्य के बराबर हो ?

श्री मनुभाई शाह : यह द्विपक्षीय नहीं अपितु बहुपक्षीय है। जिस प्रकार अमीर देश अल्पविकसित देशों को सहायता देते हैं, इसी प्रकार हम भी कोलम्बो आयोजना के अन्तर्गत, श्रीलंका, नाईजेरिया और घाना जैसे राष्ट्रमण्डलीय देशों को विभिन्न तरीकों से सहायता देते रहे हैं जिसका सभा को अच्छी तरह पता है। हम किस प्रकार से पूर्व अफ्रीकी देशों तथा अन्य देशों की सहायता कर रहे हैं इस सम्बन्ध में मैंने सभापटल पर विवरण रखे थे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या देश में सेना के लिये इस ऊन से वर्दियां बनाने में कोई कठिनाई अनुभव की जा रही ह।

श्री मनुभाई शाह : इसके कुछ भाग का प्रयोग किया जा रहा है। इसका कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य देशों से ऊन के आयात के लिये हम 12 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा दे रहे हैं। इन दोनों से हम अपनी आवश्यकता पूरी कर सकेंगे। इससे देश और उद्योग दोनों इस मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिये हमें जितनी ऊन चाहिये उसमें तथा इसके लिये हमें जितनी स्वदेशी ऊन प्राप्त होती है इन दोनों में क्या अन्तर है और यह कमी आस्ट्रेलिया की भेंट से कहां तक पूरी हो जायेगी।

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने पहले बताया हमें आशा है कि इन तीनों साधनों से हमें जो ऊन प्राप्त होगी उससे हमारे कारखाने पूरी क्षमता पर चल सकेंगे। हमें किसी गम्भीर कमी के होने की आशा नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ : उसकी मात्रा क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत कम।

कपड़े का मूल्य

+

*496. श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों में तैयार किये गये सूती कपड़े के मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कपड़े के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग). गत दो वर्षों में अर्थात् अक्तूबर, 1964 में नियंत्रण लागू करने के पश्चात् कपड़े के मूल्यों में कुछ वृद्धि तो हुई है, परन्तु 1 नवम्बर, 1965 में प्रचलित मूल्यों की तुलना में वह वृद्धि 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत है। नियंत्रित कपड़े की किस्मों में औसतन 8 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मध्यम तथा खुदरा किस्म के कपड़े के मूल्यों में जिनका उत्पादन कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत होता है, वृद्धि कम हुई है और कई किस्मों में 4.5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूल्यों में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं : कपास के उच्च मूल्य, रंगों तथा रसायनों के मूल्यों में बढ़ोतरी और श्रमिकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि।

सभी सम्बन्धित तथ्यों जैसे कि कपास का मूल्य, मजदूरियां तथा अन्य माल के जैसे कि शक्ति, कोयला, भण्डार, सूद और रंजक तथा रसायनिकों के दामों को ध्यान में रख कर सरकार नियन्त्रित कपड़े की किस्मों के मूल्यों को निर्धारित करती है। मल्यों में संशोधन का निर्णय करने के लिये सरकार आवश्यक सन्तुलित दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि एक ओर तो मिलों को उचित मूल्य मिल सके और दूसरी ओर दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को यथासम्भव कम से कम स्तर पर रखा जा सके। सरकार मूल्यों पर कड़ी निगरानी रख रही है और कपड़ा मोहरशुदा मूल्यों से अधिक मूल्य पर न बिके, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने समुचित सावधानियां बरती हैं। वर्तमान सम्भरण स्थिति सुविधाजनक है और जहां कहीं कपड़े की कमी की सूचना मिली है वहां कपड़ा भेजने की व्यवस्था की जा रही है। दैनिक उपभोग की सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित कपड़े की किस्मों की मद शायद एक ऐसी मद है जिसके मूल्यों में कम से कम वृद्धि होने दी गई है और इनके मूल्य उचित स्तरों पर स्थिर रहे हैं। देश भर में कपड़े की उपलब्धि भी सन्तोषजनक रही है।

Shri Yashpal Singh: What is the source of Government's information about the fluctuation in the prices of cloth? Does the hon. Minister personally see all those things as Shri Rafi Ahmed Kidwai did?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): So far as the control of cloth is concerned, we also follow the method suggested by the hon. Member. Apart from that there has been considerable statistical improvement since then. In every State Commercial Intelligence Department and Statistical Intelligence Department have been opened and Inspectors have been deputed at all the places. There is a Consumer's Vigilance Advisory Committee in which Members of Parliament are in a big number. They all keep a watch on them and if any complaint is sent to us we shall look into that.

Shri Yashpal Singh: The price of a quilt cover in Delhi is Rs. 16 whereas the same cover is being sold for Rs. 26 in the villages of Delhi. The Inspectors never visit the villages. In view of this how can this be checked?

Shri Manubhai Shah: I would request the hon. Member to lend his cooperation to us and send the complaint to us so that we may look into it. We carry on exhaustive inspection in the villages, but still we shall much obliged if the hon. Members send us the complaints they receive from their constituencies.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को पता है कि दुर्गापूजा एक राष्ट्रीय त्यौहार है और इस समय के दौरान कपड़ा खरीदते हैं, यदि हां, तो इस वर्ष पहली अक्तूबर को मील के कपड़े के मूल्य में वृद्धि न करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये ?

श्री मनुभाई शाह : वास्तव में यह एक अक्तूबर को हुआ क्योंकि हर छः महीने बाद गुणक देशनांक में परिवर्तन करने का एक वैधिक और सांविहित कर्तव्य है जो कि उसी दिन किया गया । जहां तक माननीय महिला सदस्य द्वारा कही गई बात का सम्बन्ध है, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि मूलभूत उत्पादन शुल्क धोतियों और साड़ियों पर से हटा दिया जाये ताकि उपभोक्ता द्वारा अतिरक्ति 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुभव न किया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने गुणक देशनांक के बारे में कुछ कहा । क्या इसको कुछ सप्ताह के लिये रोका नहीं जा सकता था ताकि इस देश के निर्धन और मध्यम वर्ग के लोग, जिन्हें कि अपने परिवारों के लिये हर वर्ष पूजा और दशहरा त्यौहार के दौरान कपड़ा खरीदना पड़ता है, इस मूल्य वृद्धि से बच जाते जिसे कि सरकार इन त्यौहारों के अवसर पर मिल मालिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझ कर लाई है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं । प्रत्येक वर्ष हमें गुणक का पुनरीक्षण करना पड़ता है । हमने इसको एक महीने के लिये स्थगित कर दिया, और उद्योगों का भी अपना महत्व है, और हम उनको यह नहीं कह सकते कि वे भारी घाटा उठाते जायें क्योंकि गुणक में परिवर्तन नहीं किया गया है । परन्तु माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है हमने उसका ख्याल रखा है, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, हमने धोतियों और साड़ियों की उन किस्मों पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया है जो कि बहुत लोकप्रिय हैं । इससे केन्द्रीय सरकार के राजस्व में 3 करोड़ रु०की हानि हुई और इसलिये उपभोक्ता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं अपने पिछले प्रश्न को ही दोहराता हूं । उत्पादन लागत के कारण कपड़े के मूल्यों में कहां तक वृद्धि हुई है ?

श्री मनुभाई शाह : यह स्पष्ट है कि यदि कपास की कीमत बढ़ जाती है, यदि रंगों की कीमत बढ़ जाती है, यदि मशीनों की कीमत बढ़ जाती है, तो हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि कपड़ा उद्योग को भारी घाटा हो, कारखाने बन्द हों और समस्याएं उत्पन्न हों।

Shri Vishram Prasad: It is very strange that we say that the prices have increased by 20 to 30 per cent and the Government say that they have increased only by 8-9 per cent. Eighty-five per cent of our population lives in villages where no Baniya showes the printed price and makes changes arbitrarily. In view of this may I know the number of inspectors deputed in the villages and the number of villages inspected by them?

Shri Manubhai Shah: I have already stated that inspection is going on at all the places. If you bring any complaint that will be investigated.

श्री सुबोध हंसदा : केवल मिल के कपड़े के ही दाम निश्चित किये गये हैं। शक्तिचालित करघों द्वारा बने कपड़े के दामों के बारे में क्या स्थिति है जो कि देश भर में लोकप्रिय है इसका मूल्य निश्चित करने का क्या आधार है ?

श्री मनुभाई शाह : इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इसका मूल्य मांग और संभरण के आधार पर होता है।

Shri Madhu Limaye: First of all I take exception to the answer of the main question given by the hon. Minister. The question is:

> "Whether prices of mill-made cotton cloth have gone up by twenty to thirty per cent as compared to the last year;"

and the hon. Minister answered:

> "The average increase in prices of controlled varieties of cloth is of the order of 8 to 9 per cent in the medium and coarse varieties which account for 80 per cent of the total production it is lower and in some cases it is between 4.5 to 6 per cent."

The question relates to the entire mill-made cloth. You have replied only about the increase in the rates of controlled varieties of cloth. But at present most of the profiteering is going on in the fine and superfine varieties of cloth. The answer to the main question can be deemed complete only when the hon. Minister kindly replies to this point also.

Shri Manubhai Shah: We do not maintain an account of all the varieties of decontrolled cloth nor it is possible to do so. I can give the figures only of the controlled varieties which constitute fine and superfine varieties also and I have given figures relating to these. The prices of the decontrolled varieties of cloth which covers powerloom, handloom and 50 per cent mill-made cloth depend upon the market demand.

Shri Madhu Limaye: The question is about the increase in price and not the control.

Mr. Speaker: He says that its account is not maintained. He cannot tell.

Shri Madhu Limaye: They should maintain the account. They should give the information. The questions are asked to get the information.

श्री श्रीनारायण दास : विवरण में कहा गया है :

"सरकार कीमतों पर कड़ी निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित करने के लिये कपड़ा लिखित कीमतों से अधिक पर न बेचा जाये, सरकार ने पर्याप्त कदम उठाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस नियम के उल्लंघन के कितने मामले सरकार की जानकारी में लाये गये हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है"।

श्री मनुभाई शाह : पिछली तिमाही में 18,000 निरीक्षण किये गये थे जिनमें से 34 मामले ऐसे पाये गये जिनमें लिखित मूल्यों से अधिक लिये जा रहे थे और उनके विरुद्ध मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

Shri Bade: As asked in the main question I want to know "the steps Government propose to take to check the rise in prices"? The statement refers only to the controlled varieties of cloth and you have stated that you do not have the figures, but after devaluation the cloth in retail is being sold in excess of the ex-mill rates. In view of this I want to know whether Government propose to control the decontrolled varieties of cloth the prices of which have shot up by 20 to 30 per cent?

Shri Manubhai Shah: All the varieties of cloth required by the common have been controlled. Fifty per cent of cloth, which is uncontrolled, is fancy or tapastery type of cloth.

Shri Madhu Limaye: It has become your duty to allow profiteering in this way.

Shri Manubhai Shah: It is not a question of duty. Every thing cannot be controlled. All the commodities of daily requirement have been successfully put under control. Placewise figures of uncontrolled items are available with Figures Bureau.

Shri M. L. Dwivedi: In Super Bazar 3 per cent rebate is being given on cloth while it is not being given at any other place. What is the reason therefor? This facility has been given to Super Market alone and not to other cloth traders. It is not being given even in rural areas.

Shri Manubhai Shah: If anybody wants to give some relief, we welcome it. Super Bazar might have been giving rebate, but Super Bazar cannot be built in every village. Of course cooperative stores may be organized there.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा खुदरा कपड़े का 6 प्रतिशत मूल्य बढ़ाये जाने के कारण हथकरघा उद्योग को धागा अपेक्षित मात्रा से कम मिल रहा है और हाथ से बुनने वालों को उचित मूल्य पर धागा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

श्री मनुभाई शाह : धागा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और नये मिल बनते जा रहे हैं। वास्तव में मिल में बने कपड़े के दाम बढ़ाकर बिजली के करघों और हथकरघों से बने कपड़े को संरक्षण दिया गया है ताकि वे अपेक्षाकृत सस्ते बन सकें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कपड़े के दामों में वृद्धि के साथ साथ धागे के मूल्य में भी वृद्धि हुयी है।

श्री मनुभाई शाह : धागा एक अनियंत्रित मद है। बिजली और हथकरघों से बुनने वालों ने 1961 में यह आग्रह किया था कि धागे पर से नियंत्रण उठाया जाय। तब से अब तक यह व्यवस्था भली भांति चल रही थी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्रीमती रेणुका राय : क्या मंत्री महोदय नियंत्रित कपड़े के मूल्य में जो 8–9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है, उससे संतुष्ट हैं ? नियंत्रित कपड़े के मूल्य में लगातार वृद्धि को भविष्य में होने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : गत दो वर्षों में यह वृद्धि हुयी है और कई कारणों से हम उसे रोकने में असमर्थ रहे हैं। उत्पादकों को कच्चे माल का उचित मूल्य देना पड़ता है ताकि देश में उत्पादन बढ़े। इसके अतिरिक्त मजूरी और बोनस का भी भुगतान करना पड़ता है। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री रंगा : मुद्रा-स्फीति की क्या स्थिति है ?

श्री मनुभाई शाह : भाड़ा और अन्य प्रभार बढ़ते जा रहे हैं। हम उन्हें कम से कम रखने की कोशिश कर सकते हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : हमारे यहां मूल्यों में वृद्धि होने के साथ ही हमारे माल की विदेशों में मांग कम होती जा रही है क्योंकि उसका निर्यात मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। क्या यह सच है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सच है।

श्री दी० चं० शर्मा : अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य-प्रसारण के लिये सरकार आकाशवाणी का प्रयोग कर रही है। क्या सरकार को यह मालूम है कि रेडियो से प्रसारित किये जाने वाले मूल्यों तथा बाजारों के वास्तविक भावों में कोई समानता नहीं होती। क्या सरकार कोई ऐसे कदम उठायेगी जिससे रेडियो के माध्यम से काल्पनिक बातों का प्रसारण न होकर सच्ची और वास्तविक बातों का प्रसारण हो ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है। एक बार इन प्रसारणों को बन्द करने का भी निर्णय किया गया था और कुछ समय तक ये बन्द भी रहे। परन्तु श्रोताओं से फिर यह मांग आयी कि इन प्रसारणों को फिर शुरू कर दिया जाय, क्योंकि उनसे उपभोक्ताओं को मूल्यों के बारे में सूचना मिल जाती है। जिनसे उन्हें लाभ होता है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि ये मूल्य सम्बन्धी प्रसारण ठीक जानकारी नहीं देते और अनावश्यक हैं दूसरी ओर यह कहा जाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें फिर शुरू किया जाना चाहिए। अतः व्यक्तियों की इच्छा पूरी करने के लिये हम ये प्रसारण करवा रहे हैं।

कनाडा से अखबारी कागज का आयात

+

* 97. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा से अखबारी कागज का आयात करने के लिये भारत तथा कनाडा के बीच एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) कनाडा से कुल कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जायेगा; और

(घ) यह अखबारी कागज कब आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) चालू वर्ष में कनाडा से अखबारी कागज तीन शीर्षकों के अधीन आयात किया जा रहा है :—

(1) वाणिज्यिक आयात :

(2) 10 लाख कनाडा डालरों की कोलम्बो योजना सहायता, और

(3) 20 लाख कनाडा डालरों की कनाडा द्वारा विकास सहायता ।

प्रत्येक शीर्षक के सम्बन्ध में स्थिति यह है :

(1) वाणिज्यिक आयात

मूल्य बीमा, जहाज भाड़ा सहित, भारतीय पतन तक पहुंचा कर 160.77 प्रति मे० टन की दर से 25,000 मे० टन अखबारी कागज के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम ने अविंतीवी पेपर सेल्स लि० तोरोन्तो के साथ करार कर लिया है ।

(2) कोलम्बो योजना ऋण सहायता

सहायता कार्यक्रम के अधीन जैसा कि नीचे दिया गया है, 7,660 मे० टन अखबारी कागज के आयात की व्यवस्था को राज्य व्यापार निगम ने, अन्तिम रूप दे दिया है : 6460 मे० टन कनाडा डालर 131 प्रति मे० टन जहाज पर पहुंचाने तक मूल्य 1200 मे० टन—कनाडा डालर 128.10 प्रति मे० टन जहाज पर पहुंचाने तक मूल्य ।

(3) कनाडा की विकास सहायता

7 अक्तूबर, 1966 को राज्य व्यापार निगम ने इस शीर्षक के अन्तर्गत 16,000 मे० टन अखबारी कागज के आयात के लिये टैण्डर जारी किये हैं ।

7,660 मे० टन की एक मात्रा तथा 25,000 मे० टन की दूसरी मात्रा क्रमशः नवम्बर, 1966 के अन्त तक तथा मार्च, 1967 तक प्राप्त होने की आशा है ।

Shri Viswa Nath Pandey: I would like to know whether the quantity of newsprint being imported from Canada, will meet the demand of the newsprint in the country?

Shri Manubhai Shah: That will meet the 17 per cent of the demand. For the rest it is being imported from Sweden, Russia and other countries.

Shri Viswa Nath Pandey: To meet the shortage of the newsprint in the country, it is being imported from foreign countries. May I know what steps are being taken to produce indigenous newsprint in the country, so that it may meet the demand of the country?

Shri Manubhai Shah: There are not pine-fir trees in large quantity in India, which is used for making long staple newsprint. Nevertheless, we are developing Nepa Newsprint plant, another newsprint plant is being built in Punjab with the Canadian assistance. We are trying to grow such trees in India. But it will take 10 years' period.

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार को खोई से अखबारी कागज बनाने के प्रयास में सफलता मिली है, यदि हां, तो आयात को कम करने में यह किस हद तक सहायक होगा ?

श्री मनुभाई शाह : हाल ही में हमें अमरीका और लैटिन अमरीका से एक ऐसी सूचना मिली है कि खोई से अखबारी कागज बनाने का एक नया तरीका खोज लिया गया है। हम उसका अनुसरण कर रहे हैं और यदि यह सफल रहा तो इस आधार पर एक कारखाने का निर्माण किया जायेगा।

श्री सुबोध हंसदा : मुझे विवरण में यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राज्य व्यापार निगम ने कनाडा के विकास सहायता के अधीन 16,000 मे० टन और 7,660 मे० टन अखबारी कागज के आयात के लिये टेन्डर मांगे हैं। राज्य व्यापार निगम स्वयं ही आयात और निर्यात करने वाली एजेन्सी है तो वह टेन्डर क्यों मांगती है ?

श्री मनुभाई शाह : राज्य व्यापार निगम को खरीददारी का अधिकार होते हुये भी उसे टेन्डर मांगने पड़ते हैं ताकि विश्व की विभिन्न फर्मों से आफर प्राप्त किये जा सकें।

Shri M. L. Dwivedi: We have been importing newsprint from Sweden, but now we will import it from Canada. What is the difference between the prices of newsprint of Sweden and Canada?

Shri Manubhai Shah: There is secrecy in market prices. I would like to request the hon. Member not to enquire about the prices, which different countries have for their goods.

श्री प्र० चं० बरुआ : अखबारी कागज के कीमत की अनाडा से अवमूल्यन से पूर्व आयात किये जाने वाले अखबारी कागज की कीमत से किस हद तक तुलना की जा सकती है। अवमूल्यन का इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री मनुभाई शाह : बड़ी सीधी सी बात है। अवमूल्यन से सभी देश प्रभावित हुये हैं, कोई एक देश नहीं। अतः समय समय पर जो भी विषमता आयेगी, वह अखबारी कागज के मूल्य के सम्बन्ध में भी होगी।

Shri A. P. Sharma: We are importing newsprint from different countries. May I know whether the newsprint received from different countries is of the same standard quality or qualities differ?

Shri Manubhai Shah: We want such quality of newsprint as can be utilized by newspapers.

श्री राम सहाय पाण्डेय: हमारे देश में जो अखबारी कागज बनाया जाता है, वही रद्दी किस्म का है। क्या सरकार देशी अखबारी कागज की किस्म सुधारने के कुछ उपायों पर विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सच है। नेपा कागज मिल में कागज के पीलेपन को दूर करने और उसमें चमक लाने के उद्देश्य से हम शीत प्रक्रिया (कोल्ड प्रोसेस) को 'ऐलकालाएड प्रक्रिया' में परिवर्तित कर रहे हैं। परन्तु ऐसे सुधार की भी कुछ सीमाएं हैं।

Shri Bade: What will be difference in prices of indigenous paper produced at Nepa and of that imported from Australia? May I know whether the import of newsprint will affect the paper industry at NEPA because everyone would like to have superior quality and the paper produced indigenously is of inferior type?

Shri Manubhai Shah: As I have already told the difference of prices exists everywhere.

Shri K. N. Tiwari: Government have accepted many schemes for producing newsprint. May I know what is the progress in regard thereto, by what time we will achieve self-sufficiency in this respect?

Shri Manubhai Shah: We are trying to get Canadian collaboration for expansion of NEPA paper mill as soon as possible. But the idea of being self-sufficient in each respect is not absolutely correct, because we can be self-sufficient only in industries for which we have got raw material in our own country.

श्री मं० रं० कृष्ण: आन्ध्र प्रदेश की चीनी की मिलों से ली गयी खोई से अखबारी कागज बनाने का कुछ वर्ष पूर्व एक प्रयोग किया गया था और यह देखा गया था कि खोई को अखबारी कागज बनाने के काम में लाया जा सकता है। भारत सरकार इस सम्बन्ध में अमरीका से जानकारी की प्रतीक्षा क्यों कर रही है जब कि इस बारे में हमें पहले से ही अनुभव प्राप्त है।

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य ने आन्ध्र प्रदेश के जिस कारखाने का जिक्र किया है उस कारखाने में लिखाई का कागज बनाया जा रहा है। वैसे तो इस कागज को भी अखबारों के लिये प्रयोग किया जा सकता है परन्तु उसकी कीमत बहुत अधिक है और भारीपन की वजह से इसे रोटरियों में भी ठीक तरह से नहीं लगाया जा सकता। अखबारों के लिये लम्बे रेशे से बने कागज की आवश्यकता होती है जो सस्ते दामों पर मिलना चाहिए। दोनों प्रकार के कागज एक किस्म के नहीं हैं। कागज के वर्तमान कारखाने में छपाई वाला कागज तैयार किया जा रहा है और अब हम अखबारी कागज का उत्पादन चाहते हैं।

श्री तिरुमल राव: क्या सरकार का प्रस्ताव है कि बोधक में खोई के उपयोग से अखबारी कागज बनाने वाले एक सरकारी कारखाने को स्थापित किया जाय ?

श्री मनुभाई शाह: यदि यह प्रक्रिया जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, सफल रही तो हम अवश्य ही इस सम्बन्ध में विचार करेंगे।

(प्रश्न संख्या 102 के सम्बन्ध में)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न---श्री व० कु० दास--अनुपस्थित---डा० म० मो० दास---

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : श्रीमान्, मेरा यह सुझाव है कि प्रश्न संख्या 102 को भी इसी के साथ ले लिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इसके लिये तैयार हों तो वे ऐसा कर सकते हैं।

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० अ० मेंहदी) : मैं उनका उत्तर एक साथ दूंगा।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में भू-भौतिक हवाई शाखा

+

*98. डा० म० मो० दास :
श्री ब० कु० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में स्थायी आधार पर भू-भौतिक हवाई शाखा स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस शाखा के कार्य क्या होंगे और उस की स्थापना पर कितना व्यय होगा; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए विदेशी तकनीकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० अ० मेंहदी): (क) और (ख) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) भारतीय भौतिकी विभाग में ऐसा एकक स्थापित करने का निर्णय लिए जाने की दशा में उपकरण और विशेषज्ञता के क्षेत्र में विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है ।

हवाई भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिए अमरीकी सहायता

*102. श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री जं० ब० सिंह विष्ट :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० पू० ना० खां :
श्री कर्णी सिंहजी :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेकेदारों की एक अमरीकी फर्म द्वारा अलौह धातु निक्षेपों का पता लगाने के लिए देशव्यापी हवाई सर्वेक्षण (आपरेशन हार्ड राक) का जो वचन दिया गया था, क्या वह क्रियान्वित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी फर्म के साथ करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) अमरीकी फर्म के अतिरिक्त सोवियत तथा पूर्वी जर्मनी के अधिकारियों ने हवाई सर्वेक्षण करने में क्यों रुचि दिखाई है ; और

(घ) प्रस्तावित सर्वेक्षण पर कितना व्यय होगा और इस परियोजना पर कितना व्यय होगा और इस परियोजना से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सें० अ० मेंहदी) : (क) अमेरिका फर्म से संविदा के विस्तार के बारे में अभी भी बातचीत चल रही है।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है। [**पुस्तकालय म रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7209/66**]

(ग) कुछ अन्य क्षेत्रों (जो यू० एस० ए० आई० डी० योजना में शामिल नहीं हैं) के हवाई सर्वेक्षण के प्रस्तावों पर रूसी अधिकारियों से बातचीत चल रही है। इसी प्रकार के सर्वेक्षण के लिए एक अन्य प्रस्ताव पूर्वी जर्मनी से प्राप्त हुआ था।

(घ) यू० एस० ए० आई० डी० योजना के अन्तर्गत होने वाले हवाई सर्वेक्षण पर अनुमानित लागत 4.6 करोड़ रुपये है जिसमें 3.5 मिलियन डालर (2.6 करोड़ रुपये) का विदेशी मुद्रा का अंश है। रूसी सहायता से होने वाले सर्वेक्षणों की लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है।

इन हवाई सर्वेक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है अलौह धातुओं (तांबा, सीसा, जस्ता, आदि) के खनन योग्य निक्षेपों के स्थानों का पता लगाना तथा उनका मूल्यांकन करना एवं भारत की अलौह धातुओं की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन निक्षेपों के विकास में तीव्रता लाना।

डा० म० मो० दास : इन देशों के साथ सहयोग करने से हमें किस प्रकार की सहायता मिलने की आशा है ?

श्री सें० अ० मेंहदी : यह विवरण में दे दिया गया है।

डा० म० मो० दास : क्या इस नये विभाग का प्रशासनिक तथा संक्रियात्मक नियंत्रण भारतीयों अथवा विदेशियों के हाथों में होगा ?

श्री सें० अ० मेंहदी : यदि यह प्रश्न पहले प्रश्न में भूतत्वीय सर्वेक्षण के नये विभाग के बारे में है तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इस पर अभी विचार नहीं किया गया है। जहां तक दूसरे प्रश्न में नियंत्रण का सम्बन्ध है, यह पूर्णतया नियंत्रक के अधीन होगा जो एक भारतीय होगा।

श्री स० चं० सामन्त : वायव्य चुम्बिक सर्वेक्षण तथा हवाई भू-भौतिकी सर्वेक्षण में क्या अन्तर है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजा गया है जिससे कुछ समय बाद हम यह कार्य स्वयं कर सकें ?

श्री सें० अ० मेंहदी : निःसन्देह हमारे पास विशेष ज्ञान है। परन्तु हमारा विचार ऐसे बढ़िया उपकरणों को, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, बाहर से मंगाने और शीघ्र लाभ उठाने के लिये इनका उपयोग करने का है। अतः वे कुछ विशेषज्ञ जो यहां आयेंगे, हमारे लोगों को प्रशिक्षण देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या इस योजना के अन्तर्गत ज्यूलाजीकल सर्वे आफ इण्डिया के भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्री सें० अ० मेंहदी : जी, हां। वे विशेषज्ञ ज्यूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।

Shri M. L. Dwivedi: May I know the profit which would be made by the American firm under this agreement and the other things which would be supplied by that firm to us and also the benefits to be accrued by the Government of India as a result of this collaboration and the total amount of money likely to be spent by India and America separately in this regard?

Shri S. A. Mehdi: So far as the amounts are concerned, they have already been given in the statement and so far as the benefits to be accrued by the Government of India are concerned, these have also been given in the statement.

श्री म० ला० द्विवेदी : इस ठेके का आधार क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : हम पहले यह कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि इस के फलस्वरूप किस संगठन विशेष को कितना लाभ होगा ? खर्च का पता तो केवल यह कार्य पूरा हो जाने के बाद लगेगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : ठेके का आधार क्या है ?

श्री से० अ० मेंहदी : उत्तर के भाग (ख) में लागत का विवरण दे दिया गया है ।

श्री पें० वैंकटासुब्बया : क्या सरकार को इस बात का पता है कि ज्यूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया द्वारा अध्ययन किये जाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण खनिज-पदार्थों वाले क्षेत्रों का अभी सर्वेक्षण किया जाना बाकी है ? यदि ऐसा है तो चूंकि उन्होंने एक अमरीकी फर्म से करार कर लिया है तो ऐसे क्षेत्रों का, जहां खनिजों के विस्तृत निक्षेप हैं, शीघ्र सर्वेक्षण कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सु० कु० डे : माननीय सदस्य यह मानेंगे कि खनिज-पदार्थों वाले क्षेत्रों का श्रमप्रधान सर्वेक्षण करने में काफी समय लगता है और ज्यूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया की क्षमता को एक दम इतना नहीं बढ़ाया जा सकता जिससे कि वह हमारी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सके । तथापि ज्यूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया की क्षमता में कुछ हद तक ज्यूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया संगठन के नियंत्रण से भी बाहर काफी वृद्धि हुई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस करार के अनुसार अलौह धातुओं का पता लगाने के लिये, जो सामरिक महत्व के हैं और जिनका हमारे प्रतिरक्षा उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, हमारे देश के विस्तृत भागों का वायव्य सर्वेक्षण किया जायेगा । अतः एक ऐसे मामले में सामरिक महत्व के कार्य के लिये ठेका एक अमरीकी फर्म को दिया जा रहा है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीकी लोगों का सैनिक मामलों में पाकिस्तान से गठजोड़ है देश की सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

श्री सु० कु० डे : जी, हां । सभी कदम उठाये जायेंगे । उत्तर में इसका उल्लेख नहीं किया गया । जब विमान उड़ान कर रहा होगा तो उसमें भारत सरकार और ज्यूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के प्रतिनिधि होंगे जिन में सुरक्षा कर्मचारी भी शामिल होंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : सर्वेक्षण के फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं और उन में धातु की कितनी मात्रा है ?

श्री सु० कु० डे : मैं प्रश्न को पूरी तरहसे नहीं समझ सका । खनिजों के साथ मिले धातु की मात्रा क्षेत्र और गहराई पर निर्भर करती है । अतः समूचे देश के लिये कोई विशिष्ट मात्रा बताना असम्भव है ।

डा० म० मो० दास : चूंकि देश में अलोह-धातुओं की अधिक मांग है इसलिये माननीय मंत्री अन्य देश के साथ करार को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिये क्या कर रहे हैं जिससे सर्वेक्षण कार्य बिना अग्रेतर किसी विलम्ब के तुरन्त आरम्भ किया जा सके ।

श्री सु० कु० डे : हम करार को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिये सभी कदम उठा रहे हैं और यह आगामी कुछ ही दिनों में हो जाना चाहिये । इस के अलावा, हम ज्यूलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के विद्यमान कर्मचारिवृन्द तथा उन के विद्यमान साधनों से देश के सभी भागों में, जिहां अलोह-धातुओं के विस्तृत निक्षेप पाये गये हैं, खोज की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर तेज़ी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

पाकिस्तान द्वारा माल जब्त किया जाना

+

*99. **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री ह० च० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 271 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1965 में जो माल पाकिस्तान ने रोक लिया था उसके लौटाये जाने के बारे में स्थिति क्या है ; और

(ख) यदि माल वापिस नहीं किया गया है तो सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) हमारे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पाकिस्तान द्वारा भारत-पाक संघर्ष के दौरान रोके गये माल के काफी बड़े भाग की उस ने खपत कर ली प्रतीत होती है । शेष माल में से सहायता से प्राप्त तथा तटस्थ पार्टियों द्वारा बीमाकृत माल की कुछ खेपें भारत पहुंची हैं ।

(ख) हमारी ओर से बार-बार प्रयत्न करने के बावजूद, माल छुड़ाने के प्रश्न पर पाकिस्तान से सीधी बात करने के मामले में कुछ भी प्रगति करना संभव नहीं हो सका ।

अत: सरकार ने ब्रिटिश बीमाकर्ताओं के साथ उस माल के दावों के निपटान के लिए एक करार कर लिया है जो उन के द्वारा बीमाकृत अथवा पुन: बीमाकृत था और जोकि पाकिस्तान द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा । स्वभावत: यह उस माल के विषय में होगा जिसका बीमा युद्ध के जोखिम के लिए किया गया है ।

श्री हेम बरुआ : क्या ताशकन्द समझौते के अनुसरण में रावलपिंडी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सम्मेलन में रोके हुए माल को छोड़ने के प्रश्न पर विचार किया गया था, यदि हां, तो क्या रोके हुए माल को छोड़ने का कोई निर्णय किया गया था, यदि माल को छोड़ने का निर्णय किया गया था तो उस निर्णय और शेष माल को, जो अब तक छोड़ा जा चुका है, वास्तव में छोड़ने में कितना विलम्ब हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे गये हैं ।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने कहा.....

अध्यक्ष महोदय : यदि चार अथवा पांच प्रश्न एक साथ पूछे जायेंगे तो सही और संक्षिप्त उत्तर देना सम्भव नहीं होगा ।

श्री हेम बरुआ : तब मुझे एक विशिष्ट प्रश्न पूछने दीजिये । मंत्री महोदय ने अभी बताया कि पाकिस्तान के साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करना सम्भव नहीं है । क्या यह सच है कि सरकार को रोके हुए माल को छुड़ाने के लिये पाकिस्तान को लन्दन के माध्यम से कहना पड़ा ?

श्री मनुभाई शाह : रोके गये माल का इतिहास सभा को मालूम है । हम ने यह प्रश्न रावलपिंडी में हुए सम्मेलन में उठाने का प्रयास किया परन्तु हमें सफलता नहीं मिली । तत्पश्चात हम राजनयिक सूत्रों से बातचीत करते रहे और अंततोगत्वा यह समझौता हुआ कि दोनों देश सहायतार्थ माल तथा कुछ रोका हुआ माल छोड़ दें । उत्तर में मैंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि छोड़े जाने वाले माल के 80 प्रतिशत भाग की पाकिस्तान ने पहले ही खपत कर ली है । अतः इसका केवल प्रतिकर ही लिया जा सकता है । हमने बीमाकर्ताओं से प्रतिकर देने के लिये कहा है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह भी सच है कि लन्दन में भारतीय उच्च आयुक्त के कुछ भारतीय अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी जहाज़ से कुछ माल भेजा था वह भी पाकिस्तान ने रोक लिया है, यदि हां, तो क्या हम यह समझें कि लन्दन में अधिकारी द्वारा पाकिस्तानी जहाज़ से भेजे गये और पाकिस्तान द्वारा रोके गये माल का केवल कुछ हिस्सा ही भारत में पहुंचा है ? लन्दन में भारतीय अधिकारी द्वारा यह जानते हुए कि पाकिस्तान भारत का शत्रु है पाकिस्तानी जहाज़ से माल भेजने का क्या कारण था ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो मैं माननीय सदस्य से ही सुन रहा हूं कि किसी अधिकारी ने उन दिनों पाकिस्तानी जहाज़ से कोई माल भेजा था । हम इसकी जांच करेंगे जहां तक रोके गये माल का सम्बन्ध है, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि जिन मामलों में आयातकर्ताओं अथवा निर्यातकों ने अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के जोखिमों के लिये बीमा कर रखा था, उन मामलों में बीमाकर्ताओं से उचित प्रतिकर लिया जाये ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या ताशकन्द समझौते के किसी क्लाज में यह उपबन्ध किया गया था कि पाकिस्तान एकपक्षीय रूप से हमारा 80 प्रतिशत माल छोड़ देगा और यदि नहीं तो क्या भारत सरकार ने यहां पर हो रही घटनाओं की सूचना सोवियत संघ, यूनाइटेड किंग्डम तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों को, जिन्होंने इस समझौते की सराहना की थी, दी है और उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न बहुत व्यापक है । ताशकन्द समझौते के पूर्णतः निष्पादन के सम्बन्ध में भारत सरकार इस में हुई प्रगति अथवा अन्यथा से सभी मित्र देशों को अवगत कराती रही है । इस मामले विशेष में काफी प्रगति हुई है । सिद्धान्त और व्यावहारिक रूप में दोनों देश रोके गये माल के आदान-प्रदान के लिये सहमत हो गये हैं । परन्तु यह सम्भव है कि कुछ माल नष्ट हो जाने वाला अथवा अन्यथा उपभोग्य है । अतः प्रत्येक देश द्वारा जितने माल का उपयोग कर लिया गया है उसका बीमाकर्त्ताओं की मार्फत प्रतिकर दिया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh: Had Government signed any such clause that we would go on honouring the Tashkent Agreement whether Pakistan honours it or not? As you are aware, the Chief Minister of Assam has pointed out in

a statement made by him only yesterday that the Chinese officers are imparting training to Pakistanis in Pakistani camps and hundreds of infiltrators have intruded into Assam. Is it not advisable for the Government to use the impounded cargo of Pakistan after forfeiting it as they are doing?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है । यह केवल माल के सम्बन्ध में है ।

डा० म० मो० दास : हमारे द्वारा रोके तथा लौटाये गये पाकिस्तानी माल का आयातित मूल्य क्या है और पाकिस्तान द्वारा रोके गये तथा न लौटाये गये माल का आयातित मूल्य क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं । परन्तु पाकिस्तान द्वारा लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का सहायतार्थ माल तथा 8 करोड़ रुपये का गैर सहायतार्थ माल रोका गया था और हमने लगभग 3 करोड़ रुपये का कुल माल रोका था ।

Shri Vishram Prasad: May I know the value of cargo impounded by Pakistan and also that of impounded by us? He has just stated that some of the consumable cargo has been consumed by both the countries. May I know the value of the cargo consumed by Pakistan and also the value of that consumed by us?

Shri Manubhai Shah: Only those cargoes have been consumed which could not be preserved and compensation will be paid for the same. The value of these cargoes will be known after the claims are made.

Shri M. L. Dwivedi: I would like to draw the attention of the hon. Minister to this news-item appeared in the papers to-day that Ghana refused to return the representatives of China till China returned their representatives. Similarly, may I know, why Government of India did not retain the cargo of Pakistan till it was ensured that Pakistan would also release our cargo?

Shri Manubhai Shah: There is no question of release and non-release of cargo. The question is that if the cargo which has been impounded and which has been consumed, was insured, compensation will be paid by the country concerned otherwise cargo will be made available.

श्री राम सहाय पाण्डेय : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि पाकिस्तान ने हमारे 80 प्रतिशत माल का उपभोग कर लिया है । यदि वही माल जिसका उपभोग पाकिस्तान ने कर लिया है इस समय खरीदा जाये तो हमें इस के लिये कितना अधिक पैसा देना पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : बीमा माल के मूल्य पर नहीं किया जाता । परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य पहले ही जानते हैं, बीमा बढ़े हुए मूल्य अर्थात स्टर्लिंग के हिसाब से मूल्य पर किया जाता है । बीमाकर्ताओं द्वारा माल का जो मूल्य निश्चित किया जायेगा वह प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा ।

श्री दे० दे० पुरी : कितना प्रतिशत माल बीमाकृत था और उसका कितना मूल्य था ?

श्री मनुभाई शाह : यही बात है जिसमें आयातकर्ता सहायता कर सकते हैं । हमें विभिन्न आयातकर्ताओं तथा निर्यातकों ने कुछ शर्तें भेजी हैं । यदि वे व्यापक हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि लगभग 60 प्रतिशत माल बीमाकृत था और यदि वे व्यापक नहीं हैं तो प्रतिशतता और भी कम होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नये उत्पादों का निर्यात

*93. **श्री रा० बरुआ :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उत्पाद तैयार करने तथा उनका निर्यात करने के लिए भारत में व्यापारियों को प्रोत्साहन दिये गये हैं, ताकि निर्यात से अधिक आय हो; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 16 अगस्त 1966 को एक विवरण सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुक है जिसमें निर्यात के लिये सहायता तथा विकास सम्बन्धी चुने हुए तात्कालिक कार्यक्रमों की रूपरेखा दी गई थी । उसके पश्चात घोषित आयात नीति और उत्पादों के विभिन्न वर्गों के पंजीकृत निर्यातकों के लिये घोषित नगद सहायता से अब निर्यातकों को निर्यात उपार्जन में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) चुने हुए उत्पादों के निर्यात पर नगद सहायता की घोषणा निम्नलिखित रूप में की गई है:—

इंजीनियरी माल के निर्यात पर निर्यात के माल को जहाज पर पहुंचाने तक के मूल्य की 10 से 20 प्रतिशत तक नगद सहायता;

कीटमारक वस्तुओं पर तथा दवाइयों और मध्यवर्ती दवाइयों पर निर्यात के माल को जहाज पर पहुंचाने तक के मूल्य की 15 प्रतिशत तथा अन्य रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों, कागज उत्पादों तथा प्लास्टिक के सामान पर निर्यात के माल को जहाज पर पहुंचाने तक के मूल्य की 10 प्रतिशत की नगद सहायता;

लौह तथा इस्पात की टूट फूट, ऊनी कालीन, कम्बल तथा मोटा ऊनी कपड़ा तथा खेल के सामान के निर्यात पर 10 प्रतिशत की नगद सहायता;

प्राइम इस्पात के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न दरों पर नगद सहायता जो प्राइम इस्पात के कुल निर्यात पर जहाज पर पहुंचाने तक के मूल्य की 15 प्रतिशत की अंतिम सीमा के अंतर्गत होगी;

परिष्कृत खाद्यों के सम्बन्ध में चीनी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में परिष्कृत खाद्यों के बनाने में प्रयुक्त भारतीय चीनी की अपेक्षाकृत अधिक लागत की क्षतिपूर्ति के लिये नगद सहायता ।

माल के उन पंजीकृत निर्यातकों को, जिन्हें आयातित मदों की आवश्यकता होती है, पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन इस प्रकार की सुविधाएं भी दी जायेंगी । 11 अगस्त 1966 को इस सभा के पटल पर मैंने जो विवरण रखा था उसमें तथा तत्पश्चात् सरकार द्वारा किये गये संशोधनों में अधिकांश उपरोक्त ब्यौरे दिये गये हैं ।

बंगलौर स्थित नई गवर्नमेंट इलक्ट्रिकल फैक्टरी

*100. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री दिगे :

क्या **उद्योग** मंत्री 29 जुलाई 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मैसूर सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है कि बंगलौर स्थित राज्य सरकार की नई गवर्नमेंट इलैक्ट्रिकल फैक्टरी के प्रबन्ध को पश्चिम जर्मनी की एक फर्म को सौंप दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी हां ।

(ख) मैसूर सरकार ने अपने इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करना स्वीकार कर लिया है कि कम्पनी में विदेशी नियंत्रण बहुत ही कम है ।

स्कूटरों का निर्माण

*101. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री फिरोडिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्षों में स्कूटरों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे;

(ग) ऐसे कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे;

(घ) क्या वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या स्कूटरों की लागत को कम करने की भी कोई गुंजाइश है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) स्कूटर उद्योग को प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है ।

(ख) से (ग). चौथी योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये विद्यमान एककों का विस्तार करके अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस दिये जाने चाहियें अथवा नये एककों की स्थापना की जाये इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस बीच विद्यमान एककों को पहले ही लगाए गए उपकरणों के द्वारा अधिकतम उत्पादन करने में सहायता दी जाएगी ।

(ङ) वर्तमान स्तर पर (1) एककों के उत्पादन (2) देश में ही खरीदे गये उपकरणों और कच्चे माल के मूल्यों तथा (3) सरकार द्वारा लगाये गये करों को देखते हुए स्कूटरों के मूल्यों में कमी करने की अधिक सम्भावना नहीं जान पड़ती है।

इंडियन इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

*103. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री उमानाथ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन इलैक्ट्रिक वर्कस लिमिटेड कलकत्ता को उसमें कुप्रबन्ध के परिणामस्वरूप उसको वर्तमान संकट से बचाने के लिए अपने नियंत्रण में लेने का विचार है;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार बिना किसी फल के कम्पनी को अनिश्चित काल के लिए छोटे मोटे ऋण और अनुदान निरन्तर देती रहेगी;

(ग) आज तक इस प्रकार दिये गए ऋणों और अनुदानों की कुल राशि क्या है; और

(घ) क्या संयंत्र का आधुनिकीकरण करने और उत्पादन में विविधता लाने की दिशा में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) प्रस्ताव पर अभी भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) सरकार ने कम्पनी को सीधे कोई भी अनुदान या ऋण नहीं दिया है। फिर भी सरकार ने स्टेट बैंक आफ इंडिया कलकत्ता द्वारा दिए गए 60 लाख रु० की राशि के ओवर ड्राफ्ट के लिए गारन्टी दी है।

(घ) कम्पनी के पुनर्गठन के लिए उपायों की सिफारश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशें दिसम्बर 1966 के अंत तक मिल जाने की आशा है।

मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया

*104. **श्री स० मो० बनर्जी**
श्री दाजी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता तथा इससे सम्बद्ध खानों का अधिग्रहण करने के लिए मुआवजे के रूप में लगभग 42 करोड़ रुपया देना है;

(ख) यदि हां तो क्या यह राशि दे दी गई है; और

(ग) क्या इस बारे में बातचीत के आधार पर समझौता हो गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग) मुआवजे का निर्णय करने के सिद्धान्त मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया (निकाय अवप्ति) अध्यादेश 1966 (1966 का संख्या 10) की अनुसूची में दिए हुए हैं। उक्त कथित अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए एक बिल संसद के सामने रखा जा रहा है। इस अवस्था में देय प्रतिकर की मात्रा बतानी सम्भव नहीं। जो बिल अंतिम रूप में संसद् द्वारा पास किया जायगा उसके अनुबंधों के अनुसार देय मुआवजे का निर्णय किया जायगा।

इस्पात जांच समिति

*105. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यश पाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री वासप्पा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० म० मो० दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात जांच समिति के सदस्य कौन-कौन है तथा उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) क्या इसने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) समिति ने अपने कार्य में अब तक कितनी प्रगति की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) से (ग). संभवत: माननीय सदस्यों का संकेत सरकार समिति की ओर है जिसकी नियुक्ति भारत सरकार (लोहा और इस्पात मंत्रालय) के तारीख 12-9-66 के संकल्प संख्या एस०सी० (II)-14/19/66 द्वारा की गई थी। यह संकल्प उसी तारीख के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया था इसमे इस्पात जांच समिति का गठन और निर्देश-पद दिये गये हैं। भारत सरकार ने तारीख 7-10-66 की अधिसूचना संख्या एस०सी० (II)-14(19)/66 द्वारा जो भारत सरकार के तारीख 7-10-66 के असाधारण राजपत्र के भाग II खंड 3 में प्रकाशित हुई थी इस समिति को परिपृच्छा-आयोग अधिनियम 1952 के अधीन कुछ अधिकार दिये हैं। लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि 1951-52 से लेकर जो बड़े बड़े लाइसेंस/परमिट दिये गये हैं उन सब की जांच की जानी चाहिए। अत: काफी आधार सामग्रीय आयात नीतियों से सम्बन्धित जानकारी समय समय पर लागू नियमों/विनियमों को एकत्र करना पड़ेगा। यह सारी जानकारी एकत्र की जा रही है और नवम्बर के पहले सप्ताह में जब समिति की बैठक होगी तो यह सब चीजें उसके सामने रखी जाएंगी।

कच्चे माल के भण्डार (बैंक)

*106. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 2 सितम्बर 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 818 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात उद्योगों की आवश्यकता वाली अत्यावश्यक औद्योगिक सामग्री के भण्डार बनाने के लिए कच्चे माल के एक भंडार (बैंक) की स्थापना करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव का अन्तिम रूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख) : एक योजना जारी की जा रही है जिस में निर्यात सम्बन्धी उत्पादन हेतु निर्माताओं को संभरण के लिये राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न पत्तन कार्यालयों के अपने डिपुओं में आयातित कच्चे माल के स्टाक रखने की व्यवस्था है । इस प्रकार के संभरण का आवंटन पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अंतर्गत निर्माताओं को अनुमत आयात लाइसेन्स देने के स्थान पर किया जायेगा। इन दोनों निगमों को प्रारम्भ में अलौह धातुएं टिन प्लेट कतिपय मोटाई की इस्पात की चादरें कच्ची ऊन कुछ रासायनिक कच्चा माल आदि जैसे सामान के आयात के लिये कुल 3 करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये जायेंगे।

चाय का निर्यात

*107. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बसुमतारी :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री रामेश्वर टांटिया

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले जुलाई-अगस्त के मौसम में उत्तर भारत से चाय का निर्यात गत वर्ष की उसी अवधि में किये गये निर्यात के आंकड़ों की तुलना में 80 लाख किलोग्राम कम हो गया था तथा समूचे देश से वर्ष 1966 में निर्यात बहुत कम हुआ है ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जुलाई-अगस्त 1966 में उत्तर भारत से चाय का निर्यात वर्ष 1965 की उसी अवधि की अपेक्षा 65.3 लाख किलोग्राम कम किया गया था। उन्हीं अवधियों के बीच उत्तर तथा दक्षिण से कुल 27 लाख किलोग्राम निर्यात कम हुआ ।

(ख) तथा (ग) केवल दो मास की अवधि में किए गए निर्यात के रूख से किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है । फिर भी स्थिति पर सतर्कता से निगरानी रखी जा रही है और जब कभी आवश्यक समझा जायेगा उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

Transfer of Contracts of Canteens and Restaurants at Railway Stations

***108. Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that big contractors after taking contracts of canteens and restaurants from the Railway Catering Department often transfer them to small contractors on exorbitant rents;

(b) whether Government have tried to ascertain the position; and

(c) if so, the conclusion arrived at and the action taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). In terms of agreement entered into by Railways with the catering/vending contractors, subletting is strictly prohibited. In cases where subletting is suspected by the Railway Administrations or complaints of subletting are received by them, thorough investigations are made and where subletting is proved, the contracts are terminated.

650—अश्व शक्ति वाले डीजल इंजन

*** 109. श्री महेश्वर नायक :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० वरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले वर्ष अक्तूबर में चितरंजन इंजन निर्माण कारखाने से 650—अश्व शक्ति वाले डीज़ल इंजन बन कर तैयार हो जायेंगे जिन में ईंधन की बचत करने वाले सूरी ट्रांसमिशन लगे होंगे

(ख) इस उद्यम में कितना विदेशी सहयोग लिया गया है ;

(ग) इस से कितनी बचत होने की आशा है ; और

(घ) क्या वाराणसी में बन रहे 2600 अश्व शक्ति वाले रेलवे इंजनों के निर्माण में भी सूरी ट्रांसमिशन प्रणाली को सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी हां । सामग्री प्राप्त करने और कल-पुर्जों के निर्माण आदि का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि पहला इंजन अक्टूबर 1967 तक तैयार किया जा सके । पश्चिम जर्मनी से जो "पावर पैक" मंगाया जा रहा है वह जुलाई 1967 तक मिल जाने की संभावना है ।

(ख) निर्यात किये गये "पावर पैक" से इन रेल इंजनों को बनाने के लिए विदेशों से कोई सहयोग नहीं लिया गया है ।

(ग) इस बात की आशा तो है कि ईंधन की खपत में कुछ किफायत होगी लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ठीक-ठीक कितनी किफायत होगी क्योंकि कुल मिला कर किफायत कई बातों पर निर्भर करती है जैसे कि यह इंजन कैसा काम करेगा उसकी रफ्तार कितनी होगी उसके अनुरक्षणकी क्या समस्याएं होंगी, आदि । समान परिस्थितियों में इसके काम के तुलनात्मक आंकड़े केवल तभी उपलब्ध हो सकेंगे जब निर्माणाधीन रेल इंजनों को उनका परीक्षण करने के बाद कुछ दिनों तक चला कर देख लिया जाये ।

(घ) जी नहीं । 2600 अश्व शक्ति के रेल-इंजन के लिए "सूरी ट्रांसमिशन" का विकास अभी नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में रांक फांस्फेट के निक्षेप

*110. **श्री जं० व० सिं० विष्ट :**
श्री कर्णी सिंह जी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों तथा राजस्थान के जैसलमेर जिला में भारी मात्रा में रांक फास्फेट के निक्षेप मिले हैं ; और

(ख) इन निक्षेपों की मात्रा कितनी है और इनका वाणिज्यिक रूप से निकाला जाना कहां तक व्यवहार्य है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : हां महोदय, उत्तर प्रदेश के मसूरी क्षेत्र में तथा राजस्थान के जैसलमेलर जिले के विरमानिया क्षेत्र में रांक फांस्फेट के निक्षेप पाये गये हैं । इन निक्षेपों की प्रकृति उनके विस्तार तथा व्यवसायिक विदोहन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुसंधान अभी किये जा रहे हैं।

रेलवे गार्ड, स्टेशन मास्टर तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर

*111. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे गार्डों स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की सेवा की शर्तों में सुधार के लिए अभ्यावेदनों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां तो इस समय मामला किस स्थिति में है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया गया है और इस में और अधिक उदारता बरतने का औचित्य नहीं समझा जाता है ।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

*112. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
डा० मा० श्री० अणे :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कपड़ा उद्योग के प्रवक्ता की इस टिप्पणी का पता है कि निकट भविष्य में 100 से अधिक कपड़ा मिलों के बन्द होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि कपड़ा उद्योग में स्थिति और अधिक न बिगड़ने पाये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) सौ से अधिक कपड़ा मिलों के बन्द होने की कोई सम्भावना नहीं है । यह एक अतिश्योक्तिपूर्ण कथन है । बीस से पच्चीस पुरानी मिलें अथवा कारखाने जो कि पुराने और वित्तीय रूप से कमजोर हैं प्रतिवर्ष बन्द रहते हैं ;

(ख) कपड़ा उद्योग की सहायता के लिये सरकार ने हाल में निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) मोटी तथा मध्यम श्रेणियों के कपड़े की नियंत्रित किस्मों की कोरी अवस्था पर मूल उत्पादन शुल्क 1 अक्तूबर 1966 से समाप्त कर दिया गया है ।

(2) भारतीय रुई मिल संघ को अपने बकाया दायित्व पूरे करने के लिये 5 करोड़ रू० का ऋण मंजूर किया गया है ।

(3) जिन मिलों ने कपास की कमी बताई थी उनकी सहायता उन मिलों से जो कि अस्थायी तौर पर अच्छी स्थिति में थी कपास उपलब्ध कराकर की गयी है ।

उन मिलों के बारे में जो कि बन्द हो जाती हैं अथवा बन्द होने वाली होती हैं समय समय पर निम्नलिखित उपाय भी किये जाते हैं :—

(i) उद्योग (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1951 की धारा के अधीन सरकार द्वारा जब आवश्यक हो जांच समितियां नियुक्त की जाती हैं और उक्त अधिनियम की धारा —18—ए के अधीन प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किये जाते हैं।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा अथवा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50.50 के आधार पर दी गयी गारण्टियों पर मिलों को उचित मामलों में केन्द्रीय और राज्य सरकारों अथवा वाणिज्यिक बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण देकर सहायता दी जाती है ।

(iii) जहां सम्भव हो सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की गयी उपयुक्त पार्टियों को आवेदन पत्र पर उन स्थानों पर जहां पुरानी मिलें समाप्त की जाती हैं नयी मिलें लगाने के लाइसेंस दिये जाते हैं।

Railway Public Service Commission in Bihar

***113. Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had given an assurance about the appointment of a Railway Public Service Commission in Bihar during the last Budget Session;

(b) if so, whether it is a fact that the type of the Railway Service Commission which has been set up in Danapur (Bihar) is not in accordance with the assurance given;

(c) whether it is also a fact that the demands of the M.Ps. from Bihar have not been met; and

(d) if so, the steps proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The demands were considered and a Branch office of the Railway Service Commission, Allahabad and Calcutta has been set up at Danapur.

निर्यात

*114. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बासप्पा :
श्री सेझियान :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री ब० कु० दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ राय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
डा० श्रीनिवासन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् भारत से होने वाले निर्यात की स्थिति का पुनर्विलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख): अवमूल्यन के पश्चात् अभी केवल जून जुलाई और अगस्त 1966 के महीनों के लिए निर्यात के आंकड़े प्राप्त हुए हैं । इस अल्पावधि से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

(ग) चूंकि इस समय निर्यात संवर्धन की समस्या का समाधान निर्यात योग्य कृषिगत खनिज तथा औद्योगिक माल के उत्पादन बढ़ाने के है अत: इस प्रयोजन के लिए आवश्यक साधन-सामग्री तथा वित्त जुटाने के उपाय विचाराधीन हैं; दृष्टिगत विस्तृत उपायों में से एक विचार यह है कि निर्याताओं को कृषिगत कच्चे माल के उत्पादन के क्षेत्र में प्रविष्ट होने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये ।

16 अगस्त 1966 को सभा पटल पर वाणिज्य मंत्री द्वारा रखे गये उस विवरण की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिस में निर्यात में सहायता देने तथा उसे विकसित करने सम्बन्धी चुने हुए कार्यक्रम दिये गये थे ।

अगले वर्ष के शुरू में परिस्थितियां स्थिर हो जाने पर योजना आयोग तथा सरकार का वस्तुवार तथा देशानुसार निर्यात लक्ष्यों के व्यापक रूप से पुनर्विलोकन करने का विचार है ।

रेलवे स्टेशनों पर हिंसात्मक तथा विनाशकारी कार्यवाहियां

115. **डा० कर्णी सिंहजी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों पर हो रही हिंसात्मक तथा विनाशकारी कायवाहियों को ध्यान में रखते हुए जो देश के कई भागों में बढ़ रही प्रतीत होती है, गुंडों की इन गतिविधियों को तथा इस राष्ट्रीय हानि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : रेलवे परिसर में कानून और व्यवस्था बनाये रखने और रेल सम्पत्ति तथा यात्रियों की जान और उनके माल की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य सरकार की रेलवे पुलिस की है । गुंडागर्दी और गाड़ियों तथा रेलवे परिसरों पर आक्रमण करने वाली और रेल सम्पत्ति नष्ट करने वाली भीड़ से निबटने के लिए राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है । 20 जुलाई, 1966 को नयी दिल्ली में रेल मंत्री ने मुख्य मंत्रियों के साथ और 19 जुलाई, 1966 को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने मुख्य सचिवों के साथ इस मामले पर विचार विमर्श किया और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि उपद्रवियों और गुण्डागर्दी से यात्रियों की जान और उनके माल तथा रेल कर्मचारियों और रेल सम्पत्ति की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी ।

उपभोक्ता वस्तु उद्योग

*116. **श्री दाजी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार की बड़े पैमाने पर उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में प्रवेश करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) चौथी पंच-वर्षीय योजना में सरकार का कौन से उपभोक्ता वस्तु उद्योग आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) इस योजना पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (घ) : चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा का मसौदा संसद् में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के विकास के लिये कार्यक्रम का विस्तृत ब्योरा दिया हुआ है । अनुमान है कि चौथी योजना में राज्य क्षेत्र समेत सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के विकास के लिये लगाई जाने वाली पूंजी की राशि (कागज तथा सीमेंट के अलावा) 82 करोड़ रुपये होगी । राज्यों के क्षेत्र के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । उपभोक्ता वस्तु उद्योग के वे प्रमुख क्षेत्र जिन में सरकारी क्षेत्र में पूंजी लगाने का अनुमान है वे औषधि तथा भेषज, वस्त्र, नमक, कागज़ और सीमेंट हैं ।

बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर दुर्घटना

*117. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बसुमतारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 सितम्बर, 1966 को बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर एक स्थानीय रेलगाड़ी टक्कर-रोक (बफर) से टकरा गई ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ग) इस दुर्घटना से रेलवे की कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दुर्घटना 17-9-1966 को हुई ।

(ख) इस दुर्घटना में किसी की मत्यु नहीं हुई, लेकिन 5 व्यक्तियों को चोटें आयीं ।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 33,000 रु० का नुकसान हुआ ।

नेपाल को बिस्कुटों का निर्यात

*118. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री ब० कु० दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री मणियंगाडन :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारत से नेपाल को भेजे जाने वाले बिस्कुट बड़ी मात्रा में चीन भेज दिये जाने हैं;

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) भारत से नेपाल को औसतन प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में बिस्कुटों का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में भारत से नेपाल को क्रमशः 5 लाख रु०, 8 लाख रु० और 18 लाख रु० के बिस्कुटों का निर्यात किया गया ।

इस्पात उत्पादों के निर्यात के लिय राजसहायता

*119. **श्री लीलाधर कटकी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री रा० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादकों के निर्यात के लिए दी जाने वाली राजसहायता की राशि बढ़ा दी है;

(ख) क्या यह सच है कि जिन उत्पादों पर राजसहायता मिल सकती है, उनकी सूची में वृद्धि की जायेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत भारी राजसहायता के जरिये अत्यधिक प्रतियोग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पांव जमा सकने की आशा कर सकता है; और

(घ) इस्पात उत्पादों के निर्यात के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) इस्पात मण्डियों में बहुत अधिक होड़ है । लागत में कमी करके स्पर्धी मूल्यों पर इस्पात बेचने के लिए पूरे प्रयत्न किये जा रहे हैं । निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी अनुज्ञेय उपाय किये जाते हैं । इन उपायों को विस्तार से बताना राष्ट्र-हित में नहीं है ।

(घ) रेल की पटरी और दूसरी वस्तुओं के निर्यात की संभाव्यता का पता लगाने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लि० के एक शिष्ट मण्डल ने हाल में पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों का दौरा किया है । हमारे दूतावास और उच्च आयुक्त निर्यात के आर्डर प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं । निर्यात में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक इस्पात-निर्यात समिति बनाई गई है । इस्पात निर्यातक संस्था की इस्पात का निर्यात बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं । इन सभी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हम इस वर्ष में 95,000 टन अच्छी किस्म का इस्पात बाहर भेज चुके हैं । अकेले हिन्दुस्तान स्टील लि० ने इस वर्ष 150.000 टन कच्चा लोहा और 112,000 टन इस्पात निर्यात करने के लिए पक्के करार किये हैं जिसका कुल मूल्य 10 करोड़ रुपये के लगभग बैठता है ।

रूरकेला में निर्मित लोहे की पाइपों का निर्यात

*120. डा० म० मो० दास :
डा० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये तीन नये इस्पात कारखानों में से रूरकेला इस्पात कारखाना सब से अधिक विदेशी मुद्रा उपार्जित कर रहा है; और

(ख) क्या आस्ट्रेलिया, जापान तथा मध्य-पूर्व के देशों सहित विभिन्न देशों को, इस कारखाने में तैयार किये गये लोहे के पाइपों को बड़ी मात्रा में निर्यात करने की व्यवस्था की जा रही है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) मार्च 1966 के अंत तक सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों में से भिलाई इस्पात कारखाने ने सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाई है और उसके बाद क्रमशः दुर्गापुर और राउरकेला आते हैं।

(ख) जी, हां। हाल ही में कुवैत के 8-5/8 इंच बाहरी व्यास के 3500 टन पाइप, जिनका मूल्य 3.7 मिलियन रुपये होता है, के निर्यात के लिए एक करार किया गया है। दूसरे देशों को जिनमें आस्ट्रेलिया, मिडल-ईस्ट के देश आदि शामिल हैं—अधिक निर्यात करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

हथकरघा उद्योग

429. श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे के मूल्यों के बढ़ जाने और हथकरघा माल की मांग कम हो जाने के कारण हथकरघा उद्योग में उत्पन्न हुए संकट के बारे में सरकार को सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, गत तीन वर्षों में धागे के मूल्यों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है;

(ग) क्या अवमूल्यन के पश्चात् इसके मूल्यों में बड़ी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस संकट को दूर करने के लिए हथकरघा उद्योग की सहायता हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7210/66 ।]**

(घ) (1) धागे के मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक तदर्थ समिति भी स्थापित की गई है जिसमें कपड़ा मिलों, हथकरघा तथा शक्ति-चालित करघा संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मूल्यों को उचित सीमाओं तक, जोकि उत्पादन लागत की दृष्टि से न्यायसंगत हों, नीचे रखने के हेतु उद्योग द्वारा आवश्यक नियंत्रण रखा जाये।

(2) हथकरघा वस्त्रों के इकट्ठे हो रहे विद्यमान स्टाक को निकालने के विशेष उपाय के रूप में उनकी इच्छानुसार एक महीने के लिये हथकरखा वस्त्रों की सभी वास्तविक खुदरा बिक्री पर एक रुपये के पीछे पांच पैसों की विशेष अतिरिक्त छूट देने की राज्य सरकारों को अनुमति दे दी गयी है। जोकि प्रतिवर्ष सामान्यत: पन्द्रह दिनों के लिये दी जाने वाली विशेष अतिरिक्त छूट के अलावा होगी।

औद्योगिक बस्तियां

430. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के हेतु विभिन्न राज्यों के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) सहकारी औद्योगिक बस्तियों की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7211/66]**

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाना

432. **श्री लाखन दास :**
श्री मधु लिमये :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने के निर्माण/स्थापना व चालू होने में विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा ठेके/ठेकों के निष्पादन में किया गया विलम्ब इस देरी के लिये जिम्मेदार है;

(ग) क्या उक्त ठेकेदार/ठेकेदारों को यह ठेका/ठेके मंत्री महोदय की सिफारिश/हस्तक्षेप पर दिये गये थे;

(घ) क्या यह समवाय के चेयरमैन/मैनेजर/डायरेक्टरों की आपत्ति के बावजूद किया गया जब कि उक्त ठेकेदार/ठेकेदारों को इस प्रकार के निर्माण/स्थापना कार्य का अनुभव नहीं था और न ही उनके कथित मूल्य प्राप्त कथित मूल्यों में सबसे कम थे;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है;

(च) जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(छ) यदि उपरोक्त भाग (ङ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (छ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पर रख दी जाएगी।

ऊनी माल के दामों में वृद्धि

433. **श्री लाखन दास :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के मुख्य आयुक्त को मैसर्स आर० एस० माधोराम एण्ड सन्स फर्म के कर्मचारियों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उस फर्म ने अवमूल्यन के पश्चात ऊनी कपड़े के अपने पुराने स्टाक के मूल्यों में भी वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या यह फर्म उस स्टाक के माल की मूल्य सूची में दी हुई दरों से बहुत ऊंची दरों पर उस माल को बेच सकती है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या पुराने स्टाक के मूल्य जांच पड़ताल के दौरान तथा उसके बाद और बढ़ा दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैसी) : (क) माधोराम एण्ड सन्स कर्मचारी संघ ने इस फर्म द्वारा ऊनी माल के मूल्यों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को एक अभ्यावेदन भेजा था ।

(ख) से (ङ). मामले की जांच की गई है और पता चला है कि पुराने स्टाक के मूल्यों में फर्म द्वारा कोई अनुचित वृद्धि नहीं की गयी है । ऊनी वस्त्रों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

ऊनी माल के मूल्य

434. **श्री लाखन दास :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारीवाल और लालइमली मिलों ने अपने माल के मूल्य 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिये हैं;

(ख) क्या मूल्य की यह वृद्धि केवल आयातित ऊन से बनने वाले माल के मूल्य में ही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह मूल्य-वृद्धि कानून के अन्तर्गत की जा सकती है अथवा यह मूल्यों को बढ़ने से रोकने के बारे में सरकार की घोषित नीति के अन्तर्गत आती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) से (घ). इस समय ऊनी कपड़े के मूल्यों पर कोई नियत्रण लागू नहीं है । पता लगा है कि धारीवाल तथा लाल इमली मिलों ने अपने कुछ उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिये हैं । मूल्यों की इस वृद्धि का एक कारण अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित ऊन के मूल्यों में वृद्धि भी है ।

मद्रास में अपरिष्कृत काफी की कमी

436. **श्री सेझियान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास में पिछले तीन मास से अपरिष्कृत काफी की कमी की स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) मद्रास नगर तथा राज्य में इस वर्ष अपरिष्कृत काफी के कम मात्रा में उपलब्ध होने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख). वास्तव में काफी की कोई कमी नहीं है। तमाम किस्मों की काफी बाजार में आसानी से मिल जाती है। फिर भी हो सकता है कि इस वर्ष कम फसल होने तथा मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण बागान पी०बी० काफी की जिसकी मद्रास में विशिष्टतया अधिक मांग है, कुछ कमी हो। काफी बोर्ड के प्रचार विभाग द्वारा चलाये जा रहे डिपुओं पर बिक्री के लिये दी गई काफी अपेक्षाकृत सस्ती है। इसलिए इन डिपुओं पर काफी की मांग बहुत अधिक है। शायद इस अधिक मांग के कारण कुछ समय के लिये मद्रास में अपरिष्कृत काफी की कमी की भावना पैदा हो गई थी।

(ग) निम्न उपाय किये गये हैं:—

(1) मद्रास में डिपुओं के द्वारा बिक्री के लिये 120 मे० टन बागान पी०बी० काफी विशेष रूप से दी गई है और इस माध्यम द्वारा काफी के नियमित वितरण के लिये कदम उठाये गये।

(2) अगस्त के बाद प्रति उपभोक्ता के लिये एक समय में बागान पी० बी० की मात्रा आधा किलो से बढ़ा कर एक किलो कर दी गई।

(3) 1 सितम्बर से मद्रास राज्य में स्थानीय बिक्री केन्द्रों तथा मद्रास शहर के अन्य केन्द्रों पर बेची जाने वाली मात्रा बढ़ाकर 18 मे० टन मासिक कर दी गई।

(4) मद्रास में विभागीय भण्डारों को तदर्थ आधार पर माल देने का प्रबन्ध भी किया जा रहा है।

तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात

437. **श्री ब० कु० दास :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन से तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ तैयार किये गये; और

(ग) देश में तैयार खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तैयार खाद्य पदार्थों के निर्यात की मुख्य मदें ये हैं: फल तथा सब्जी उत्पाद-शुष्कित, परिरक्षित, निर्जलित तथा जमे हुए; आचार—सभी किस्मों के रस; गूदे, परिरक्षित आहार, पगे तथा दानेदार पगे फल; मुरब्बे तथा अवलेह; मिष्ठान; बिस्कुट; निशास्ता

तथा इसके व्युत्पन्न; तरल ग्लुकोज तथा डेक्सट्रोज; कोका कोला सांद्रण; डेयरी उत्पाद जिनमें माल्ट मिश्रित दूध के उत्पाद शामिल हैं; ग्वार गौंद।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 7212/66]

(ग) (1) तैयार खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिये नये क्षेत्र ढूंढ़े जा रहे हैं और उत्पादन लाइसेंस दिये जा रहे हैं।

(2) निर्यात के लिये बढ़ाये गये उत्पादन के लिये आवश्यक मशीनें, कच्चा माल तथा फालतू पुर्जे उदारता से दिये जा रहे हैं।

(3) तैयार खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिये चीनी का संभरण शीघ्रता से किया जा रहा है। निर्यात के लिये आवश्यक चीनी की मात्रा को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर दिये जाने का प्रस्ताव है।

(4) संवेष्टित खाद्य उत्पादों के डिब्बों के प्रर्याप्त संभरण को सुनिश्चित करने के लिये ऊपर से खुले परिशोधित डिब्बों का एक प्राथमिकता उद्योग के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

438. **श्री नि० रं० लास्कर**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में गत कुछ महीनों में सीमेंट की भारी कमी रही है;

(ख) क्या यह सभी सच है कि अधिकतर मिलावटी सीमेंट बेचा जा रहा है तथा सीमेंट के काले बाजार में भी वृद्धि हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग). जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 1966 में दल्ली को भेजा गया कुल सीमेंट 1965 की इसी अवधि में भेजे गए कुल सीमेंट से काफी अधिक था। इस अवधि में स्टाकिस्टों को पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चार गुना सीमेंट मिला है। सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन ने दिल्ली में सभी छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए 1 अगस्त, 1966 से एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। बताया जाता है कि अगस्त और सितम्बर, 1966 के दौरान कुल 1133 पार्टियों द्वारा सहायता के लिए इस अधिकारी से सम्पर्क किया गया था तथा उन सभी के लिए अपेक्षित परिमाण में आवेदन आदेश जारी कर दिए गये हैं। दिल्लीमें बिक्री तथा हाट व्यवस्था एजेन्ट के किसी भी अधिकृत स्टाकिस्ट द्वारा मिलावट किये जाने की कोई भी सूचना नहीं मिली है। कुछ अधिकृत विक्रेता दिल्ली में मिलावटी सीमेंट बेचते हुए पाए गए तथा उन के विरुद्ध विशेष पुलिस विभाग कार्यवाही कर रहा है। सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन समाचार-पत्रों में विज्ञापन के द्वारा उपभोक्ताओं को यह परामर्श दे रहा है कि वे केवल अधिकृत स्टाकिस्टों से ही सीमेंट प्राप्त करें और उसके लिए अधिक मूल्य न दें तथा सहायता के लिए विशेष कार्याधिकारी से सम्पर्क करें।

बेलापुर के कारखाने से रेलव सामान की बरामदगी

439. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18-9-1966 को रेलवे सुरक्षा दल ने थाना (बम्बई) के निकट बेलापुर के कारखाने से रेल की पटरी का चार टन माल पकड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 17-9-1966 को हुई थी ।

(ख) सूचना मिलने पर, मध्य रेलवे के सुरक्षा दल की अपराध आसूचना शाखा ने तालुका पुलिस थाना की सहायता से 17-9-1966 को मेसर्स लाखाने इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड, बेलापुर रोड, थाना के कारखाने पर छापा मारा और 4 टन रेलवे का सामान बरामद कर लिया, जिसका यूल्य लगभग 1200 रुपये है। पुलिस ने रेल भंडार (गैर कानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच की जा रही है।

Prices of Imported Goods

440. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 443 on the 12th August, 1966 and state:

(a) whether Government have taken any decision to increase the prices of imported raw materials and indigenously manufactured components with some import content;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time by which decision is likely to be taken in this regard?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) to (c). It has since been decided to allow increases due to the impact of devaluation on the prices of imported raw materials and the prices of indigenously bought out components with some import content also, after careful examination of each case. The actual increases so far allowed on these accounts are as shown below:—

Name of vehicle	Amounts of increase allowed on account of	
	Imported raw material	Indiyenously bought out components with some import content
	Rs.	Rs.
Hindustan Ambassador Car ..	647	180
Fiat 1100 car ..	565	200
Standard Herald car ..	235*	167
Willy's Jeep ..	—	180

*To be given effect to from the date the manufacture produce and sell 1176th car from the date of devaluation.

Name of vehicle	Amounts of increase allowed on account of Imported raw material	Indiyenously bought out components with some import content
	RS	RS
TMB Truk chassis	747	
TMB Bus chassis	625	
TMB Tipper chassis	688	
TMB Heavier Model		774
Truck chassis	921	
Bus chassis	782	—
Dodge Kew Truck chassis Diesel	711	—
Dodge Kew Bus chassis Diesel	683	410
Dodge Kew Petrol chassis	773	
Dodge short wheel base chassis	433	—
Meadows Engine	39	—
Perkins Engine	—	172
Bedford Truck chassis	593	364
Bedford Bus chassis	228	
Standard 1-ton truck chassis	167	—
Leyland chassis	—	832

उद्योगों में विदेशी सहयोग

441. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सचिवों की समिति को उद्योगों में विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या थे तथा उक्त समिति को क्या विशिष्ट मामले सौंपे गये थे अथवा समिति ने किन-किन मामलों पर विचार किया; और

(ग) क्या इस पुनरीक्षण भविष्य के लिये कोई नीति निर्धारित किए जाने अथवा पूर्वोपाय किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों में विदेशी सहयोग के जिन मामलों के लिये स्वीकृति दी गई थी उनकी समीक्षा अभी हाल ही में की गई थी। उस से यह पता लगा था कि सहयोग बहुत कुछ उन क्षेत्रों में किये गये थे जिन्हें आवश्यक समझा गया था और फिलहाल नीति पर पुन: विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

औषधियों का एकस्व अधिकार

443. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों के एकस्व अधिकार के भुगतान के लिये प्रत्येक वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है;

(ख) कितनी औषधियां ऐसी हैं जिनके लिए भारत को उनके एकस्व अधिकार के लिये विदेशों को भुगतान करना पड़ता है; और

(ग) ऐसे भुगतान को घटा कर कम से कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). सहयोग करने वाली विदेशी कम्पनियों को जितना भुगतान किये जाने की अनुमति है उसमें तकनीकी जानकारी, विशिष्ट विवरण, इंजीनियरी के खाके आदि शामिल हैं। इनमें पेटेंट अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए जहां, इस प्रकार का इस्तेमाल करने की आवश्कयता हो, भुगतान करना शामिल है, किन्तु इस प्रकार की राशि का उल्लेख अलग नहीं किया जाता । अनेक तकनीकी सहयोग संबंधी करारों में वे उत्पादन भी शामिल हैं जिनका पेटेंट नहीं कराया जाता। अतः औषधियों के लिए विशेष रूप से पेटेंट अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए विदेशी मुद्रा में किये गये भुगतान की राशि बता सकना संभव नहीं है और न उन वस्तुओं की संख्या बता सकना संभव है जिनके लिए भारत विदेशियों को औषधियों के पेटेंट अधिकारों के लिए भुगतान करता है ।

(ग) भारत में निर्माण करने वाला कारखाना स्थापित करने के लिए प्रत्येक विदेशी कम्पनी के साथ किये गये तकनीकी सहयोग के प्रत्येक प्रबंध में जिसमें विदेशी मुद्रा के भगतान का प्रश्न आता है, उसकी भारत सरकार द्वारा पूर्व जांच और उसकी सहमति की आवश्यकता होती है। इस जांच में इन बातों का सुनिश्चय होता है :—

(1) अपेक्षित जानकारी भारत में उपलब्ध नहीं है और वह विदेश से ही प्राप्त की जानी है; और

(2) पेटेंट अधिकार तथा जानकारी आदि के इस्तेमाल के लिए विदेशी मद्रा में कम से कम भुगतान किया जाय और जो प्राप्त की जाने वाली तकनीकी जानकारी एवं सहायता के अनुरूप ही हो।

उत्तर प्रदेश में केबल फैक्टरी

444. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली में एक केबल फैक्टरी स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित की जायेगी; और

(ग) उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया): (क) से (ग). लगभग 10 करोड़ रु० की अनुमानित लागत (बस्ती के खर्च को निकाल कर) पर एक दूसरी केबल फैक्टरी स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

इस कारखाने को स्थापित करने के स्थान के बारे में सलाह देने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर ही इस कारखाने के स्थान के बारे में अंतिम रूप से निर्णय किया जायेगा।

बरेली के निकट मालगाड़ी को लूटने का प्रयास

445. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 सितम्बर, 1966 को बरेली से 15 मील दूर धनेता रेलवे स्टेशन के बाहर एक मालगाड़ी को लूटने का प्रयास समय पर रेलवे पुलिस के आ जाने के कारण विफल कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन यह घटना 6-9-1966 को हुई।

(ख) रेलवे सुरक्षा पुलिस दल और सरकारी रेलवे पुलिस की भारी कोशिश से एक संदिग्ध व्यक्ति को देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि उसने यह मान लिया है कि वह अपराध में शामिल था और उसने अपने अन्य साथियों के नाम भी बतलाये हैं। इसके फलस्वरूप दो और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली की सरकारी रेलव पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307/332/148 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत अपराध संख्या 243 के रूप में मामला दर्ज कर लिया है और सरगर्मी के साथ इसकी जांच की जा रही है।

शाहदरा रेलवे स्टेशन के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

447. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह
श्री रामसेवक यादव :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 सितम्बर, 1966 को शाहदरा रेलवे स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी के सात डिब्बे पटरी से उत्तर जाने के कारण दिल्ली और गाजियाबाद के बीच रेलगाड़ियों का आना जाना पांच घंटे से अधिक समय तक बन्द रहा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) इस दुर्घटना के कारण यदि रेलवे की सम्पत्ति और जान की हानि हुई है, तो कितनी ; और

(घ) क्या कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) जांच-समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) (i) रेल-सम्पत्ति को हानि—लगभग 17,403 रुपये ।

(ii) जन-हानि—कुछ नहीं ।

चमड़े का सामान बनाने का उद्योग

448. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़े का सामान बनाने के उद्योग के लिए एक विकास परिषद् की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो यह परिषद् कब स्थापित की गई थी ; और

(ग) इस परिषद् के सदस्य कौन-कौन हैं और इस योजना के विकास पर कुल कितनी लागत आई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) विकास परिषद् की स्थापना दिनांक 9 सितम्बर, 1966 के आदेश के अनुसार की गई थी जो भारत के राजपत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 1966 में प्रकाशित किया गया था ।

(ग) परिषद् के सदस्यों के ब्योरे का एक विवरण साथ में नत्थी है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7213/66]** । परिषद् के कार्यों पर 40,000 रुपये वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया गया है ।

बिना टिकट यात्रा

449. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री क० ना० तिवारी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में (जोनवार) 7 सितम्बर, 1966 से 30 अक्तूबर, 1966 तक की अवधि में कितने व्यक्तियों ने बिना टिकट यात्रा की ; और

(ख) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) एक बयान साथ नत्थी है जिस में उन लोगों की संख्या बतायी गयी है जो 7 सितम्बर, 1966 से 30 सितम्बर, 1966 की अवधि में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये थे । 1 अक्टूबर, 1966 से 30 अक्टूबर, 1966 की अवधि से सम्बन्धित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7214/66]**

(ख) टिकटों की जांच के लिए जो सामान्य व्यवस्था है, उसके अलावा बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिये निम्नलिखित विशेष उपाय किये गये हैं :

उड़न-दस्तों की सहायता से टिकटों की अचानक कड़ी जांच, स्टेशनों के बीच रास्ते में गाड़ी रोक कर जांच, मौके पर संकेन्द्रित और खण्डीय जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, अफसरों

द्वारा जांच और बिना टिकट यात्रा आदि के लिए कुछ बदनाम खंडों पर तीसरे दर्जे के हर डिब्बे में एक चल टिकट परीक्षक और रेलवे सुरक्षा दल के दो रक्षकों की तैनाती ।

पांचवां इस्पात कारखाना

450. **श्री ब० कु० दास :** **डा० म० मो० दास :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री कोल्ला वेंकया : **श्री मि० सु० मूर्ति :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अस्थायी निर्णय किया गया है कि यह प्रस्तावित कारखाना कहां लगाया जाये ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) चौथी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में दो नये इस्पात कारखानों के स्थलों पर प्रारम्भिक कार्य के बारे में अस्थायी रूप से पहले ही व्यवस्था कर ली गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

एशियाई साझा बाजार

451. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई साझा बाजार के प्रश्न पर चर्चा अभी तक 'अस्पट और अपूर्ण अवस्था' में ही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) जी, हां । एशियाई प्रदेश, जिसका भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत है, के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पद्धतियों और आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के विभिन्न स्तरों वाले अनेक देश आते हैं। यूरोप की तुलना में,

जहां विभिन्न देशों के आर्थिक विकास का स्तर पहले ही ऊंचा है और व्यापारिक प्रतिबन्धों के हटाने से साधनों का और अधिक सुचारू उपयोग किया जा सकता है, अधिकांश एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अभी उसी व्यवस्था में हैं, जहां वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिये केवल व्यापारिक बाधाओं को दूर करना ही पर्याप्त नहीं है । इन कारणों से यह विचार है कि एशियाई देशों के लिये फिलहाल यूरोपीय साझा बाजार अथवा निर्बाध व्यापार क्षेत्र जैसे प्रादेशिक सहयोग के लिये और अधिक जोरदार तथा औपचारिक किस्म का समझौता करना सम्भव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तिरुनेलवेल्ली-कन्या कुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन

452. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **रेलवे** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 798 के उत्तर के सबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनेलवेल्ली-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन के सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इस परियोजना को चतुर्थ योजना में कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) सर्वे की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है ।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता ।

उपभोक्ता वस्तु निगम

453. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 29 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 147 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात में विशेषता प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या सरकारी क्षेत्र में एक उपभोक्ता वस्तु निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय मेले तथा प्रदर्शनियां

454. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुबोध हंसदा : **डा० म० मो० दास :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भारत ने विदेशों में कितने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा कितनी प्रदर्शनियों में भाग लिया ;

(ख) क्या उन मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले गैर-सरकारी उद्योगपतियों का खर्च भारत सरकार ने उठाया था ;

(ग) यदि हां, तो कितना धन खर्च किया गया था ; और

(घ) प्रदर्शित की गई भारतीय वस्तुओं में से कौन-कौन सी वस्तुएं सब से अधिक आकर्षक थीं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत सरकार ने जिन अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया या जिनका आयोजन किया उनकी संख्या 82 थी ; इसके अतिरिक्त व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद्, राज्य व्यापार-निगम, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों आदि ने भी कुछ व्यापार-कार्यक्रमों में भाग लिया अथवा उनका आयोजन किया था।

(ख) तथा (ग) तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में उपर्युक्त 82 प्रदर्शनियों को आयोजित करने में सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 2,63,96,957 रु० था। इस में प्रदर्शित की गई उन अधिकांश मदों की लागत शामिल नहीं जो भाग लेने वाली फर्मों द्वारा खेप के आधार पर अथवा मुफ्त वितरण के लिये भेजी गई थीं। अन्य संस्थाओं द्वारा किये गये खर्चों का विवरण उपलब्ध नहीं है। भाग लेने वाली फर्मों ने विदेशों में हुई प्रदर्शनियों में अपने प्रतिनिधियों को भेजने पर तथा भारत के भीतर अपने माल के आन्तरिक परिवहन पर व्यय स्वयं किया था।

(घ) अपरम्परागत मदों जैसे हल्के तथा मध्यम इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादों, मशीनी औजारों, लोहे की वस्तुओं, भेषजों, कागज उत्पादों, फर्श बिछावनों, जूतों, हस्तशिल्प की वस्तुओं, डिब्बाबंद उत्पादों, कुछ प्रकार के वस्त्रों आदि ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया था।

पन्ना में हीरे की खान

455. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद पन्ना में हीरों की खानों से निकाले गये हीरों का कुल मूल्य सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी से बहुत कम रहा है, विशेषकर जब कि गैर-सरकारी खानों के मालिकों ने उन के द्वारा लगाई गई पूंजी से कई गुना अधिक मूल्य के हीरे निकाले हैं ; और

(ख) क्या इस स्थिति को ठीक करने के लिए कोई उपाय करने का विचार है ताकि खानें लाभदायक ढंग से चलाई जाएं और वे खोज करने के तर्क का आश्रय लेकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त न हो सकें ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) : (क) पन्ना की हीरा खनन परियोजना अभी उत्पादन के वाणिज्य स्तर तक नहीं पहुंची है जब कि उस से नियोजित पूंजी की लगातार वापसी की आशा की जा सके।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने रामखेड़िया तथा मझगवान में पूर्वेक्षण की उपेक्षा छोटे पैमाने पर खनन का काम हाथ में लिया है ।

जूट की वस्तुओं का निर्यात

456. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन द्वारा बार-बार की गई इस आशय की स्पष्ट शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण विदेशों में जूट के बोरों के बाजारों में हमारा व्यापार कम हो गया है और पाकिस्तान का व्यापार बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रुपये के अवमूल्यन से जूट की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा क्यों नहीं मिला ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) यद्यपि यह सच है कि जून से सितम्बर, 1966 से विभिन्न स्थानों को जूट के माल का निर्यात 1965 की उसी अवधि में हुये कुल निर्यात की तुलना में कम हुआ है तथापि कुछ स्थानों को किन्हीं मदों का अधिक निर्यात और अन्य कुछ स्थानों को कम निर्यात हुआ है। वास्तव में निर्यात में गिरावट अवमूल्यन से भी पहले आरम्भ हो चुकी थी । अतः यह प्रवृत्ति मिश्रित है और इसके विभिन्न कारण हैं और एक मात्र अवमूल्यन को ही इसका कारण नहीं माना जा सकता । उदाहरण के रूप में इस अवधि में कच्चे जूट की कमी और परिणामतः ऊंचे मूल्यों का होना एक मुख्य कारण था । व्यापार के स्थापित स्वरूप में भी कुछ अस्थायी गड़बड़ी हुई क्योंकि परिवर्तित स्थिति का सामना करने के लिये विस्तृत समंजन करने पड़े ।

सरकार स्थिति पर निरन्तर ध्यान देती रहती है और समुचित कार्रवाई की गई है और की जाती रहेगी ।

दुर्गापुर में धमन भट्टी का बन्द होना

457. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भट्टी संख्या 1 को तीन महीने के लिए बन्द कर दिया गया है ;

(ख) कच्चे लोहे के उत्पादन पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्षतिग्रस्त कोक भट्टी सन्यन्त्र की मरम्मत करने तथा उसे फिर से चालू करने के सम्बन्ध में यदि कोई प्रगति हुई है तो कितनी; और

(घ) क्या इस क्षति के कारणों की कोई जांच की गई है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 9 सितम्बर, 1966 से दुर्गापुर इस्पात कारखाने की धमन भठ्टी नं० 1 को पुनिश्चित करने का काम जारी है। दिसम्बर, 1959 से जब से यह भट्टी उत्पादन कर रही है इसे पहली बार पुनिश्चित किया जा रहा है। पुनिश्चित कार्यक्रम एक सामान्य बात है।

(ख) जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक इस भट्टी से कोई उत्पादन नहीं होगा और उस कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने का गर्म धातु का उत्पादन कम रहेगा।

(ग) और (घ). सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है जो इस बारे में भी सिफारिश करेगी कि पूर्ण और कुशल संचालन प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें।

रेलवे विद्युतीकरण परियोजना से सम्बन्धित कर्मचारियों की छंटनी

458. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त और सितम्बर, 1966 में रेलवे विद्युतीकरण परियोजना से छंटनी किये गये सभी कर्मचारियों को दूसरी जगह रोजगार दे दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से कितने लोगों को अभी रोजगार देना बाकी है ; और

(ग) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्माण पर्यवेक्षक 18
सामग्री पड़तालकर्ता 23
नैमित्तिक मजदूर 258

(ग) (1) उनसे कहा गया है कि राउरकेला दुर्ग खण्ड पर काम करने के लिए अपना नाम दें।

(2) पूर्व रेलवे में रेल-पथ से सम्बन्धित काम पर नियुक्ति के लिए नैमित्तिक मजदूरों के नाम भी प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

(3) चालू रेलों में रखे जाने के लिए अपेक्षित अर्हता वाले निर्माण पर्यवेक्षकों और सामग्री पड़तालकर्ताओं की छानबीन करने के लिए छानबीन समिति बनायी गयी है।

रेलवे दुर्घटनाएं

459. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
डा० म० मो० दास :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री हेम बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मन्त्री 19 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ती हुई रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्यवाही का मुख्य ब्यौरा क्या है और उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मजदूरों की संस्थाओं से भी परामर्श किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो दूसरे क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) डा० हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में नियुक्त रेल दुर्घटना समिति 1962 की सिफारिशों के अनुसार क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में संरक्षा संगठन का काम कर रहे हैं। संरक्षा संगठन कर्मचारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उनमें संरक्षा नियमों के अनुसार काम करने की आदत डाल रहे हैं और संरक्षा के अन्य उपायों को आगे बढ़ा रहे हैं। रेल दुर्घटना समिति 1962 और अन्य समितियों तथा सम्मेलनों आदि द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों पर अमल करने की ओर भी ये संगठन ध्यान दे रहे हैं।

रेल दुर्घटना समिति 1962 ने कहा है कि भारतीय रेलों में अधिकांश दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुईं। कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति और अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से रेलों में बहुमुखी अर्थात शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक तकनीकी और दण्डात्मक अभियान चलाया गया है।

(ख) जी हां उनसे सहयोग देने को कहा गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

माधोपुर स्टेशन पर तेल के डिब्बों में आग लग जाने की घटना

460. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **रेलवे** मन्त्री 12 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के तेल के डिब्बे में जो आग लगी थी उसकी जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां।

(ख) यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण गाड़ी पटरी से उतर गयी। जिसके फलस्वरूप आकस्मिक और गम्भीर रूप से टक्कर हुई और डिब्बे एक दूसरे में धंस गये। इसकी वजह से टंकी माल डिब्बों के बहुत से पीपों में सूराख हो गया और मोटर-स्पिरिट टपकने लगी और पटरी से उतरे हुए माल डिब्बों के घसीटे जाने और रगड़ से जो चिनगारी निकली उससे मोटर स्पिरिट में आग लग गयी।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Tea Plantations

461. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2779 on the 19th August, 1966 and state:

(a) whether the scheme regarding the eradication of pests in tea plantations has been examined by the experts;

(b) if so, whether the scheme has been finalised; and

(c) if not, how much more time would be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) Yes, Sir. The scheme was brought up for examination by experts at a Seminar convened by the Tea Board at the Tocklai Experimental Station on the 8th & 9th October, 1966.

(b) and (c). The Seminar approved of the scheme in principle and recommended constituting a Committee for finalising the working details. The Tea Board is taking further necessary action in the matter.

Raid on Bijauria Station

462. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2155 on 12th August, 1966 and state:

(a) whether the Police investigation in connection with the raid by dacoits on the Bijauria Railway Station on the 23rd May, 1966 has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) Not yet.

(b) Does not arise.

(c) Some of the accused under arrest and in jail custody at Bareilly in connection with the dacoity cases of Shahi and Nigohi Railway Stations, within the jurisdiction of Police Station Jehanabad, district Pilibhit, U.P. are also suspected to be involved in this dacoity case of Bijauria Railway Station which occurred on 23rd May, 1966 and steps are being taken for their identification parade.

सामान्य उत्पादन योजना

463. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य लघु उद्योग निगम की संयुक्त परिषद् का उद्घाटन करते हुए उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उद्योगों के लिए सामान्य उत्पादन योजना के लिए कुछ निश्चित कदम उठाये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य लघु उद्योग निगमों की जनवरी, 1966 में हुए दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर तत्कालीन उद्योग मन्त्री ने कहा था कि वह सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम तथा कुछ वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों में ही सुरक्षित रखने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

अभी हाल ही में उत्पादन में विविधता लाने के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में उदारता की घोषणा करते समय 71 वस्तुओं को इसके क्षेत्र से मुख्यत: इसलिये निकाल दिया गया है जिससे लघु उद्योगों को संरक्षण दिया जा सके।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार

464. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या लोहा और इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने की क्षमता को दस लाख टन से तीस लाख टन तक बढ़ाने के बारे में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

लोहा और इस्पात मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह फैसला किया गया है कि दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात के कारखाने की क्षमता को 1 मिलियन टन पिण्डक से बढ़ाकर 3 मिलियन टन पिण्डक तक किया जाएगा। विस्तार के लिए प्रायोजना प्रतिवेदन बनवाया जा रहा है।

इस्पात पिण्ड तथा तैयार इस्पात

465. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या लोहा तथा इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले डेढ़ वर्ष की अवधि में इस्पात पिण्डों तथा तैयार इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

लोहा और इस्पात मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 1964 में और जनवरी, 1965 से लेकर जून, 1966 तक त्रैमासिक औसत उत्पादन इस प्रकार था :—

	इस्पात पिण्ड (टन)	तैयार इस्पात (टन)
1964 में त्रैमासिक औसत उत्पादन	1,508,003	1,085,376
जनवरी, 1965 से लेकर जून, 1966 तक त्रैमासिक औसत उत्पादन	1,621,129	1,134,956

इस्पात मिलों के लिये नमक का तेजाब

466. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "फ्लैटों" के निर्माण में "आम्ल मार्जन" के लिए विश्व भर में नमक के तेजाब का प्रयोग करने की नवीनतम प्रणाली व्याप्त है जब कि भारतीय इस्पात मिलों में इस कार्य के लिए अब भी गन्धक के तेजाब का प्रयोग किया जा रहा है यद्यपि इस विशेष वस्तु का काफी ऊंचे मूल्य पर पूर्णत: विदेशों से आयात किया जाता है जबकि नमक का तेजाब देश में ही उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे इस्पात मिलों में गन्धक के तेजाब के स्थान पर नमक के तेजाब का प्रयोग करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह): (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग में मशीनों को गन्धक के तेजाब की बजाए नमक के तेजाब से साफ करने की प्रणाली एक नई प्रणाली है। नमक का तेजाब अधिक संक्षारी होता है और बहुत जहरीला धुआं देता है। अत: इसके प्रयोग में ठीक तरह से इस्तेमाल करने, रख-रखाव धुयें से बचने तथा निस्त्राव के अप्रभावीकरण करने की जटिल समस्यायें हैं और जिनमें मानव सुरक्षा का प्रश्न भी आता है। फिर भी सरकार ने इस्पात कारखानों से कहा है कि वे गन्धक के तेजाब के स्थान पर नमक के तेजाब का प्रयोग करने की सम्भाव्यता की जांच करें जिससे गन्धक के आयात को कम किया जा सके।

अलाभप्रद रेलवे लाइनों का बन्द किया जाना

467. **श्री सुरेन्द्रपालसिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रेलवे बोर्ड से यह सिफारिश की है कि देश में जिन रेलवे लाइनों से लाभ नहीं हो रहा है उन्हें बन्द कर दिया जाये ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने सभी अलाभप्रद रेलवे लाइनों को बन्द कर देने के बारे में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

इस्पात की पटरियों (रेल्स) का आयात

468. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री मधु लिमये :

क्या **लोहा और इस्पात** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने भारत सरकार तथा अमरीका के बीच हुए एक करार के प्रति विरोध प्रकट किया है जिसके अन्तर्गत अमरीका भारतीय रेलों के लिये साठ हजार टन इस्पात की पटरियां भेजेगा ;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कब पटरियां सप्लाई करने योग्य हो जायेगा ?

लोहा और इस्पात मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). भारतीय रेलवे ने रेल की पटरी के आयात के लिए अमरीका के साथ कोई करार नहीं किया है । यह समाचार कुछ समय पहले समाचार पत्रों में छपा था परन्तु यह गलत था । रेल की पटरी का आयात करने की अनुमति देने का हमारा विचार नहीं है ।

रामगढ़ ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना

469. **डा० म० मो० दास :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत सरकार की रामगढ़ ओपन-कास्ट माइनिंग परियोजना के विकास के लिये सहायता की प्रार्थना को इस कारण अस्वीकार कर दिया है कि इस खान से निकाले कोयले का कुछ भाग बोकारो इस्पात सन्यन्त्र में प्रयोग में लाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां तो सरकार ने क्या विशिष्ट प्रस्ताव रखे थे और अमरीका ने उनका क्या उत्तर दिया ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) (क) और (ख). भारत सरकारने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची की स्थानीय संविरचन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि रामगढ़ का धुला हुआ कोयला बोकारो स्टील प्लांट को दिया जायगा जो कि रूसी सहायता पर आधारित परियोजना है यह निर्णय किया है कि रामगढ़ कोयला खान तथा धावनशाला के लिये यू० एस० ए० आई० डी० से ऋण लेने के बारे में कोई अन्य कार्यवाही न की जाय ।

निर्यात संवर्धन योजना

470. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 26 ,अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3482 के उत्तर के संबंध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो सौ अथवा उससे कुछ अधिक फर्मों को इस बीच दण्ड दिया गया है अथवा उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है अथवा सजा दी गई है ;

(ख) इन दो सौ अथवा उससे कुछ अधिक फर्मों में से किन-किन फर्मों के नाम सम्बन्धित संहिता के अन्तर्गत काली सूची में डाल दिये गये हैं ;

(ग) इन दो सौ अथवा उससे कुछ अधिक फर्मों में से कौन-कौन सी फर्में इस समय बन्द हो गई हैं अथाव कौन-कौन सी फर्में अब नहीं चल रही हैं ; और

(घ) क्या पूंजी/ऋण/स्थिति/पिछले इतिहास पर विचार किये बिना ही आयात लाइसेंस जारी कर दिये जाते हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). 26 अगस्त, 1966 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 3482 के साथ फर्मों की कोई सूची प्राप्त नहीं हुई थी। किन्तु लोक सभा सचिवालय से 208 फर्मों की एक सूची पहले प्राप्त हुई थी। इस सूची में 9 फर्मों का नाम दो बार लिखा था और इस प्रकार शेष 199 फर्मों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन के द्वारा निर्यातों पर लगायी गयी विदेशी मुद्रा की वसूली नहीं हुई।

इन 199 मामलों में से 47 मामलों में विदेशी मुद्रा पूर्णतः वसूल कर ली गई, 2 मामलों में लगभग पूर्णतः तथा 5 मामलों में अंशतः वसूल कर ली गई है। तीन मामलों में फर्मों पर बकाया होने की सूचना नहीं थी। 90 मामलों में सम्बद्ध फर्मों के 3 से 5 वर्ष तक के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने पर रोक लगा दी गई है। 12 मामलों में विभागीय कार्यवाही को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि वे मामले न्यायाधीन हैं। एक मामले में सम्बद्ध फर्म को समाप्त फर्म के रूप में निलंबित कर दिया गया है। चार अन्य मामलों में आपराधिक कार्यवाही चल रही है।

सरकार को आरोपों का पता लगते ही सभी फर्मों को रजिस्टर से निकालने (अर्थात् निर्यात संवर्धन योजना में भाग लेने से अलग करने) की कार्यवाही की गयी। 199 में से अभी तक 138 फर्में रजिस्टर से बाहर हैं।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दो फर्में समाप्त हो गयी हैं।

(घ) निर्यात संबंधी कागज़ातों की जांच कर लेने के बाद आयात लाइसेंस जारी किये जाते हैं। संबद्ध पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्यात संवर्धन योजना के अधीन किसी निर्यातक को पंजीकृत करते समय उस निर्यातक की हैसियत की जांच कर ली जाती है लेकिन पूर्व परीक्षा से, चाहे कितनी ही विस्तृत क्यों न हो, उन लाखों निर्यातकों में से, जो कि अभी तक अन्यथा अच्छे प्रमाणित हुए हैं, कुछ कपटी तत्वों को गलत काम करने से नहीं रोका जा सकता। अतः सरकार धोकेबाज़ पार्टियों को दण्ड देने के लिए दृढ़ संकल्प है।

निर्यात-आयात सलाहकार परिषद्

471. **श्री महेश्वर नायक :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **डा० म० मो० दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात-आयात सलहाकार परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करते समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि हाल में किये गये निर्णय के परिणामस्वरूप निर्यात उद्योगों के लिए अपेक्षित औद्योगिक सामान का आयात करने के लिए विशेष विदेशी मुद्रा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करने के हेतु सरकार प्रक्रिया बना रही है ; और

(ख) हमारे औद्योगिक सामान के आयात की मात्रा तथा योजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये निर्यात की मात्रा के बीच सन्तुलन लाने के लिए इन उद्योगों द्वारा कितना समय लिये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कहना संभव नहीं है कि ऐसे उद्योग पूंजीगत माल के आयात और इन के द्वारा किये गये निर्यात के परिमाण में संतुलन पैदा करने में कब समर्थ होंगे । विभिन्न उद्योगों में लगाई गई पूंजी के परिणाम प्राप्त करने में विभिन्न प्रकार का समय लगता है जोकि उत्पादन संबंधी प्रक्रिया के स्वरूप पर निर्भर करते हैं । किसी उद्योग में लगाई गई पूंजी का परिणाम आयातित उपकरण पर भी निर्भर करता है । उन मामलों में, जहां ये संतुलनकारी उपकरण अर्थात ऐसे उपकरण जिससे उद्योग क्षमता का और अधिक पूरा उपयोग कर सकता है, के रूप में होते हैं, परिणाम प्राप्त करने में कम समय लग सकता है । जहां विद्यमान कारखाने में पर्याप्त क्षमता बढ़ाने का विचार हो, अधिक समय आवश्यक होगा ।

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

472. **श्री महेश्वर नायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा राज्य में सरकार द्वारा जो औद्योगिक बस्तियां बनाने का विचार है उनकी संख्या क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) इस उपक्रम में कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). उड़ीसा राज्य का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कटक, राउरकेला, पुनाबन, पारादीप तथा तलाचार में पांच नयी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का है जिनमें कुल 11-5-65 लाख रु० की पूंजी लगेगी ।

व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

473. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संकल्प के आधार पर विकासशील देशों का एक संयुक्त दृष्टिकोण तैयार करने के लिए कोई पहल की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्य किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). जी, हां । विकासशील देशों की, जिनका मुख्य रूप में उल्लेख 1967 की दूसरी छमाही में होने वाले व्यापार तथा विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की कार्यसूची में होने की सम्भावना है, सम स्याओं के विषय में संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारत ने जनवरी-फरवरी, 1966 में न्यूयार्क में हुए व्यापार तथा विकास बोर्ड के तीसरे अधिवेशन के समय "77" विकासशील देशों की मन्त्री-स्तर पर एक बैठक दूसरे सम्मेलन की तैयारी के रूप में, बुलाने का, प्रस्ताव किया था । तब से विकासशील देशों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रश्न पर कार्यवाही की गई है और इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हाल ही में जेनेवा में हुए व्यापार तथा विकास के चतुर्थ अधिवेशन के समय 31 विकासशील देशों के एक समूह में, जो बोर्ड के सदस्य होंगे, मतैक्य की भावना पैदा हुई कि दूसरे सम्मेलन के आठ अथवा दस सप्ताह पूर्व "77" देशों की

मन्त्री-स्तर पर एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। उस बैठक में, अन्य बातों के साथ, इस बात पर विचार किया जायेगा कि दूसरे अधिवेशन में विकासशील देशों द्वारा अपने दृष्टिकोण से सर्वोत्तम सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या रवैया अपनाया जाये।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात परियोजनाएं

474. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दाजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री फिरोडिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सेझियान :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री दिगे :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र के अतिरिक्त कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार ने समूचे विश्व में इस्पात उद्योग में आई मंदी, देश में संसाधनों की कमी और वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार तथा विविधकरण की न आजमाई गई संभावनाओं की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इनके विस्तार तथा विविधकरण का क्या कार्यक्रम है और इन परियोजनाओं के विस्तार तथा विविधकरण पर कितना व्यय होगा, तथा वे परियोजनाएं कौन-कौन सी होंगी ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) चौथी योजना के प्रारूप में अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में दो नये इस्पात कारखानों के स्थल पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में अन्तिम निर्णय करने से पूर्व सभी संबंधित बातों पर ध्यानपूर्वक विकार किया जाएगा। इस में विश्व भर में इस्पात उद्योग की हालत, एतदर्थ साधनों की स्थिति, संभाव्य मांग और देश में इस्पात की उपलब्धि में अन्तर तथा वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार और उनकी विविधता भी शामिल है।

(ग) इस्पात के विकास का अस्थायी कार्यक्रम तथा चतुर्थ योजना अवधि में कुल लागत का विवरण नीचे दिया गया है। विस्तार कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देते समय इस्पात की विभिन्न वस्तुओं की संभाव्य मांग को देखते हुए उत्पादन में विविधता लाने पर ध्यान दिया जायेगा।

इस्पात प्रायोजना का नाम	चौथी योजना के अन्त तक लक्षित क्षमता (इस्पात पिण्ड मिलियन टनों में)	चौथी योजना अवधि में लगाई गई कुल पूंजी (करोड़ रुपये)
सरकारी क्षेत्र		
विस्तार :		
भिलाई . . .	2.5 से 3.2	62.90
दुर्गापुर .	1.6 से 3.4	312.20
राउरकेला . .	1.8 से 2.5	100.00
बोकारो इस्पात कारखाने का स्थापन	1.7	646.16
निजी क्षेत्र		
टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी (*) विस्तार :	2.2	
इन्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी	1.3	31.84
इलेक्ट्रिक फर्नेस यूनिट्स . .	0.5	अभी निश्चित करना है ।
	14.8	

(*) टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी की वर्तमान क्षमता 2 मिलियन टन है । बाहर से प्राप्त की गई प्रविधियों के प्रयोग से 2.2 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त करने की आशा है ।

राज्य खान मन्त्रियों का सम्मेलन

475. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए राज्यों के खान तथा भौतिकी मंत्रियों के सम्मेलन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गईं;

(ख) क्या खनन कार्य आरम्भ करने के लिए सरकारी निगम स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

खान तथा धातु मन्त्री (श्री सु० कु० डे) : (क) सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सदन के सामने रखा जा रहा है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7215/66]**

(ख) और (ग) . सात राज्यों में माइनिंग कारपोरेशन स्थापित हो चुकी हैं । राज्यों के खनन एवं भौतिकी मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर अन्य राज्य सरकार भी इस प्रकार के कारपोरेशन स्थापित करने का विचार कर सकती हैं ।

रेलवे यात्रियों के लिये बीमा योजना

476. **श्री वासुदेवन नायर :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री वारियर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री काजरोलकर :

क्या **रेलवे** मंत्री 26 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे यात्रियों का बीमा करने के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रशासन का क्या विचार है तथा प्रस्ताव के समर्थन और विरोध के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) . रेल यात्रियों का बीमा करने की योजना पर अभी विचार किया जा रहा है ।

बड़ी लाइन पर भाप से चलने वाले इंजन

477. **श्री फ० गा० सेन :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक बड़ी लाइन पर भाप से चलने वाले रेलवे इंजनों का निर्माण बन्द करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक डीज़ल से चलने वाले इंजनों का निर्माण पर्याप्त संख्या में हो जायेगा ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में डीज़ल से चलने वाले इंजनों के निर्माण की वर्तमान क्षमता को काफी बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उसका मोटा ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इस समय योजना यह है कि बड़ी लाइन के भापइंजनों का उत्पादन उत्तोतर कम किया जाय ।

(ख) बड़ी लाइन के डीज़ल रेल इंजनों का उत्पादन धीरे-धीरे चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उनकी प्रत्याशित आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाना है ।

(ग) और (घ). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान वाराणसी में मुख्य लाइन के डीज़ल रेल इंजनों और चित्तरंजन में शंटिग डीज़ल रेल इंजनों के निर्माण की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने का विचार है ।

बल्गेरिया को ट्रकों का निर्यात

478. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से बल्गेरिया को 500 ट्रकों की बिक्री के लिए एक भारतीय फर्म मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी (टैल्को) ने "मैशीनों इम्पोर्ट आफ बल्गेरिया" के साथ प्लोडिन मेले में स्थित भारतीय मंडप में लगभग 2.3 करोड़ रुपये के मूल्य के दो करार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये ट्रक कितने समय के अन्दर भेजे जाने हैं ; और

(ग) अन्य देशों में इन को लोक प्रिय बनाने के लिए भारत ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्योरे हमें ज्ञात नहीं हैं ।

(ग) भारतीय इंजीनियरी सामान को पूर्वी यूरोप में लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न उपाय किये जाते हैं :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेना ।

(2) विदेशी खरीदारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने, भारतीय निर्माताओं की ओर से खरीदारों के साथ सम्बन्ध रखने, बिक्री प्रोत्साहन, इंजीनियरी सामान आदि के मूल्यों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने आदि के लिए विदेशों में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय खोलना ।

(3) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद का कार्य जोकि इस क्षेत्र में भारतीय निर्यातकों के कार्य को समन्वित करता है ।

(4) बाजारों के सर्वेक्षण तथा खरीदारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों के विदेशी दौरे ।

(5) राज्य व्यापार निगम/भारतीय मिशनों/विशेष अभिकरणों द्वारा बाजारों का सर्वेक्षण।

(6) प्रयत्नों को और अधिक बढ़ाने के लिए, पूर्वी यूरोप के बाजारों का पता तथा अनुमान लगाने के लिए तथा उसी के लिए घरेलू उत्पादन में तीव्रता लाने के लिए मन्त्रालय में एक विशेष संगठन की स्थापना की गई है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल यूनिट

479. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल यूनिट में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम हो रहा है ; और

(ख) यदि हां , तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). रामचन्द्रपुरम के भारी विद्युत उपकरण बनाने वाले संयंत्र में पहली मुख्य चीज़ इस प्रकार है :

1. 12 मैगावाट के टर्बाइन कन्डैंसिंग उपकरण जिसका संभरण हैवी इलैक्ट्रिकल इक्विपमैंट प्लांट, रानीपुर को किया जायगा ।
2. एन्बोर, थर्मल पावर स्टेशन मद्रास के लिये 60 मैगावाट के सैटों के लिए हीटर, कन्डैन्सर तथा पाइपिंग और अन्य निर्मित वस्तुएं ।

संख्या (1) में वर्णित वस्तु का हैदराबाद कारखाने से चलते समय देने की मूल तारीख जून, 1966 थी । इन उपकरणों पर कार्य में देरी निम्नलिखित कारणों से हुई है :--

1. तकनीकी सहयोगियों से उप-प्रदान के न मिलने के कारण ।
2. ठीक विशिष्ट विवरण की बायलर क्वालिटी प्लेटें मिलने में विलम्ब, और
3. देशी सम्भरणकर्ताओं द्वारा कंडेंसर टयूबों के संभरण में विलम्ब ।

अब कंडेन्सिग उपकरण के नवम्बर, 1966 के अन्त तक या दिसम्बर, 1966 तक प्रारम्भ में दिये जाने की आशा है ।

एन्बोर थर्मल विद्युत स्टेशन के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार पेटों का सम्भरण क्रमशः दिसम्बर, 1967, तथा मार्च, 1968 तक किया जाना है । इन तारीखों पर दृढ़ रहने की आशा है।

इस्पात की उत्पादन लागत सम्बन्धी समिति

480. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री वारियर :**
श्री दाजी : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कोल्ला वेंकया : **श्री बागड़ी :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 26 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3455 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात की उत्पादन लागत सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर किये गये निर्णय का मुख्य विवरण क्या है ?

लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). सरकार अभी प्रतिवेदन पर विचार कर रही है।

काफी के कच्चे बीजों की काला बाजार में बिक्री

481. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री काफी बोर्ड के बारे में 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1501 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में काफी के कच्चे बीजों की बिक्री में होने वाले भ्रष्टाचार तथा चोर बाजारी के आरोपों के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) काफी के कच्चे बीजों की बिक्री में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) बिक्री डिपुओं के कार्य कलापों पर तीन महीने की अवधि तक पूरी तरह से निगरानी रखी गई फिर भी काफ़ी के कच्चे बीजों की चोर बाज़ार में अभिकथित बिक्री का कोई प्रमाण नहीं मिला ।

(ग) यद्यपि काफ़ी के काले बाज़ार में पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं मिला, फिर भी सावधानी के तौर पर निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) बेगलौर के दोनों डिपुओं के समस्त कर्मचारी वर्ग का स्थानान्तरण कर के उन के स्थान पर नये कर्मचारी लगा दिये गये हैं ;

(2) वास्तविक उपभोक्ताओं और उनके राशन कार्डों के आधार पर उन्हें काफी-कार्ड दे दिये गये हैं और प्रति कार्ड पर 15 दिनों के लिए 1 किलो पलांटेशन पी बी तथा 1 किलो अन्य किस्म की काफ़ी तक बिक्री को सीमित कर दिया गया है ।

(3) नकली बिल बनाने तथा कच्ची काफ़ी की बिक्री को रोकने के लिये सभी काफ़ी डिपुओं को उपभोक्ताओं से बिलों पर हस्ताक्षर लेने की हिदायतें दे दी गई हैं ।

(4) किसी भी प्रकार के अनाचार की दशा में कठोर कार्यवाही करने के विचार से भारत के सभी काफ़ी डिपुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

(5) सभी प्रादेशिक अधिकारियों को सभी इंडिया काफ़ी डिपुओं पर अचानक जाकर जांच करने की हिदायतें जारी कर दी गयी हैं।

खुले माल डिब्बों में सीमेंट का भेजा जाना

482. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
डा० सारादीश राय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमय :
श्री किशन पटनायक :

क्या **रेलवे** मंत्री 5 अगस्त, 1946 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1966 में पौंग बांध के निर्माण के लिए भेजे गए सीमेंट के 17332 कट्टे खुले रेल के डिब्बों में भेजे जाने के कारण खराब होने के सम्बन्ध में जो जांच हो रही थी, वह पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उस जांच के परिणाम क्या हैं ;

(ग) क्या इस नुकसान के लिए उत्तरदायी को सरकार ने दण्ड दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दण्ड दिया गया है ?

रेल उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (घ). सूचना मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमृतसर की ऊनी कपड़ा मिलें

483. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर की अधिकतर ऊनी कपड़ा मिलें आयातित कच्ची ऊन और वूलटाप्स के अभाव के कारण बन्द हो गई हैं;

(ख) अवमूल्यन के बाद उत्पादन में अनुमानत: कितनी कमी हुई है ; और

(ग) मिलों को पूरी क्षमता से काम करने में सहायता देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग). सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कच्चे माल के न मिलने के कारण अमृतसर की ऊनी कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं । वर्ष 1966-67 के लिए 12 करोड़ रुपये की ऊन के आयात की अनुमति दी गयी है तथा आशा है कि इससे मिलों की मांगें उचित सीमा तक पूरी हो जायेंगी ।

छोटी कार

484. **श्री फिरोडिया :**
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
खो सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी कार के निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : देश में छोटी कार बनाने के लिए प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । फिर भी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिन स्थिति को देखते हुए जिन पार्टियों ने गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कारें बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे उनसे यह कहा गया है कि यदि वे किसी प्रकार का आयात किये बिना अथवा विदेशी मुद्रा खर्च किये बिना कार बनाने की स्थिति में हों तो 30-11-66 तक अपनी पुनरीक्षित योजनाएं प्रस्तुत कर दे । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

इण्डोनेशिया के साथ व्यापार

485. **श्री फिरोडिया :**
श्री यशपालसिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपालसिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंडोनेशिया के व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ, जो हाल में भारत आया था , विचार विमर्श किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). जी नहीं,। फिर भी मये व्यापार करार के उपबन्धों के विषय में दोनों प्रतिनिधि मंडलों के बीच मोटे तौर पर समझौता होगया। इण्डोनेशिया के प्रतिनिधि मण्डल ने यह इच्छा प्रकट की कि नये प्रस्तावित व्यापार करार पर बाद में जकार्ता में हस्ताक्षर किये जायें। व्यापार करार के मसौदे में दोनों देशों के बीच घनिष्ठता आर्थिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्धों को प्रोत्साहित करने और उनके पारस्परिक व्यापार में विस्तार करने और विविधता लाने की व्यवस्था है। इसमें वे वस्तुएं भी उल्लिखित हों जो एक देश से दूसरे देश को निर्यात के लिए उपलब्ध हैं।

रेलगड़ियों की रफ्तार में वृद्धि

486. श्री फिरोडिया :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में देश में कई रेल गाड़ियों की रफ्तार में वृद्धि करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) केवल बड़ी लाइन के मुख्य लाईन खण्डों पर गाड़ियों की 96 कि० मी० प्रति घंटा (अर्थात् 60 मील प्रति घंटा) की वर्तमान अधिकतम अनुमेय रफ्तार को बढ़ाने का विचार है, बशर्ते इसके लिए अपेक्षित रकम और विदेशी मुद्रा उपलब्ध हों।

नयी दिल्ली और आगरा के बीच चलने वाली ताज एक्सप्रेस गाड़ी की अधिकतम अनुमेय रफ्तार बढ़ाकर 105 कि० मी० प्रति घंटा (अर्थात 65 मील प्रति घंटा) कर दी गयी है।

बम्बई सेन्ट्रल-मथुरा जंकशन खण्ड पर फ्रंटियर मेल की रफ्तार भी बढ़ा कर 105 कि० मी० प्रति घन्टा (अर्थात 65 मील प्रति घंटा) कर देने का विचार है और इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य हो रहा है।

लेकिन, 60 मील प्रति घंटा की वर्तमान अधिकतम अनुमेय रफ्तार की सीमा के रहते हुए भी, समय सारणी में हर बार संशोधन करते समय, गाड़ियों की रफ्तार को यथा सम्भव सीमा तक बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है ; यह कार्य गाड़ियों के समय में समंजन तथा कर्षण में परिवर्तन करके किया जाता है। 2-10-1966 से लागू समय-सारणी में, डीज़लीकरण के परिणामस्वरूप, फ्रंटियर मेल गाड़ियों का बम्बई से दिल्ली तक का चालन-समय 45 मिनट तथा दिल्ली से बम्बई तक का चालन-समय 40 मिनट कम होगया है। इसी प्रकार 5 अप / 6 डाउन हवड़ा-अमृतसर मेल गाड़ियों का भी हावड़ा से अमृतसर तक का चालन-समय 2 घंटे 55 मिनट एवं अमृतसर से हावड़ा तक का चालन समय 1 घंटे 40 मिनट कम हो गया है। 89 अप/90 डाउन हावड़ा

मद्रास एकसप्रेस गाड़ियों का हावड़ा से मद्रास तक का चालन-समय 4 घंटे और विपरीत दिशा में चालन-समय 2 घंटे 35 मिनट कम कर दिया गया है। टाटानगर-वाल्टेर एक्सप्रेस तथा पुरी-हैदराबाद एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन समय भी 35 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट तक कम कर दिया गया है।

इन मुख्य गाड़ियों के अलावा, लगभग 110 अन्य सवारी गाड़ियों का चालन-समय भी 15 मिनट या उस से अधिक कम कर दिया गया है।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

487. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग (जिसका नाम पहले भारतीय खान ब्यूरो था) की खोज शाखा के कर्मचारियों के क्षेत्रीय काम करने के भत्तों के सम्बन्ध में अनिर्णीत पड़े दावे इस बीच निपटा दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो बकाया राशि का भुगतान कब कर दिया जायेगा ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) से (ग). इस समय 41 मामलों का निपटारा होना बाकी है। इन में 24 आडिट विभाग में चल रहे हैं तथा 17 की भारतीय भौमिकी विभाग और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। इस साल के अन्त तक सभी बिलों का निपटारा किये जाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली क्षेत्र में बड़े स्टेशन को छोड़ कर सीधी गुजरने वाली रेलवे लाइनें (रेलवे अवोयर्डिंग लाइन्स)

488. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बड़े स्टेशन को छोड़ कर सीधी गुजरने वाली रेलवे लाइनों और सम्बन्धित यातायात सुविधाओं की योजना के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अक्टूबर, 1966 तक इस परियोजना की कुल स्थूल प्रगति 48 प्रतिशत थी।

(ख) और (ग) .एक ठेकेदार अपने काम में पर्याप्त प्रगति बनाये न रख सका । इसलिये उसका ठेका समाप्त कर दिया गया । इसके फलस्वरूप पैदा होने वाली जटिलताओं की वजह से यह काम थोड़ा पिछड़ गया है। हाल ही में नये टेण्डर खोले गये हैं और रेल प्रशासन उन पर विचार कर रहा है। अब संभावना यह है कि काम दिसम्बर, 1967 की बजाय दिसम्बर, 1968 में पूरा होगा ।

डाली-राजहारा-दांतेवाड़ा रेलवे परियोजना

489. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री 29 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 813 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाली-राजहारा से दांतेवाडा रेलवे परियोजना की सम्भाव्यता एवं लागत अध्ययन इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं , तो अध्ययन के कब पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां, रिपोर्ट अभी हाल में मिली हैं और रेलवे बोर्ड के कार्यालय में उन पर विचार हो रहा है।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

देसी इस्पात के वितरण के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

490. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देसी इस्पात के वितरण तथा बिक्री के बारे में खाडिलकर अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

इस्पात का निर्यात

491. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री बासप्पा :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 से इस्पात के निर्यात का लक्ष्य क्या है ;

(ख) अब तक इस्पात की कितनी मात्रा का निर्यात किया जा चुका है ; और

(ग) 1966-67 के लिये निर्यात के लक्ष्य के पूरा होने की क्या सम्भावना है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):(क) मार्च 1966 में अस्थायी रूप से 505,000 टन इस्पात और 100,000 टन कच्चे लोहे का लक्ष्य निश्चित किया गया था।

(ख) सितम्बर 1966 तक लगभग 95,000 टन का निर्यात किया जा चुका है।

(ग) केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ही 150,000 टन कच्चा लोहा और 102,000 टन इस्पात के निर्यात के लिये करार किये हैं जिसका कुल मूल्य दस करोड़ रुपये के लगभग बैठता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सभी प्रकार से प्रयत्न किया जायेगा।

हसन–मंगलौर रेलवे लाइन

492. **श्री बासप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के कार्य में आज तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने की सभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री(श्री शाम नाथ) :(क) मंगलूर स्टेशन और पेनम्बूर के बीच बड़ी लाइन पर कुल मिलाकर 54 प्रतिशत तथा हसन और मंगलूर के बीच नयी मीटर लाइन पर 13 प्रतिशत काम हो चुका है।

(ख) आशा है बड़ी लाइन अक्टूबर, 1967 तक माल यातायात के लिए खोल दी जायेगी। लेकिन मीटर लाइन पर काम को विभिन्न चरणों में इस प्रकार बांटा गया है कि वह मंगलूर बन्दरगाह प्रायोजना के साथ-साथ पूरा हो।

तिपतूर रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

493. **श्री बासप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में बंगलौर और पूना के बीच तिपतूर रेलवे स्टेशन पर रेलवे का एक पुल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या नियमों के अनुसार सम्पर्क सड़कों के निर्माण के बारे में तिपतूर अनगर पालिका परिषद् तथा मैसूर राज्य सरकार ने अपनी इच्छा रेलवे को व्यक्त कर दी है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) रेलें किसी भी वर्तमान व्यस्त समपार की जगह लाइन के ऊपर या नीचे सड़क-पुल बनाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इस तरह की योजनायें राज्य सरकार की ओर से आयें और राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिए सहमत हों । मोटे तौर पर 24 फुट तक खास पुल के निर्माण का खर्च रेलवे देती है और ढलवां पहुंच मार्गों तथा पुल की अतिरिक्त चौड़ाई का खर्च राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा वहन किया जाता है। हाल में मैसूर राज्य सरकार ने चौथी योजना की अवधि में तिपतूर में एक ऊपरी सड़क-पुल बनाने का प्रस्ताव रखा है।

(ख) ऊपरी पुल के पहुंच-मार्गों का खर्च वहन करने के मामले परनगर पालिका और राज्य सरकार के बीच बातचीत चल रही है और इस सम्बन्ध में रेलों को अन्तिम रूप से अभी कोई सूचना नहीं भेजी गई है।

द्रोणमती लोह अयस्क खानें

494. **श्री बासप्पा :** क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में होस्पेत के द्रोणमती लोह अयस्क खनन क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने दोना मलाई क्षेत्र (दक्षिणी खण्ड में एक यंत्रीकृत खान के विकास के लिये शक्यता रिपोर्ट तैयार की है। इस से 2.5 मिलियन टन पिण्ड अयस्क के उत्पादन की आशा है जिसमें लगभग 2 मिलियन टन प्रति वर्ष तक के विक्रय योग्य सूक्ष्मक होंगे। परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए आवश्यक विस्तृत अनुसन्धान जारी हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

495. **श्री बासप्पा :** क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का निर्यात सम्बन्धी कार्यक्रम क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): जापानी स्टील मिलों के साथ चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में कच्चे लोहे की निम्नलिखित मात्राएं दिये जाने के विषय में एक ससमझौता हो चुका है :—

1–4–1966 से किरिबरू से 2 मिलियन टन प्रति वर्ष;
1967 के मध्य से बेलादिला के निक्षेप नं० 14 से 4 मिलियन टन प्रति वर्ष।

उसके अतिरिक्त कारपोरेशन का दो नई यंत्रीकृत खानें खोलने का विचार है; एक बिलारी-हास्पत क्षेत्र के दोनामलाई में 1969-70 से 4.5 मिलियन टन (2.5 मिलियन टन सूक्ष्मक) पिण्ड अयस्क तथा 2 मिलियन टन निर्यात के हेतु तथा दूसरी बेलादिला के निक्षेप नं० 5 में 1969-70 से 2 मिलियन टन पिंड अयस्क के निर्यात के हेतु।

आयात तथा निर्यात लाइसेंस

496. **श्री बासप्पा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात तथा निर्यात लाइसेंस जारी करने के मामले में होने वाले विलम्ब को कम कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आयात तथा निर्यात मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में अपनाई गई प्रक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अब जो क्रियाविधि अपनाई गई है उसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

आवेदकों के लिये आवेदन पत्र देने की कार्य विधि को तथा आयात आवेदन पत्रों पर लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के लिए कार्यवाही करना सरल बनाने के लिए लाइसेंस जारी करने की क्रियाविधि को सरल तथा सुचारु बना दिया गया है ।

नई क्रियाविधि की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) वास्तविक उपयोक्ताओं से कच्चे मालों, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिये कई आयात आवेदन-पत्रों का लेना समाप्त कर दिया गया है और अब प्रत्येक वास्तविक उपयोक्ता से प्रत्येक लाइसेंस जारी करने की अवधि में एक ही समेकित आवेदन पत्र देने की अपेक्षा होती है;

(2) सुस्थापित आयातकों के लिए, एक आयातक से दूसरे आयातक को कोटे हस्तांतरित करने के नियमों को सरल बना दिया गया है और अब विभिन्न प्रलेखों को दिखाने की आवश्यकता हटा दी गई है ;

(3) आवेदक, एक अवधि के लाइसेंसों के लिए आय-कर सत्यापन संख्या प्राप्त करने से पूर्व ही आवेदन-पत्र भेज सकते हैं ;

(4) छोटे-स्तर के एककों के लिए आवेदन-पत्र शुल्क की एक ही दर नियत कर दी गई है;

(5) छोटे-स्तरीय एककों के मामलों में लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों तथा प्रायोजक प्राधिकारियों के बीच होने वाले दोहरे कार्य को हटा दिया गया है;

(6) 1964–65 या 1965–66 में जिन पदों के लिए एककों ने आयात लाइसेंस लिए हैं उनके विषय में एस० एस० आई० एककों के लिए व्यक्तिगत आयात आवेदन-पत्र पर स्वदेशी उत्पादन न होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है ;

(7) आंशिक जांच तथा त्रुटियों की सूचना भेजने की क्रिया को हटाने के उद्देश्य से आवेदकों को उनकी त्रुटियां बताने और आवेदन-पत्रों की छानबीन करने के लिए मानक फार्म बना दिये गये हैं ;

(8) आयात आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के अनेक स्तरों को कम कर दिया गया है ; और

(9) प्रतिवेदन देने की एक विशेष प्रणाली बनाई गई है जिसके अनुसार लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक को निपटान किए गए आवेदन-पत्रों की एक साप्ताहिक रिपोर्ट भेजेंगे ताकि वह विलम्बित आवेदन-पत्रों पर निगरानी रख सकें ।

Attack on a Train at Vir Shivpur Station in West Bengal

499. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a crowd attacked a train at Vir Shivpur Station in West Bengal during the West 'Bengal Bandh'; and

(b) if so, the loss of life and property caused thereby?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). There was no such incident during the last 'Bengal Bandh'. However, a minor incident was reported on 16th September, 1966 at Bir Shivpur Station, when passengers of S.11 Up Panchkura Local demanded that the train should start immediately, which was detained for want of line

clear from the next station. The crowd also pelted stones causing minor damage to the railway property valued at Rs. 5 approximately. There was no loss of life.

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के लिये पुनर्विलोकन समिति

500. डा० रानेन सेन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री दाजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री दे० जी० नायक :
श्री बागड़ी :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कार्य के पुनरीक्षण के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्य कौन कौन हैं तथा समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) समिति अपना प्रतिवेदन कब पेश करेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) खराबी मुख्यतः पहियों और धुरों के संयंत्र तथा कोक भट्टियों में रही है जहां उत्पादन निर्यातित क्षमता से कम होता रहा है ।

(ग) सरकार ने विशेषज्ञ-पुनरीक्षण करने तथा शीघ्रता पूर्ण तथा कुशल संचालन प्राप्त करने के बारे में सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है।

लीपज़िग मेला

501. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भारत का जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यापार होता है तथापि हाल में हुये लीपजिग मेले में राज्य व्यापार निगम ने भाग नहीं लिया था, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). जर्मन जनवादी गणतन्त्र वर्ष में दो मेलों का आयोजन करता है जिसके नाम लीपज़िग वसंत मेला तथा लीपज़िग शरद मेला है। वसंत मेला व्यवसाय तथा व्यापार के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत अधिक महत्व का मेला है क्योंकि यह विश्व के सभी भाग लेने वालों, खरीदारों तथा दर्शकों को बहुत बड़ी संख्या में आकर्षित करता है तथा जर्मन जनवादी गणतन्त्र की वार्षिक आयात की आवश्यकताएं तथा निर्यात को इस मेले में अन्तिम रूप से निश्चित किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, राज्य व्यापार निगम गत कई वर्षों से वसंत मेले में भाग लेता रहा है। चूंकि राज्य व्यापार निगम ने 1966 के वसंत मेले में भी भाग लिया था अतः उसने शरद् मेले में भाग नहीं लिया।

कपड़ा आयुक्त का संगठन

503. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा आयुक्त के संगठन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) सिफारिशों के अन्तर्गत किन महत्वपूर्ण सुझावों को स्वीकार किया गया है;

(ग) क्या पी० एल० 480 के अन्तर्गत कपास के आयात के लिये एक केन्द्रीय ऐजेन्सी स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने लाभकारी मूल्य नीति तथा किसानों को सहायता की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) वस्त्र आयुक्त के संगठन के कार्यों की जांच करने के लिये नियुक्त अध्ययन दल ने अपने प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्रस्तुत कर दिया है। उसमें की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय वाणिज्य मन्त्रालय के संकल्प सं० 2 (9) 66-ओ० एण्ड एम० दिनांक 13 सितम्बर, 1966 में निहित हैं जिस की एक प्रति एक नवम्बर, 1966 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

(ख) अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा अभी तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(1) रुई की विभिन्न किस्मों के निम्नतम मूल्यों को अधिक उपयुक्त बनाने के विचार से उन्हें चालू मौसम (सितम्बर 66—अगस्त 67) में बढ़ाकर सम्बद्ध अधिकतम मूल्यों से 15 प्रतिशत कम स्तर पर रखा गया है। 1965–66 में वे 19 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक कम स्तर पर थे। चालू मौसम की मूल्य नीति मौसम से काफी पहले अर्थात् 4-7-1966 को घोषित कर दी गई थी।

(2) रुई के व्यापारियों को सी वर्ग के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई है। इतना ही नहीं, रुई के व्यापारियों के लिये 'ए' तथा 'बी' वर्ग के लाइसेन्सों के वार्षिक नवीकरण की प्रणाली के स्थान पर स्थायी लायसेंस जारी करने की प्रणाली बना दी गई है। रुई नियन्त्रण आदेश 1955 में उपयुक्त संशोधन भी कर दिये गये हैं।

(3) जहां तक कपड़े की गैर-नियंत्रण श्रेणियों का सम्बन्ध है वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० टी० सी० एस०–1/20 दिनांक 22 सितम्बर 1949 से संलग्न अनुसूची 2 में उल्लिखित कपड़े की रचना सम्बन्धी ब्यौरे से सम्बन्धित विशिष्टियों को वापिस ले लिया गया है।

(4) वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना संख्या टी० सी० एस० –1/20 दिनांक 22 सितम्बर 1949 के साथ संलग्न अनुसूची 2-ए के अंतर्गत, नियंत्रण व्यवस्था के अंग के रूप में, धोतियों और साड़ियों की बुनावट विशिष्टियों को हटा लिया गया है।

(5) शक्ति चालित करघों के सम्बन्ध में शाह अध्ययन दल की सिफारिश संख्या 46 से 50 और 52 तथा 54 पर सरकार द्वारा, श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में स्थापित शक्ति चालित करघा जांच समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में, कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है।

(6) अध्ययन दल ने अपनी सिफारिश संख्या 63 में यह भी सुझाव दिया था कि सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 की धारा 20 सी (ए) के अन्तर्गत कम्पोजिट मिलों पर उनके द्वारा उत्पादित कपड़े अथवा सूत के परिष्करण पर लागू वर्तमान प्रतिबन्धों को हटाया जाना चाहिए।

श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में शक्तिचालित जांच समिति ने सिफारिश की थी कि भविष्य में कपड़ा मिलों में परिष्करण क्षमता में वृद्धि की अनुमति मिल क्षेत्रों की अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही दी जाये और आगे तीन वर्षों की अवधि में, क्रमवार कार्यक्रम के आधार पर, मिलों को दी गई बाहरी कपड़े के परिष्करण करने की वर्तमान स्वीकृति को समाप्त कर दिया जाये। इस सिफारिश पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मिलों को बाहरी कपड़े के परिष्करण के लिये पहले से दी गई अनुमति पर प्रतिबन्ध लगाना अभी व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इस से बेकार क्षमता और बेकारी की समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी और जब तक मिल क्षेत्र के बाहर परिष्करण की पर्याप्त क्षमता स्थापित नहीं हो जाती, तब तक नये मिलों को भी कमीशन के आधार पर परिष्करण कार्य लेने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) अभी तक नहीं किया गया।

(घ) हां।

बोकारो परियोजना क्षेत्र से विस्थापित परिवार

504. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ब० कु० दास :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि बोकारों इस्पात परियोजना के लिए भूमि अर्जित करते समय विस्थापित लोगों को इस परियोजना में नौकरी के लिए प्रथम वरीयता दी जायेगी ;

(ख) क्या इस परियोजना के प्रबन्धक विस्थापित व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे ताकि वे इस परियोजना मे कुशल श्रमिकों के रूप में कार्य कर सकें ; और

(ग) कितने विस्थापित परिवारों को अब तक रोजगार दिया गया है। और उनके प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बोकारों स्टील लिमिटेड ने ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के लिए जो आठवीं कक्षा पास हैं और 17–25 वर्ष की आयु के बीच हैं तकनीकी प्रशिक्षण देने का कार्य पहले ही शुरु कर रखा है जिन से उन्हें बोकारों इस्पात प्रायोजना में रोजगार दिया जा सके। इस समय भुली और धनवाद के औद्योगिक तकनीकी संस्थानों के 290 विस्थापित व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बोकारों स्टील लिमिटेड इन व्यक्तियों को छात्रवृतियां भी दे रहा है। इनके अतिरिक्त अक्तूबर, 1966 के अन्त तक बोकारो इस्पात प्रायोजना में लगभग 613 विस्थापित व्यक्ति काम कर रहे थे।

सच्चा व्यापार संहिता

505. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री दे० द० पुरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख व्यापारियों ने व्यापार की उचित व्यवस्था बनाने के लिए संहिता बनाने हेतु कोई पग उठाये हैं जिसके अन्तर्गत मुख्यत: व्यापार के वे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका उपभोक्ताओं से सीधा सम्बन्ध होता है ;

(ख) क्या इस संहिता को लागू करने के लिए बम्बई में कोई नई संस्था बनाई गई है जिसका नाम व्यापार की उचित व्यवस्था संघ (फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज एसोशिएशन) है ; और

(ग) सरकार व्यापारी वर्ग को इस प्रकार के कार्यों में किस सीमा तक सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ताकि ये लोग आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त कर सकें और उनको सामाजिक न्याय भी उपलब्ध हो सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). प्रेस रिपोर्टों से ऐसा पता चला है कि व्यापारियों में आत्म-अनुशासन को प्रोत्साहन देने के लिये बम्बई में एक उचित व्यापार व्यवस्था संघ (फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज एसोसिएशन) स्थापित किया गया है । यह भी मालूम हुआ है कि संघ का विचार है कि उचित व्यापार व्यवस्थाओं की एक नौ-सूत्री संहिता का प्रचार तथा प्रवर्तन किया जाए जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य उचित मूल्य लेगा, सही तोल रखेगा तथा वस्तुओं में मिलावट नहीं करेगा आदि ।

(ग) सरकार से किसी प्रकार की सहायता देने के लिये नहीं कहा गया है । सरकार ने ऐसे स्वेच्छा से किये गये प्रयत्नों का सदा अत्यन्त स्वागत किया है। इस दिशा में व्यापार बोर्ड और वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय चैम्बरों के संघ द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

यह भी याद रहे कि वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय चैम्बरों के संघ तथा व्यापार बोर्ड की सलाह से 1964 में वाणिज्य मंत्रालय ने देश के आन्तरिक व्यापार में उचित व्यापार व्यवस्था की एक आदर्श संहिता, वाणिज्य के विभिन्न चेम्बरों, व्यापार संस्थायों आदि द्वारा ऐच्छिक आधार पर, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ , अपनाये जाने के लिये, तैयार की थी । इन प्रयत्नों को सरकार से पूर्ण समर्थन तथा प्रोत्साहन मिलेगा ।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अलौह धातुओं का निकालना

506. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सारे देश में फैले हुए अलौह धातुओं के छोटे निक्षेपों से धातुओं के निकालने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से आवेदन-पत्र मांगे हैं ;

(ख) क्या ऐसे निक्षेपों की एक सूची तैयार की गई है ;

(ग) क्या राज्य सरकारें गैर-सरकारी क्षेत्र के जरिये, छोटे पैमाने के इन खनन प्रयासों को प्रोत्साहित करने में, केन्द्रीय सरकार को सहायता देने के लिए सहमत हो गई है ; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र में अलौह धातुओं के छोटे निक्षेपों से धातुओं को निकालने की अनुमति किन शर्तों पर दी जायेगी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय ।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन निक्षेपों की सूचियां भेज दी गई हैं और उन्हें कहा गया है कि वे सूची में दिये गये क्षेत्रों के लिये खनिज रियायतें स्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(ग) नहीं, महोदय ।

(घ) निर्णय किया गया है कि अलौह धातु उत्पादन करने वाले छोटे-छोटे और इक्के दुक्के ऐसे क्षेत्रों को जो सरकारी क्षेत्र में विदोहन के लिए अनुपयुक्त हैं, उन्हें निजी क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिये छोड़ दिया जाय। राज्य सरकारें खान तथा खनिज (नियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों तथा तरीकों के अनुसार रियायतें स्वीकार करेंगी।

खोपरे, तेल और चिकनाई का आयात

507. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग छः करोड़ रुपये के मूल्य का खोपरा, तेल तथा चिकनाई आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) खोपरे के आयात के लिये राज्य व्यापार निगम को पहले से ही दिये गये 1 करोड़ रु० के एक आयात लाइसेंस के अतिरिक्त, नियत किये गये 6 करोड़ रु० का उपयोग फिलहाल 2 करोड़ रु० मूल्य के खोपरे और 1 करोड़ रु० मूल्य के ताड़ के तेल के आयात के लिये जो कि राज्य व्यापार निगम द्वारा होगा, किया जायेगा। शेष राशि के उपयोग के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा।

केरल में नारियल का तेल निकालने वाले मिल-मालिक

508. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में नारियल का तेल निकालने वाले मिल-मालिकों ने विरोध प्रकट करने के लिए बम्बई में राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित खोपरे की नीलामी में भाग नहीं लिया; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम द्वारा खोपरे की कोई नीलामी नहीं की गई थी । तथापि राज्य व्यापार निगम ने 200/250 टन के ढेरों में से खोपरा खरीदने के लिये 15 सितम्बर, 1966 को वास्तविक उपभोक्ताओं से टेंडर मंगाये थे । टेंडर की सूचना को बाद में वापस ले लिया गया था । मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में आयातित खोपरे के वितरण के लिये अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों के बारे में अब हिदायतें दे दी हैं ।

औद्योगिक उत्पादन

509. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में आसाम में औद्योगिक उत्पादन का स्तर प्रति वर्ष क्या था और इसी अवधि में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस औद्योगिक उत्पादन के स्तर की स्थिति क्या थी;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आसाम तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य क्या है; और

(ग) तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त में प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन की स्थिति क्या होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). मंत्रिमंडलीय सचिवालय के केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित ऐनुअल सर्वे आफ इंडस्ट्रीज में औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार आंकड़े दिये जाते हैं । चूंकि इस रिपोर्ट के प्रकाशन में कुछ समय लगेगा । इसलिए जिस वर्ष 1962 के लिए नवीनतम जानकारी उपलब्ध है । रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) औद्योगिक उत्पादन के लक्ष्य राज्यवार आधार पर निर्धारित नहीं किये जाते हैं, अतः चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में अलग-अलग राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का सम्भावित औद्योगिक उत्पादन बता सकना सम्भव नहीं है

बोकारो इस्पात परियोजना

510. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० पू० ना० खां :
श्री दाजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मधु लिमये :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात परियोजना की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना की लागत कम करने के प्रस्ताव के बारे में रूस के उत्तर को ध्यान में रखते हुए परियोजना की लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कुल 32,390 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसमें से अब तक 14,716 एकड़ भूमि प्राप्त की जा चुकी है। स्थल को समतल करने से सम्बन्धित मिट्टी के काम का अधिकांश पूरा हो चुका है। संयंत्र-निर्माण और बस्ती के लिए पानी की पूर्ति करने के लिए बनाये जा रहे गर्ग बांध का काम लगभग पूरा हो चुका है। बोकारो इस्पात नगर के निर्माण-कार्य में भी काफी प्रगति हुई है। 3 मई, 1966 को बोकारो स्टील लिमिटेड और टयाज़ प्रोमेक्सपोर्ट के बीच हुए करार के अन्तर्गत रूसी संभरण कर्त्ताओं ने प्रमुख संयंत्र और उपकरण भेजने आरम्भ कर दिये हैं और इनका सम्प्रदान 1970 के मध्य तक पूरा हो जायेगा। सरकार ने सिविल इंजीनियरी तथा ढांचों के संविरचन का काम सरकारी क्षेत्र के एक संस्थान हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को सौंपने की अनुमति दे दी है।

(ख) सोवियत रूपांकन कार और संभरणकर्त्ता इस बात के लिए राज़ी हो गये हैं कि वे लागत में कमी करने के प्रस्तावों के अनुसार संयंत्रों और उपकरणों के रूपांकन में आवश्यक संशोधन कर देंगे जिनको भारतीय और सोवियत दोनों पक्षों ने अन्तिम रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने सरकार को यह भी आश्वासन दिया है कि वे प्रायोजना की विस्तृत क्रियान्विति के समय में भी लागत को कम करने की संभाव्यता पर नजर रखेंगे।

मैंगनीज अयस्क और कोयले का निर्यात

511. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज अयस्क और कोयले के निर्यात के लिये विदेशी मंडियों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) चालू वर्ष में इन वस्तुओं की अब तक कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और गत वर्ष की इसी अवधि में किये गये निर्यात के आंकड़ों से इसकी क्या तुलना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मैंगनीज अयस्क के प्रतिस्पर्धात्मक विश्व बाजार में भारतीय मैंगनीज अयस्क के लिये परम्परागत बाजार अपने अधिकार में कर लिये गये हैं और निर्यात पहले की अपेक्षा ऊंचे मूल्यों पर किया गया है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 1959 में पहली बार कनाडा को पर्याप्त मात्रा में मैंगनीज अयस्क की बिक्री कर सका है।

(ग) जनवरी से सितम्बर, 1966 की अवधि के दौरान 9·37 करोड़ रु० मूल्य का 9·30 लाख मे० टन मैंगनीज अयस्क निर्यात किया गया जब कि 1965 की इसी अवधि के दौरान 7·83 करोड़ रु० मूल्य का 10·06 लाख मे० टन निर्यात किया गया था।

जनवरी–सितम्बर 1966 की अवधि के दौरान निर्यात के परिमाण में हुई गिरावट का कारण यह है कि पहले किये गये वस्तु विनिमय के अधीन पर्याप्त मात्रा में शेष बकाया माल का लदान जनवरी और फरवरी 1965 को किया गया था।

1964 के मध्य से बर्मा को कोयले का निर्यात बर्मा सरकार रेलवे के साथ एक संविदा के अधीन किया गया जो सितम्बर 1967 तक चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त इस संविदा को सितम्बर 1968 तक बढ़ाने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम के साथ बातचीत की जा रही है। अन्य संभरणकर्ताओं द्वारा कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद अनेक वर्षों के पश्चात दिसम्बर 1965 से भारतीय कोयले ने लंका के बाजार में पुनः प्रवेश कर लिया है। वर्तमान संविदा से, जो कि नवम्बर 1966 में समाप्त होगा, एक करोड़ रु० से अधिक के बराबर अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का उपार्जन होगा। सरकार ने दिसम्बर 1966 से आरम्भ होने वाले आगामी वर्ष के लिये टेंडर मांगे हैं। जिसके लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अपने भाव दे दिये हैं। अन्य बाजारों को कोयले का निर्यात करने के प्रयास भी जारी हैं।

(ग) जनवरी से सितम्बर 1966 के दौरान भारत से 2,68,339 मे० टन का निर्यात किया गया जब कि 1965 की इसी अवधि में 1,06,177 मे० टन का निर्यात किया गया था।

गुजरात में कच्चे लोहे का कारखाना

512. डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कच्चे लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार के बीच हाल में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात राज्य की एक प्राइवेट पार्टी के पास कच्चे लोहे का उत्पादन करने का "आशय-पत्र" है और इस काम के लिये यह पार्टी पश्चिमी जर्मनी से धमन भट्टियां आयात करना चाहती है। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि अपेक्षित उपकरण अब हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन से प्राप्त किये जायें जिनके पास धमन भट्टियां आदि का निर्माण करने की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

निर्यात

513. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 से हमारी मासिक निर्यात आय क्या रही है;

(ख) अवमूल्यन से हमें जो आशाएं थीं, क्या इससे वे पूरी हो गई हैं;

(ग) पहले तीन वर्षों में इन्हीं महीनों में हुई निर्यात आय की तुलना में वह कितनी है;

(घ) आगामी तीन महीनों में निर्यात से क्या आय होने की आशा है; और

(ङ) अब तक हुई प्रगति से सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और आगामी महीनों के लिये क्या अनुमान हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7216/66]**

(ख) इस समय अवमूल्यन के बाद के केवल तीन महीनों के निर्यात आंकड़े उपलब्ध हैं। इस अल्पावधि से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

(घ) आगामी तीन महीनों में हमारे निर्यात के बारे में कोई संकेत देना अत्यन्त कठिन है क्योंकि ऐसा निर्यात उपार्जन विविध बातों पर निर्भर रहता है।

(ङ) जून से अगस्त 1966 के निष्पादन से, निर्यात की किसी निश्चित प्रवृत्ति को नहीं बताया जा सकता।

सेलम में इस्पात का कारखाना

514. **श्री सेज़ियान :**
डा० श्रीनिवासन :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम के लौह अयस्क और नेवेली लिग्नाइट का प्रयोग करने वाले इस्पात कारखाने की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ब्र० ना० सिंह) : (क) सेलम के लौह अयस्क और नेवेली के लिग्नाइट का प्रयोग करने के लिए इस्पात का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार ने आवश्यक स्थल निर्धारण तथा प्रायोजना प्रतिवेदन प्राप्त कर लिये हैं। इस बारे में अन्तिम निर्णय योजना आयोग के साथ परामर्श करने के पश्चात किया जायेगा।

(ख) और (ग). मद्रास सरकार ने सेलम के स्थान पर एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस मांगा है। इस प्रस्ताव पर इस्पात कारखानों के लिए दूसरे प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा।

आयात लाइसेंस

515. **श्री सेझियान :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अवमूल्यन के समय से सितम्बर, 1966 के अन्त तक जारी किये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य गत वर्ष इसी अवधि में जारी किये गये लाइसेंसों की तुलना में मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : 643 करोड़ रुपये। गत वर्ष की उसी अवधि में दिये गये आयात लाइसेंसों का मूल्य 198 करोड़ रु० तक था।

आसाम में सोने के अंशवाली चट्टानें

516. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतत्वीय सर्वेक्षण से पता चला है कि आसाम में सोने के अंश वाली चट्टानों के निक्षेप हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसी चट्टानों का उपयोग करने के बारे में कोई विशिष्ट प्रगति हुई है?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) आसाम की सरकार से पता चला है कि खासी तथा जयन्तिया पहाड़ी जिले के माफ़लांग क्षेत्र में सोनायुक्त पहाड़ियां पाई गई हैं जो 8 किलोमीटर लम्बी हैं तथा जिनकी चौड़ाई 30 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक है। ऊपरी सतह से प्राप्त होने वाले नमूनों में सोने की मात्रा ऐसी है कि निक्षेप का आर्थिक दृष्टि से विदोहन सम्भव नहीं है। तथापि आगामी क्षेत्र ऋतु काल में आसाम सरकार का विचार है कि वह कुछ कूपकों का छिद्रण करे ताकि पता लगाया जा सके कि क्या विदोहन के मूल्य में कुछ सुधार हो सकता है।

(ख) इस दिशा में किसी प्रकार की सुनिश्चित प्रगति के लिए अभी विलम्ब है।

ग्वालपाड़ा में लौह अयस्क के निक्षेप

517. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के ग्वालपाड़ा जिले की चन्द्रदुगा पहाड़ियों में लौह अयस्क के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में तथा इन निक्षेपों की क्षमता कितनी है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) अभी तक प्रति मीटर गहराई में 4,50,000 मीटरी टन संचयों का अनुमान है जिसमें लोहे की मात्रा औसतन 45 से 50 प्रतिशत तक है।

कारों तथा स्कूटरों के मूल्य

518. **श्री रा० बरुआ :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले कुछ महीनों में कारों, स्कूटरों तथा मोटर साइकलों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने निर्माता फर्मों से मूल्यों में वृद्धि करने के कारणों की जांच की है ;

(ग) क्या कारों, स्कूटरों तथा मोटर साइकलों के मूल्यों में वृद्धि करने के पहले सरकार से परामर्श किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ). निर्माताओं ने कारों, स्कूटरों तथा मोटर साइकलों के मूल्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर ही बढ़ाए हैं। यह सत्य है कि प्रमुख रूप से रुपए के अवमूल्यन के कारण ही पिछले कुछ महीनों में निर्माताओं को उनकी गाड़ियों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

Subsidy on Export

519. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have prepared a scheme in regard to subsidy on export after the devaluation of rupee; and

(b) if so, the nature thereof?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) and (b). Yes, Sir. The statement outlining selected immediate programmes to help and develop exports, laid on the Table of this House on 16th August, 1966 extends cash assistance to export of selected products with sizeable export potential so as to maintain and promote further exports of these goods. Cash assistance at rates ranging from 10 per cent to 20 per per of the export f.o.b. value has since been announced in respect of engineering goods, 10 per cent iron and steel scrap, 15 per cent over all on prime steel, 10 per cent on woollen carpets, rugs and druggets, 10 per cent on sports goods, 10 to 15 per cent on chemicals and allied products and 10 per cent on plastic goods. On processed goods, the difference between the local and international price of sugar will be made good through cash assistance at appropriate rates.

Shortage of Cement

520. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri H. C. Linga Reddy:
Shri P. R. Chakraverti:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Hem Raj:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the progress made in the matter of overcoming the cement shortage during the last three months;

(b) whether there has been some correspondence with the Ministry of Railways for obtaining more wagons so that cement factories might supply their production to the consumers in time;

(c) if so, their reason thereto; and

(d) whether special provisions have been made so as to supply sufficient quantity of cement to the farmers?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) Notwithstanding the loss of about 1½ lakh tonnes of cement due to strikes and mechanical breakdowns in some of the cement factories, production of cement during the third quarter of this year (July, August and September, 1966) has been 1 lakh tonnes more than that of the previous quarter. Two new cement factories one at Porbandar (Gujarat) and another at Cherrapunji in Assam have been commissioned for production. Two more new factories at Chittorgarh (Rajasthan) and Bargarh (Orissa) are near completion.

(b) and (c) There was some deterioration in wagon supplies to cement factories since April, 1966, particularly in respect of those factories situated on the Central and Western Railways. This was due to heavy food movements and the inability of some factories to loan open wagons during the monsoon. This problem was taken up with the Railway Board and was also discussed at meetings among producers and Government representatives. All possible help has been assured and conditions have now improved and except for a few pockets, by and large full movement has been provided by the Railways.

(d) Yes, Sir.

रॉक फॉस्फेट के खनन के लिये फ्रांसीसी सहयोग

521. **श्री उमानाथ :** **श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रॉक फॉस्फेट के खनन का विकास करने के लिये किसी फ्रांसीसी फर्म से बातचीत करती रही है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का क्या नाम है और इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा; और

(ग) सरकार को तकनीकी प्रतिवेदन तथा सहयोग की शर्तें कब तक मिल जाने की सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग). पैरिस के मैसर्स सोफ्रेमाइन्स परियोजना के वित्तीय उपलक्षण अभी निश्चित नहीं किए गए हैं।

क्षेत्रीय सामग्री की जांच करने के लिये फ्रांसीसी कम्पनी ने भारतीय भौमिकी विभाग के विशेषज्ञों के साथ अपना भी एक विशेषज्ञ भारत भेजने का प्रस्ताव दिया है। फ्रांसीसी विशेषज्ञ

द्वारा उपलब्ध सामग्री की जांच करके रिपोर्ट बना लेने के बाद ही मैसर्स सोफ्रेमाइन्स इस परियोजना में अपने सहयोग के निबंध प्रस्तुत करेंगे।

रूटाइल की मांग

522. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**
श्री इम्बीचिबाबा : **श्री प० कुन्हन :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रूटाइल की वार्षिक मांग क्या है ;

(ख) ट्रावनकोर टिटैनियम प्राडक्ट्स लिमिटेड, केरल में उत्पादन आरम्भ होने के बाद इस दुर्लभ रंगद्रव्य (पिगमेंट,) का वार्षिक उत्पादन क्या रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारखाने में अब रूटाइल नहीं बनाया जाता है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में रूटाइल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क,) रूटाइल किस्म के टिटैनियम डाईआक्साइड की वर्तमान मांग का अनुमान 3000 मी० टन वार्षिक का है।

(ख.) मैसर्स ट्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लि० ने 1962 में रूटाइल किस्म का टिटैनियम डाइआक्साइड का उत्पादन शुरू किया था। इस समय वह मुख्यतः एनाटेसी ग्रेड का उत्पादन कर रहे हैं। 1962 से दोनों ग्रेड के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	टिटैनियम डाइआक्साइड		कुल
	एनाटैसी ग्रेड (मी० टन)	रूटाइल ग्रेड (मी० टन)	(मी० टन)
1962	1874	732	2606
1963	3834	196	4030
1964 .	4305	—	4305
1965 . .	4563	213	4776
1966 (जनवरी-जून) . .	1992	—	1992

(ग.) एनाटेसी ग्रेड का टिटैनियम डाईआक्साइड का देश में जितना उत्पदन हो रहा है वह देश की आवश्यकता से कम है। वर्तमान प्लांट के फिल्टर सेक्शन में क्षमता की कमी के कारण दोनों प्रकार का उत्पादन शुरू कर देने से कुल उत्पादन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति को देखते हुए मैसर्स ट्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लि० इस समय केवल एनाटेसे ग्रेड का ही उत्पादन कर रहा है।

(घ) (1) रूटाइल ग्रेड के पिगमट का उत्पादन शुरू करने के लिए वर्तमान कारखाने के फिल्टर सेक्शन की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी फर्म द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(2) मैसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्टस लि० को 18,000 मी० टन वार्षिक की अतिरिक्त क्षमता के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दे दिया गया है और रूटाइल तथा एनाटेसी ग्रेडों दोनों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(3) बम्बई की एक फर्म को महाराष्ट्र में रूटाइल तथा एनाटेसी ग्रेड का पिगमेंट तैयार करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है। शुरू में उनकी योजना 5040 मी० टन की वार्षिक क्षमता स्थापित करने की है जिसे भविष्य में दुगना कर दिया जाएगा।

(4) टिटानियम डाइआक्साइड तथा टिटेनियम स्लैग इत्यादि के उत्पादन के लिए एक और सम्मिलित योजना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वित हो जाने पर न केवल देश की आवश्यकता पूरी की जाएगी अपितु निर्यात के लिए भी फालतु उत्पादन बच रहेगा।

लोहा और इस्पात नियंत्रक का कार्यालय

523. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1519 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के संगठन स्वरूप तथा प्रणालियां के बारे में खाडिलकर अध्ययन दलने सरकार को अपने प्रतिवेदन का द्वितीय तथा अन्तिम भाग प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन सिफारिशों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भद्रावती में अच्छे किस्म के इस्पात का उत्पादन

524. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री बागड़ी :**
श्री बासप्पा : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री 5 अगस्त, 1966 के अतारांकिप प्रश्न संख्या 1505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड में भद्रावती के लोहे को अच्छे किस्म के इस्पात में बदलने में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कार्य इस समय किस अवस्था में है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). भवनों की नींवों का काम पूरा होने वाला है। जिन नीवों पर मशीनें खड़ी की जायेंगी उनका काम 55 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है और इस्पात संविरचना का काम तथा उन्हें खड़ा करने का काम 28 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है। आयातित उपकरणों को 26 'शिप्मेंटस' आ चुकी है। उपकरणों को खड़ा करने का काम आरम्भ हो चुका है।

Derailment between Jalgaon and Panchora Stations

525. **Shri Yashpal Singh:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:
Shri Sivamurthi Swamy:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the night of the 22nd September, 1966, 17 wagons of a train derailed between Jalgaon and Pachora Stations in the Bhusaval Division of the Central Railway;

(b) if so, the causes therefor; and

(c) the total loss to Railway property due to the accident?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) The accident occurred near Maheji station on 21st September, 1966.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) The cost of damage to railway propery has been estimated at approximately Rs. 41,000.

आयात लाइसेंसों सम्बन्धी गिरोह

526. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 12 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात लाइसेंसों संबंधी गिरोह के बारे में जांच अब पूरी हो गई है ;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) आयात एवं निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक बम्बई के कार्यालय से आयात लाइसेंस और कोटा प्रमाण-पत्र के कुछ कोरे फार्मों के चोरी हो जाने के बारे में जांच, जिसका उल्लेख 12 नवम्बर, 1965 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 180 के उत्तर में किया गया था, अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) ग्यारह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर केंद्रीय जांच ब्यूरो विचार कर रहा है।

Pinjore Unit of H.M.T.

527. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Dr. M. M. Das:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that employees in the Pinjore Unit of the Hindustan Machine Tools are on a strike for an indefinite period;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps taken by Government in regard thereto; and

(d) the loss suffered so far as a result of the strike?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) to (c). The workers of the Pinjore Unit were on strike during the period from the 27th August, 1966 to the 25th September, 1966, in support of a Charter of Demands submitted by them in July-August 1966. As a result of negotiations, a settlement was reached and the strike was called off. The workers reported for duty on the 26th September, 1966.

(d) Rs. 24 lakhs approximately.

नए क्षेत्रों में कोयला निकालना

528. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगाल–बिहार की ओर से कोयले की ढुलाई में होने वाले अत्यधिक खर्चे को ध्यान में रखते हुए देश के अन्य क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना काल में अनुमानित मांग और उत्पादन की पुनरीक्षा से पाया जाता है कि नान-कोकिंग कोयले की सारी आवश्यकताओं को वर्तमान तथा बंगाल, बिहार एवं अन्य कोयला क्षेत्रों की तृतीय योजना काल की अवशिष्ट योजनाओं से पूरा किया जा सकता है । अतः अन्य क्षेत्रों में चतुर्थ योजना काल में कोई भी नई योजना उसी दशा में ली जायगी जबकि किसी सुनिश्चित उपभोक्ता की क्षेत्रीय आवश्यकता को विशेष रूप से पूरा करना हो ।

कारों का निर्माण

529. **डा० श्रीनिवासन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कारों के निर्माण में क्रोमियम से बने पुर्जों या फिटिंग का प्रयोग बिल्कुल ही बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बारे में कार निर्माताओं को सरकार द्वारा कोई हिदायतें दी गई हैं; और

(ग) अवमूल्यन के बाद भारत में कारों की लागत क्या हो गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख). तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा सभी निर्माताओं को ये निदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे मितव्ययिता के रूप में सभी स्टेनलैसस्टील के हिस्सों का इस्तेमाल उस तारीख से करना बन्द कर दें जिससे उनका इस प्रकार के हिस्सों का विद्यमान स्टाक समाप्त हो जाता है । उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे हिस्सों पर क्रोमियम की प्लेट न चढ़ा कर उसके बदले वार्निश इस्तेमाल करें । इन निदेशकों के अनुसार स्टैनलैस स्टील के कुछ हिस्सों को बनाना रोक दिया गया है किन्तु निर्माताओं को कुछ हिस्सों पर क्रोमियम की प्लेट चढ़ाते रहने की अनुमति दे दी गई है क्योंकि यह अभ्यावेदन किया गया था कि गाड़ी के भद्दे दिखाई देने के अलावा क्रोमियम की प्लेट चढ़ाना बन्द कर देने से खर्च में कोई विशेष बचत नहीं होगी ।

(ग) भारत में अवमूल्यन के बाद बनाई गई कारों के कारखाने से चलते समय के खुदरा विक्रय मूल्य, जैसा कि सरकार द्वारा अब तक बताया गया है, इस प्रकार है :—

हिन्दुस्तान एम्बासेडर . .	14,878 रु०
फियट 1100 .	13,392 रु०
स्टैंडर्ड हेरल्ड	12,813 रु०

इन मूल्यों में तैयार गाड़ियों पर लगने वाला उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है ।

मद्रास-अरकोनम और मद्रास विजयवाड़ा सेक्सनों का विद्युतीकरण

530. **बा० श्रीनिवासन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मद्रास–अरकोनम तथा मद्रास–विजयवाड़ा सैक्शनों का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). मद्रास–अरकोणम और मद्रास–विजयवाड़ा खण्डों के विद्युतीकरण का काम अन्तिम रूप से चौथी योजना के विद्युतीकरण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । यह काम तभी शुरू किया जा सकता है जब इसके लिए धन और विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो । मद्रास–विजयवाड़ा खण्ड के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में ब्यौरेवार सर्वेक्षण को मंजूरी भी दी गयी है ।

सदर्न एक्सप्रेस और ए० सी० डीलक्स गाड़ियां

531. **डा० श्रीनवासन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली सदर्न एक्सप्रेस और ए० सी० डीलक्स गाड़ियों की रफ्तार तेज़ करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). मद्रास और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली नं० 21 डाउन/22 अप सदर्न/वातानुकूल एक्सप्रेस गाड़ियां अब डीज़ल रेल इंजन से चलायी जा रही हैं। इसके फलस्वरूप 1-4-66 से पहले इन गाड़ियों की यात्रा में जितना समय लगता था, उसकी तुलना में अब मद्रास से नयी दिल्ली तक 4 घंटे और दूसरी दिशा में 3 घंटे 20 मिनट कम समय लगता है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

ओखला औद्योगिक बस्ती

532. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डय :
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1956 से अब तक काफी समय व्यतीत होने के बाद ओखला औद्योगिक बस्ती को दिल्ली महानगर परिषद् के मुख्य कार्यकारी पार्षद् के तत्वावधान में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग-पतियों को देने का अन्तिम रूप से निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती को उन्हें किन शर्तों पर हस्तांतरित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Russian Tractors

533. **Shri Yashpal Singh:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of small Russian tractors imported annually during the last three years;

(b) the number of applicants whose orders for such tractors were booked during the above period;

(c) the number of persons who have been supplied with such tractors; and

(d) the reasons for the non-supply of these tractors to the remaining persons?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) to (d). Import licences for the import of the following quantity of Small Russian Tractors, DT-14HP has been given during the last three years.

Name of the Firm	Quantity covered by the import licences 1963	1964	1965
1. M/s. Ghaziabad Engg. Co. (P) Ltd., New Delhi.	694 Nos.	257 Nos.	513 Nos.
2. M/s. Indian Engg. & Comml. Corpn. Pvt. Ltd., Kanpur	394 Nos.	210 Nos.	460 Nos.
3. M/s. Bharat Industries and Comml. Corpn., Calcutta.	341 Nos.	187 Nos.	433 Nos.
4. M/s. National Engg. Co. Pvt. Ltd., Madras.	81 Nos.	46 Nos.	129 Nos.

According to the present arrangements the actual import and sale of tractors is done by the above mentioned importing firms, who are also the Indian agents of the foreign suppliers, to any bona fide agriculturist without having to obtain the prior permission of the S.T.C., through a net work of dealers and Sub-dealers spread throughout the country. Information is, therefore, not readily available with regard to actual number of tractors imported year-wise, number of applicants whose orders for such tractors were booked during the above period and the number of persons who have been supplied with such tractors.

The importing agents have been specifically directed by the S.T.C. to maintain registers regarding booking of orders, and to supply the tractors strictly on "first come first served" basis. They have also been directed that the sale has to be made at prices not in excess of those prescribed by the S.T.C. If there have been any cases of non-supply of tractors to any person it can only be due to the limited quantity available for supply.

रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

535. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में रेलवे विद्युतीकरण कर्मचारियों ने सितम्बर, 1966 के मध्य में अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल बिजली योजना के कुछ कर्मचारियों ने हड़ताल की थी जो 20-9-66 से वापस ले ली गयी ।

(ख) कहा गया है कि छंटनी आदि के विरुद्ध कर्मचारियों ने जो मांगें की थीं उनकी ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए हड़ताल की गयी थी ।

माल-डिब्बों की कमी

536. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों की कमी के कारण उर्वरक का वितरण रुक गया है; और

(ख) यदि हां, तो माल-डिब्बों की कमी के कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). चूंकि उर्वरकों के परिवहन को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए सामान्यतः, मालडिब्बे देने में कोई कठिनाई नहीं होती, सिवाय मानसून के दिनों को छोड़ कर, जबकि बन्द माल डिब्बों की सप्लाई कुछ पिछड़ गयी थी, क्योंकि अनाज की ढुलाई के लिए उनकी मांग बेहद बढ़ गयी थी। 1 जनवरी से 20 अक्तूबर, 1966 तक की अवधि में, बड़ी लाइन पर उर्वरकों के 79,603 डिब्बों और मीटर लाइन पर 33,730 डिब्बों का लदान हुआ, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में बड़ी लाइन पर 67,346 और मीटर लाइन पर 23,615 डिब्बों का लदान हुआ था।

खोपरा का आयात

537. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष में 6 करोड़ रुपये के मूल्य के खोपरा और वनस्पति तेल का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारत में पैदा होने वाले खोपरे की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) खोपरे, ताड़ के तेल और चर्बी के आयात से खोपरे के मूल्यों पर, जोकि बढ़ रहे थे, स्थायीकारक प्रभाव पड़ने की आशा है। देश में पैदा होने वाले खोपरे के मूल्यों में कोई अनुचित कमी होने की आशंका नहीं होनी चाहिये क्योंकि उसका आयात बहुत थोड़ा होता है और अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातित तथा देशी खोपरे के मूल्यों में अन्तर काफी कम हो गया है।

महाराष्ट्र में कताई तथा बुनाई मिलें

538. **डा० मा० श्री० अणे :**
श्री ब० कु० दास :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विदर्भ डिवीज़न, बम्बई नगर तथा महाराष्ट्र के शेष ज़िलों में कितनी-कितनी सूती कताई तथा बुनाई मिलें हैं तथा उनमें से महाराष्ट्र के उक्त तीन भागों में से प्रत्येक में कितनी मिलें बन्द हैं;

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने किस-किस तारीख को कौन-कौन सी मिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया था;

(ग) विदर्भ डिवीजन, बम्बई नगर तथा शेष महाराष्ट्र में पृथक्-पृथक् कितने मजदूर बेरोजगार रहे हैं; और

(घ) इन मिलों को पुनः चालू करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) महाराष्ट्र के विदर्भ डिवीजन में 9 सूती मिलें, बम्बई नगर में 59 और महाराष्ट्र के शेष जिलों में 24 हैं। विदर्भ डिवीजन में 2 मिलें बन्द पड़ी हैं, बम्बई नगर में कोई मिल बन्द नहीं है और महाराष्ट्र के शेष जिलों में 2 मिलें बन्द पड़ी हैं।

(ख) 27-1-1958 से बेरोजगारी सहायता योजना के अन्तर्गत शोलापुर की नरसिंगीर जी मिल्स लिमिटेड नामक एक मिल को अनिश्चित समय तक चलाने के लिये महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी परिसमापक से पट्टे पर अपने अधिकार में ले लिया ह।

(ग) विदर्भ डिवीजन में मिलों के बन्द होने के कारण 4500 कारीगरों तथा महाराष्ट्र के अन्य जिलों में लगभग 4560 कारीगरों पर प्रभाव पड़ा है।

(घ) बन्द कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय, अन्य बातों के साथ-साथ, ये हैं :—

(1) उचित मामलों में सरकारी गारंटियों के अन्तर्गत बैंकों के जरिये मौजूदा प्रबन्धक को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।

(2) मिलों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत या अन्यथा, अधिकार में लेकर पुनः चालू करने के लिये उपाय ढूंढने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जांच करना।

(3) राज्य सरकार द्वारा मिलों को अपने अधिकार में लेना और सरकारी बेरोजगारी सहायता योजनाओं के अन्तर्गत उनका प्रबन्ध करना।

इडाकरू (कोजी कोड जिला) में लोह अयस्क का खनन

539. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी फर्म ने कोजीकोड जिले (केरल राज्य) के इडाकरू गांव में लौह अयस्क के खनन तथा इसके निर्यात के लिये अनुमति मांगी है ;

(ख) केरल प्रशासन में यह मामला कब से लाम्बत है; और

(ग) लाइसेंस देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) हां, महोदय। मैसर्स जनरल माईनिंग कार्पोशन कालीकट ने 17 सितम्बर 1964 को कोजीकोड जिले के एक क्षेत्र पर खनन पट्टा दिए जाने के लिए केरल सरकार को एक प्रार्थना-पत्र दिया था।

(ख) राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा 10 फरवरी, 1965 को स्वीकार किए जाने की सूचना मिली है।

(ग) देरी का कुछ कारण यह भी है कि खनिज रियायती नियमों के तहत राज्य सरकार को खनन पट्टा स्वीकार करने के पूर्व केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त करना था। परन्तु पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस कारण रुक गई है कि प्रार्थी द्वारा रैयतवाड़ी वाली जमीन के खनन-अधिकारों में राज्य सरकार की मांग के विषय में ऐतराज किया गया है।

लाल मिर्च का निर्यात

540. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से लाल मिर्चों का निर्यात अन्य देशों को किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1965–66 में कितनी मात्रा में और कितनी कीमत की लाल मिर्चों का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या इससे मिर्चों के भाव कुछ बढ़ गये हैं ; और

(घ) क्या इस निर्यात को रोकने का कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 9532 मे० टन जिसका मूल्य 2,49 करोड़ रु० था।

(ग) लाल मिर्च का निर्यात कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत है और देश के भीतर के बाजार भावों पर इसका प्रभाव यदि कोई है तो वह नगण्य है।

(घ) जी, नहीं।

Goods Booked by Railways

541. Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri Subodh Hansda:
Shri P. C. Borooah:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the additional quantum of goods booked by Railways at the time of recent strike of truck owners of Uttar Pradesh in comparison to the normal quantum of goods;

(b) whether Indian Railways delivered the goods booked for different destinations in time, if not, why steps were not taken to avoid delay so that the railways could save of payment of compensation to the concerned parties as a result of perishing of goods and non-delivery in time;

(c) the reasons for the non-recruitment of additional temporary staff by the Railways for loading, unloading and delivery of these additional goods; and

(d) the total amount of claims to be paid by the Railways for the loss thus caused?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (d). The information is being obtained from the Railways and will be placed on the Table of Sabha as soon as available.

जूतों का निर्यात

542. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिल्कुल नये डिजाइन के बूटों के निर्माण के लिये जिनका निर्यात किया जा सके, नये केन्द्रों की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या इन केन्द्रों में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है और क्या इन केन्द्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं;

(ग) क्या इनके निर्यात के लिए रूस और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र के अतिरिक्त और भी कोई बाजार ढूंढे गये हैं ; और

(घ) यदि हां तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) चतुर्थ योजना जता निर्यात समिति ने कुल मिला कर एक करोड़ जोड़े चमड़े के जूते बनाने की क्षमता वाले 5 नये कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की है जिनका अधिकांश माल निर्यात किया जायेगा । इस सिफारिश पर अन्य मन्त्रालयों/विभागों की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां; तथा

(घ) अन्य देशों में कुछ के नाम ये हैं :—

कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, कुवैत तथा अदन ।

केलों का निर्यात

543. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम जापान तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों में केलों का बाजार बनाने में सफल हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात कब आरम्भ किया जायेगा ;

(ग) उन देशों को कितने केले निर्यात किये जायेंगे; और

(घ) अन्य देशों के नाम क्या हैं, जहां अब केलों का निर्यात स्थायी व्यापार के आधार पर किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). केला एक अतिशीघ्र खराब होने वाला फल है और विगतकाल में इसका निर्यात केवल पड़ौसी देशों अर्थात् फारस की खाड़ी के देशों तथा पाकिस्तान को ही किया जाता था । विगतकाल में रूस तथा इटली को केले का निर्यात करने के लिए

गुजरात तथा महाराष्ट्र की सहकारी समितियों ने भी प्रयत्न किए थे परन्तु केले गन्तव्य स्थान पर ठीक हालत में नहीं पहुंच सके। इसके बाद राज्य व्यापार निगम ने गत वर्ष दूरस्थ स्थानों को समुद्र मार्ग से केले निर्यात करने का कार्य अग्रणी हो कर आरम्भ किया और उसने सितम्बर-दिसम्बर, 1965 में रूस को 1000/1200 मे० टन केलों का सम्भरण करने के लिए प्रयोग स्वरूप एक संविदा किया। निगम को समुद्रीय मार्ग से उस केले के निर्यात करने में सफलता प्राप्त हुई। राज्य व्यापार निगम ने सितम्बर–दिसम्बर, 1966 में रूस को 5000 मे० टन केले निर्यात करने का करार किया है और सितम्बर, 1966 में रूस को 1012 मे० टन केले समुद्री जहाज द्वारा पहले से ही भेजे जा चुके हैं। राज्य व्यापार निगम इस वर्ष जापान तथा इटली को भी प्रयोगस्वरूप समुद्री मार्ग द्वारा केले भेजने का प्रस्ताव कर रहा है।

(ग) रूस, कुवैत, बहरीन, ट्रस्थिल, कतार तथा ओमन और ईरान।

नमक का निर्यात

544. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या भारतीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नमक के निर्यात के लिये जापान के अतिरिक्त अन्य नये बाजार ढूंढे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उन देशों को नमक भेज दिया गया है ; और

(घ) क्या उन देशों से प्राप्त मूल्य जापान की तुलना में अधिक है और यदि नहीं, तो उसमें कितना अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) यूगांडा तथा तंजानिया।

(ग) यूगाण्डा को दो बार तथा तंजानिया को एक बार माल भेजा गया।

(घ) जापान से 22 शि० जहाज पर पहुंचाने तक का मूल्य मिला तथा यूगाण्डा से 96 शि० लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य मिला। दोनों मूल्यों की प्रत्यक्ष रूप से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि जापान को जो नमक निर्यात किया गया वह अनपिसा था और बिना पैक किये बड़ी मात्रा में भेजा गया जबकि पूर्वी अफ्रीका को जो नमक निर्यात किया गया यह कुछ तो पिसा हुआ था और कुछ अनपिसा था तथा टाट की बोरियों में पैक था और पिसे हुए तथा अनपिसे नमक दोनों के लिए एक ही मूल्य लिया गया।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियों का निर्यात

545. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान तथा स्विटजरजलैण्ड की बनी हुई घड़ियों के मुकाबले में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित घड़ियां निर्यात करने के लिए कोई विदेशी बाजार ढूंढा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उन देशों को घड़ियां भेजी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी बाजारों में इन घड़ियों की बिक्री कैसे हो रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और युगाण्डा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इन घड़ियों को सामान्यतः खूब पसन्द किया गया है ।

विदेशों में भारतीय लौह अयस्क का मूल्य

546. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963-64 से विदेशों में भारतीय लौह अयस्क के मूल्य गिर गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों में मूल्य अधिक गिर गए हैं ; और

(ग) इस गिरावट के क्या कारण हैं तथा क्या मूल्यों को स्थिर रखने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां; अयस्कों की कुछ श्रेणियों में, किन्तु फिर भी हमारे मूल्य विश्व के मूल्यों की तुलना में ठीक हैं । सामान्यत विश्व बाजार के मूल्य गिर रहे हैं ;

(ख) उन सभी देशों में जो भारतीय लौह अयस्क का आयात करते हैं ।

(ग) बढ़िया पत्तनों और यान्त्रिक लदान की सुविधाओं, जिससे समुद्री भाड़ा कम हो जाता है, वाले वैकल्पिक तथा निकटतर स्रोतों से अयस्कों की उपलब्धि होने के परिणामस्वरूप कड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है । मूल्य विदेशी खरीदारों से बातचीत पर निर्भर होते हैं और बाजार की प्रचलित स्थिति को ध्यान में में रख कर तय किये जाते हैं । अयस्क के यांत्रिक लदान की सुविधाओं, जिससे भारतीय लौह

अयस्क विदेशी बाजारों में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएगा, वाले कुछ भारतीय पत्तनों को विकसित करने का भी विचार है ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सन्थानम् समिति

547. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी सन्थानम् समिति की सिफारिशों को, विशेषतया सिफारिश संख्या 75 (चार) और (पांच) को, पूर्णतया क्रियान्वित किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भ्रष्टाचार निवारण से सम्बन्धित सन्थानम् समिति ने रेल मन्त्रालय के सम्बन्ध में जो सिफारिशें की थीं, उनमें से सरकार द्वारा स्वीकृत अधिकांश सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं या की जा रही हैं। इनमें सिफारिश सं० 75 (iv) और (v) भी शामिल हैं, जो पूरी तरह क्रियान्वित की जा चुकी हैं ।

(ख) एक नोट संलग्न है, जिसमें उन सिफारिशों की सूची दी गयी है जो वास्तव में क्रियान्वित की जा चुकी हैं, क्रियान्वित की जा रही हैं तथा जिन पर विचार हो रहा है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7217/66]**

इलायची बोर्ड

548. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) इस बोर्ड का विचार किस प्रकार इलायची का उत्पादन बढ़ाने का है ;

(ग) क्या यह बोर्ड इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिये भी कार्यवाही करेगा; और

(घ) इसका निर्यात बोर्ड करेगा अथवा कोई और एजेन्सी निर्यात करेगी और इस समय कौन-कौनसी एजेन्सियां इलायची का निर्यात कर रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इलायची का उत्पादन निम्न तरीकों से धीरे-धीरे बढ़ाने का प्रस्ताव है :—

(1) अधिक भूमि पर खेती करके;

(2) उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों आदि का पर्याप्त परिमाण में और यदि सम्भव हुआ तो रिआयती दरों पर वितरण करके ;

(3) नये बागानों तथा पुन:रोपण दोनों के लिए दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध करके;

(4) 'काट्टे' रोग के, जिसने विद्यमान बागानों को उल्लेखनीय सीमा तक हानि पहुंचायी है, उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ करके; और

(5) रोग-निरोधक रोपण सामग्री आदि के विकास आदि जैसे इलायची की कृषि सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर अनुसन्धानों के परिणाम रोपकों के लिए उपलब्ध करके।

(ग) तथा (घ). बोर्ड प्रत्यक्ष रूप में इलायची का निर्यात नहीं करता बल्कि निर्यातकों को केवल सहायता देता है। इस समय माल का निर्यात बम्बई, मंगलौर, कोचीन तथा टूटीकोरिन के निजी निर्यातकों द्वारा किया जाता है।

इंन्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर

549. **श्री म० ला० द्विवेदी:**
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त:
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री भागवत झा आजाद:
डा० म० मो० दास:

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर की पूरी क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या निर्यात के लिये अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया जा सकता है और यदि हां, तो क्या डिब्बों का निर्यात करने का प्रयत्न किया गया है ; और

(घ) कौन कौन से देश भारतीय डिब्बों का आयात करना चाहते हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक बयान नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7218/66**]

बिहार में राखा तांबा परियोजना

550. **श्री म० ला० द्विवेदी:**
श्री सुबोध हंसदा:
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ:
श्री भागवत झा आजाद:
डा० म० मो० दास:

क्या खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रूसी सहायता से राखा तांबा परियोजना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) क्या रूसी विशेषज्ञ कार्य-स्थल पर पहुंच गये हैं;

(ग) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राखा तांबा परियोजना के निक्षेपों का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें कितने प्रतिशत तांबा है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). भारतीय भौमिकी विभाग राखा में तांबे के लिये विस्तृत अनसन्धान कर रहा है। इस परियोजना के लिये रूसी तकनीकी एवं वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव अभी फलीभूत नहीं हुआ है।

(ग) इस क्षेत्र से व्यधन कार्य के दौरान विभिन्न छिद्रों से लिये गये नमूनों की जांच की जा चकी है।

(घ) अयस्क में विभिन्न धातुओं का सम्भावित प्रतिशत निम्न प्रकार से है :—

तांबा	1.5	यूरेनियम	0.02
निकल	0.08	आक्साइड	
मौलिवडिनम	0.011	सैलिनियम	0.002
बिस्मथ	0.005	कोबाल्ट	0.0011
आरसिनिक	0.0003	गेलियम	0.03
टीन	0.001		

अमरीका से रेल की पटरियों का आयात

551. **श्री फ० गो० सेन:**
श्री कोल्ला वेंकया:

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 करोड़ रुपये के मूल्य की रेल की पटरियों (हैवी ट्रैक्शन) के आयात के लिये अमेरिका को कोई क्रियादेश दिया गया है ; और

(ख) क्या विशिष्ट प्रकार की इन रेल पटरियों का दुर्गापुर अथवा भिलाई में अर्थात् देश में ही निर्माण नहीं किया जा सकता था ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

पटसन के मूल्य

552. **श्री फ० गो० सेन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के मूल्यों में अचानक गिरावट के क्या कारण हैं जब कि यह पता लगा है कि इसका संभरण मांग से कम है ; और

(ख) पटसन के मूल्यों में और गिरावट न होने देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख). जूट के वर्तमान मौसम के आरम्भ में कच्चे जूट के मूल्य असाधारण रूप से ऊंचे स्तर पर रहे। बाजार में रेशे के अधिक मात्रा में आ जाने के कारण वे घट कर सामान्य स्तर पर आने लगे। फिर भी वर्तमान मूल्य, सरकार द्वारा नियत किये गये निम्नतम टेकबन्दी मूल्य से काफी अधिक हैं तथा ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि मूल्य घाटे के स्तर तक गिर जायें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य निम्नतम टेकबन्दी के स्तर पर या उससे ऊंचे स्तर पर बने रहें, यदि और जब भी आवश्यक होगा तो राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भी खरीद की जायेगी।

अनियत श्रमिक

553. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में 31 अगस्त, 1966 तक रेलवे वार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अन्य श्रेणी के कितने अनियत श्रमिक काम पर लगाये गये ;

(ख) मजूरी की दैनिक दर क्या है और यह दर किस आधार पर निश्चित की गई है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों और प्रतिष्ठानों में समान श्रेणियों के कारीगरों के लिए मजूरी की क्या दर है ;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों और प्रतिष्ठानों में अनियत श्रमिकों की मजूरी की दर रेलवे विभाग में मजूरी की दर से अधिक है ; और

(ङ) यदि हां, तो उउके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ङ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

चाय परिष्करण एकक

554. **श्री प्र० चं० बरुआ:**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा:
श्री म० ला० द्विवदी:

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा बागान उद्योग के विकास के लिए अपनी योजना के अन्तर्गत पृथक चाय परिष्करण एककों तथा चाय पत्ती गृहों की स्थापना के लिए, पुनर्वित्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) तथा (ख) कृषि पुनर्वित्त निगम केवल परिष्करण एकक की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देगा परन्तु वह इसकी आवश्यकता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो तथा ऐसी योजना बागान फसलों के एक विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हो जिसके सम्बन्ध में किसी चाय सम्पदा अर्थात् नवरोपण/पुनर्रोपण या बागान विस्तार द्वारा परिकल्पित विकास केप्रमुख भाग के लिए किसी अन्य अभिकरण से वित्त सुनिश्चित किया गया हो । विकास की दो योजनाओं के अन्तर्गत इसने पहिले ही चाय कारखानों की स्थापना के लिये पुनर्वित्त की मंजूरी दी है।

Short Supply of Cement to Delhi Municipal Corporation

555. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:
Shri Basappa

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the supply of 25,000 bags of cement made to the Delhi Municipal Corporation by a Cement factory, there was an under-supply of ten kilograms of cement per bag;

(b) if so, the number of persons involved in this transaction; and

(c) the action taken in this regard?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) to (c). The Delhi Municipal Corporation has complained to a cement factory in Madhya Pradesh that in the first consignment received from that factory, out of the order for 2000 tonnes of cement, the bags were found to contain on the average 5 to 6 kg. of cement less. An officer of the Corporation also visited the factory to check the correctness of the weight in respect of the next consignment. The question of compensation for short weight is under correspondence between the Delhi Municipal Corporation and the cement factory.

Hindi Knowing Staff

556. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number as on the 31st August, 1966 of each of Class I, Class II and Class III employees in his Ministry, who do not know Hindi;

(b) whether the Ministry has prepared a roster with a view to teach them Hindi; and

(c) if so, according to that roster when the teaching of Hindi to all the employees is likely to be completed?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) There are 61 Class I officers, 129 Class II officers and 87 Class III officers in this Ministry who do not know Hindi.

(b) Yes.

(c) About 5 years.

Correspondence in Hindi

557. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the total number of letters received in Hindi in his Ministry and its Attached and Subordinate Offices during the first half of 1966; and

(b) the number of letters out of them replies in Hindi and English separately?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Use of Hindi in Offices

558. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of Government employees in his Ministry who were asked to work in Hindi after they had been given training under the Hindi Training Scheme Classes run by the Home Ministry; and

(b) whether Government are taking any steps to keep the knowledge of Hindi of these employees fresh; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Four Sections where most of the staff knows Hindi have been permitted to note in Hindi on Hindi communications.

(b) and (c). Hindi books and magazines have been provided in the Library which is under the Ministry of Industry and these are available to the staff of this Ministry also.

Hindi Translation of Rules of Imports and Exports

559. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the nature of rules sent to the Ministry of Law by the Chief Controller of Imports and Exports for Hindi Translation till now;

(b) the number out of them which have been translated; and

(c) the steps taken for the translation of the remaining rules?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) The imports (Control) Order, 1955 and five amendments thereto, issued up to August 21, 1964 under the Imports and Exports (Control) Act, 1947.

(b) The five amendments have been translated.

(c) After the translation of the Imports (Control) Order, 1955 is completed, the further amendments made thereto and also the Exports (Control) Order, 1962 as amended uptodate will be sent to the Ministry of Law for translation into Hindi.

Machinery for Bokaro Steel Plant

560. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Russia has agreed to give machinery as aid for the Bokaro Steel Plant;

(b) if so, the equipment so far received; and

(c) the equipment to be received and the time by which it will be received?

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): (a) to (c). The U.S.S.R. Organization are to supply, *interalia*, 105,852 tonnes of equipment by about the middle of 1970, for the construction of the 1.7 million tonne stage of Bokaro Steel Plant in terms of a contract concluded between Bokaro Steel Limited and Russian Organisation "Tjazhpromexport" on May 3, 1966 against the Soviet credit of 200 million roubles for Bokaro. The Soviet suppliers have started shipment of the contracted equipment. One ship containing a consignment of 84 tonnes of equipment and 1920 tonnes of pipes and other materials arrived in September, 1966.

Cement Factory in Rajasthan

562. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have recently issued a licence to set up a Cement Factory at Boondi, Rajasthan;

(b) if so, when it is likely to be set up; and

(c) the reasons for the delay?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) to (c). As the cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, with effect from 13th May, 1966, it is no longer necessary for anyone to obtain a licence for setting up cement factories. In November, 1965, the scheme of a private party for setting up a cement factory at Boondi in Rajasthan with an annual capacity of 200,000 tonnes was approved. The party is understood to be at present engaged in carrying out detailed prospecting operations for limestone. It has also placed a letter of intent on a machinery manufacturer for the supply of plant and equipment. As the normal gestation period for commissioning a cement factory is about three years from date of placement of orders for machinery, it is expected that the scheme is likely to be completed by 1969.

Supply of Rails to Japan

563. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India will supply rails to Japan;

(b) if so, the quantity thereof in tonnage; and

(c) whether these will be supplied at cheaper rate or at higher rate than the rate at which these were supplied to Russia?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

564. श्री मोहन नायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितनी औद्योगिक बस्तियां चालू हो गई हैं; और

(ख) बरहामपुर औद्योगिक बस्ती के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) बस्तियां जिनमें काम हो रहा है 6

वे बस्तियां जो पूरी हो चुकी हैं तथा जो कार्य शुरू कर देने के लिए हैं 3

(ख) बरहामपुर औद्योगिक बस्ती :

शैड जो पूरे हो चुके हैं . . .	15
शैड जहां काम हो रहा है	8
रोजगार	226
वार्षिक उत्पादन	18 लाख रु०

उपरोक्त आंकड़ों में उन पंचायत समितियों के उद्योगों की छोटी बस्तियों/वर्कशैडों के बारे में, जिनके संबंध में राज्यों से लघु उद्योगों के विकास आयुक्त को कोई सूचना नहीं मिली है, कोई भी आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं ।

वर्क मिस्त्रियों की छंटनी

565. **श्री अ० क० गोपालन:** **श्री उमानाथ:**
डा० सारादीश राय: **श्री नम्बियार:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के सर्वेक्षण तथा निर्माण विभाग में कितने वर्क मिस्त्रियों की छंटनी की गई है ;

(ख) क्या उन्हें पुन: रोजगार देने के लिए पश्चिम रेलवे मजदूर संघ से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम रेलवे में बनाये गये नये पदों के लिए इन मजदूरों को प्राथमिकता देने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 109 ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

रेलवे परिवार दस्तकारी केन्द्र, आलमबाग

566. **श्री उमानाथ :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे परिवार दस्तकारी केन्द्र, आलमबाग, लखनऊ रेलवे के अहाते के बाहर खोला गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या रेलवे प्राधिकारियों का ध्यान दस्कारी केन्द्र के कर्मचारियों के कथित भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दस्तकारी केन्द्र को रेलवे अहाते के भीतर स्थापित करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। हस्तकला केन्द्र रेलवे की सीमा में है।

(ख) जी हां।

(ग) उत्तर रेलवे का चौकसी विभाग मामले की छानबीन कर रहा है ।

(घ) सवला नहीं उठता ।

रेलवे की वर्दियां

567. **श्री उमानाथ :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला भंडार नियंत्रक, आलमबाग, लखनऊ के वर्दी परीक्षक ने जून, 1966 में रेलवे परिवार हस्तशिल्प केन्द्र द्वारा तैयार की गई 15,000 वर्दियों को रद्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि तत्पश्चात् उच्च अधिकारियों ने इन वर्दियों को रेलवे कर्मचारियों के प्रयोग के लिए स्वीकार कर लिया ।

(घ) यदि हां, तो इसके लिए अधिकारियों ने क्या कारण बताये थे; और

(ङ) क्या रेलवे विभाग ने इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) सवाल नहीं उठता ।

रेलव परिवार दस्तकारी केन्द्र, आलमबाग

568. **श्री उमानाथ :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

लवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला स्टोर नियन्त्रक, आलमबाग, लखनऊ ने रेलवे परिवार दस्तकारी केन्द्र, आलमबाग को ग्रीषम ऋतु 1965 के वस्त्रों के लिए क्रयादेश दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे परिवार दस्तकारी केन्द्र, आलमबाग ने यह क्रयादेश उक्त दस्तकारी केन्द्र की गनेशगंज तथा जयप्रकाश नगर शाखाओं को आगे भेज दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन शाखाओं के पास कोई रिकार्ड है कि इन क्रयादेशों का लाभ किन रेलवे परिवारों को दिया गया था; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या रेलवे अधिकारियों ने इस मामले की कोई जांच की थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेलव मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुगभ सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता ।

गांधी आश्रम

569. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी आश्रम ने जो खादी का व्यापार करने वाला एक संगठन है, दिल्ली नगर निगम को घटिया किस्म के 700 तकिये तथा 500 चटाइयां सप्लाई की थीं और बाद में उसने इस तथ्य को कबूल किया था और पन्द्रह दिन के भीतर वह उनके स्थान पर अन्य तकिये तथा चटाइयां देने के लिए सहमत हुआ था ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और किसी पर जिम्मेदारी ठहराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तकिए तथा गद्दे बनाने में प्रयुक्त कपड़ा मानक से घटिया किस्म का नहीं था, किन्तु उनकी रुई जो एक ठेकेदार द्वारा धुनी और भरी गई थी, मानक से घटिया किस्म की थी ।

(ख) और (ग). गांधी आश्रम, चांदनी चौक, दिल्ली मामले की जांच कर रहा है तथा सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

इस्पात का निर्यात

570. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात निर्यात व्यापारियों ने सरकार को अपना यह मत व्यक्त किया है कि जब तक सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं देती, तब तक इस वर्ष के लिए नियत किए गए 6 लाख टन इस्पात के निर्यात के लक्ष्य को पूरा करना बहुत ही कठिन होगा ;

(ख) क्या व्यापारी वर्ग सरकार से अपनी नीति में पुनरीक्षण करने के लिए अनुरोध कर रहा है, ताकि इस्पात के गैर सरकारी निर्यातक विदेशों में नई मंडियां मिलने की सम्भावनाओं का पता लगा सकें और उन्होंने सरकार से यह आग्रह भी किया है कि सरकार इस्पात निर्यातक संस्था को समाप्त कर दे और इसके स्थान पर निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करे ; और

(ग) इन मामलों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) . 6 जून, 1966 से लेकर अच्छे प्रकार के इस्पात के निर्यात के लिए दी जाने वाली सहायता की सभी योजनाएं खत्म कर दी गई हैं। संबंधित व्यापारी वर्ग ने निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में अपनी नीति में संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था। हाल ही में सरकार ने इस बारे में संबंधित व्यापारी वर्ग से विचार विमर्श किया है और इस समय सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस वर्ष विभिन्न देशों को लगभग दस करोड़ रुपये के मूल्य का इस्पात निर्यात करने के लिए करार किये हैं। सरकार को इस्पात निर्यातक संस्था को समाप्त करने और इस के स्थान पर निर्यात संवर्धन परिषद् बनाने के बारे में किसी प्रतिवेदन की जानकारी नहीं है।

दिल्ली से नंगल बांध तक सीधी रेलगाड़ी

571. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से नंगल बांध तक तथा नंगल बांध से दिल्ली तक सीधी रेलगाड़ी चलाने की योजना को, जो काफी समय से विचाराधीन थी, अब अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) इस समय दिल्ली/नयी दिल्ली और नंगल डैम के बीच तीन सीधे डिब्बे उपलब्ध हैं : दो पहले व तीसरे दर्जे के मिले-जुले डिब्बे तथा एक दूसरे व तीसरे दर्जे का मिला-जुला डिब्बा। ये डिब्बे 59/60 श्रीनगर एक्सप्रेस, 1/2 कालका मेल और 53/54 नांगल डैम एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाये जाते हैं। दिल्ली/नयी दिल्ली और नंगल डैम के बीच जितना यातायात होता है, उसके लिये ये डिब्बे बहुत काफी हैं। इन स्टशनों के बीच सीधी गाड़ी चलाने का औचित्य नहीं है । इसके अलावा, दिल्ली-अम्बाला खण्ड पर लाइन क्षमता की कमी तथा दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण परिचालन की दृष्टि से भी एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं है ।

कीरतपुर साहिब स्टेशन पर माल का नष्ट होना

572. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदाम अथवा शेडों के न होने के कारण उत्तर रेलवे के रोपड़-नगली सेक्शन के कीरतपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर माल के नष्ट हो जाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लगभग तीन लाख रुपये की हानि का दावा किया है ; और

(ख) गोदाम तथा शेडों के निर्माण पर कितना खर्च आयेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) कीरतपुर साहिब स्टेशन पर गोदाम या शेड न होने की वजह से 1965 में और अक्टूबर, 1966 तक माल नष्ट होने के सम्बन्ध में कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) इस समय वहां 20' × '10 का एक गोदाम बना हुआ है, जिसमें 6 फुट का बरामदा है। विचार किया जा रहा है कि अम्बाला कैंट से एक शेड हटा कर कीरतपुर ले जाया जाये । इस काम पर लगभग 50 हजार रुपया लागत आने का अनुमान है ।

लघु उद्योग

573. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 के दौरान पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार को कोई योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और प्रत्येक के लिए कितनी राशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) पंजाब राज्य (पुनर्गठन से पहले) तथा हिमाचल प्रदेश की 1966–67 की वार्षिक योजनाओं में लघु उद्योगों के लिए क्रमशः 111·48 लाख रुपये तथा 15·70 लाख रुपये की व्यवस्था शामिल है। योजना की सूची बताने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 7219/66]**

पुनर्गठित पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश को संघ राज्य क्षेत्र के खर्च अभी मालूम नहीं हैं ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

575. **श्री वाडीवा** — **डा० चन्द्रभान सिंह** :
श्री उ० मू० त्रिवेदी : — **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम ने हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के सहायक उद्योग के रूप में 'पेपर कवर्ड कापर कंडक्टर' संयंत्र बनाने के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने की प्रार्थना की है, जिसके लिये आशय-पत्र जारी किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार को इसके लिये औद्योगिक लाइसेंस देने में क्या कठिनाई पेश आ रही है ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लि० को 1200 टन वार्षिक क्षमता के कागज मंढ़ी स्ट्रिपें (ढके हुए तांबे के कन्डक्टर) बनाने के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भोपाल का एक सहायक कारखाना स्थापित करने के लिये अक्तूबर, 1964 में एक आशय-पत्र जारी किया गया था। उन्हें यह लाइसेंस उस समय दिया जाना था जब कि वह

विदेशी सहयोग पूंजीगत उपकरणों के आयात तथा लगाई जाने वाली पूंजी के बारे में सरकार के संतोष के अनुसार अन्तिम रूप से प्रबन्ध कर ले। इस बारे में कम्पनी के प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुए थे और इनकी जांच के परिणामस्वरूप आवेदक से कुछ स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। इस स्पष्टीकरण के प्राप्त हो जाने पर ही औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने पर विचार किया जायगा।

Export of Beef

577. Shri Rameshwaranand: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the total value of beef exported during the year 1965-66; and

(b) the total value of hides of cows exported this year?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Nil.

(b) Exports of hides of fallen cows was roughly Rs. 324.84 lakhs in 1965-66.

दक्षिण-मध्य रेलवे खण्ड (जोन)

578. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की दक्षिण-मध्य रेलवे खण्ड में नियुक्ति के बारे में राय जानने के लिए कोई निदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निदेश दिये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, क्षेत्रीय रेलों के केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ; और

(ख) रेलवे बोर्ड के 5/7-2-1966 के सम्बन्धित परिपत्र सं० ई (एन जी) 65 एस आर-6/29 की एक प्रतिलिपि उपबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 7220/66]**

Increase in Salary of Railway Officers

579. Shri Mohan Swarup: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that like the officers of Railway Board, the Class I Officers of Zonal Railways are also demanding increase in their salary;

(b) if so, whether it is also a fact that a deputation of Class I officers of various zonal Railways approached the Railway Board; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (c). A number of representations have been received from the Class I Officers of the Zonal Railways for improvement in their scales of pay and their demands are under active consideration of the Railway Board.

Coal Prices

580. Shri Mohan Swarup: Will the Minister of **Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices of Coal are proposed to be raised in the near future;

(b) if so, the proposed revised prices; and

(c) the reason for raising the same?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey): (a) There is, at present, no proposal to raise the price of coal. The report of the Study Group on coal prices will be dealt with separately on merits.

(b) and (c). Do not arise.

कांगडा में छोटे पैमाने का चाय उद्योग

581. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में अमृतसर (पंजाब) में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम लागू होने के परिणामस्वरूप कांगड़ा घाटी के चाय बागानों में उत्पादित काली तथा हरी चाय बड़ी मात्रा में अमृतसर बाजार में जमा हो रही है ;

(ख) क्या इस कार्यवाही का छोटे पैमाने के चाय उद्योग पर और इस उद्योग में काम करने वाले हजारों मजदूरों तथा उत्पादकों पर बड़ा बुरा असर पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार को इसके बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो कांगड़ा घाटी के छोटे पैमाने के चाय उद्योग को नष्ट होने से बचाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (घ) .एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि कांगड़ा में चाय के उत्पादक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार चाय का उत्पादन करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। भारतीय चाय की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाये बिना निर्धारित मानकों को किस हद तक शिथिल किया जा सकता है, इस प्रश्न पर अविलम्बनीय आधार पर विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक उत्पादन

582. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय श्रमिकों के एक ही स्थान पर न ठहरने की वृत्ति के कारण विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में कमी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में डा० राधा कमल मुकर्जी की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) .जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा उसे सदन की मेज़ पर रख दिया जायगा ।

चाय का निर्यात

583. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी किस्म की चाय का विदेशों को निर्यात किया जाता है और भारत में घटिया किस्म की चाय की खपत की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी): (क) और (ख). व्यापक रूप में यह कहना सही नहीं होगा कि देश में उत्पादित तमाम अच्छी किस्मों की चाय का निर्यात किया जाता है और घटिया किस्मों की चाय को आन्तरिक खपत के लिये बेचा जाता है। साधारण तथा अच्छी दोनों किस्मों की चाय आन्तरिक बाजार और साथ ही विदेशी बाजारों में बेची जाती है।

गार्ड के कमरे से चावल और गेहूं की बरामदगी

584. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 सितम्बर, 1966 को पुलिस ने सन्तीपुर स्थानीय रेल गाड़ी के गार्ड के कमरे से 21 मन चावल और 11 मन गेहूं बरामद किया ;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं। लेकिन 27-9-66 को नहाटी रेलवे स्टेशन पर शान्तिपुर लोकल गाड़ी के विभिन्न कक्षों से 91 किलोग्राम चावल और 20 किलोग्राम गेहूं बरामद किया गया था।

(ख) और (ग). सरकारी रेलवे पुलिस ने अभी कोई मामला नहीं चलाया है। इसे उन्होंने 27-9-66 को अपनी डायरी में नं० 171 पर दर्ज कर लिया है।

मैसर्स नानकचन्द शादीराम की फर्म

585. **श्री किशन पटनायक** :
श्री मधु लिमये :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1955 से 1965 तक की अवधि में मेसर्स नानकचन्द शादीराम की फर्म का नाम कितनी बार काली सूची में दर्ज किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि इस फर्म द्वारा किये गये कानून तथा विनियमों के उल्लंघन और कदाचारों के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस फर्म ने 1959-63 में एम० एस० प्लेट (जोकि उन्हें सरकारी विभागों को सप्लाई करने के लिये दिये गये थे) सरकार को नहीं बेचे किन्तु जनता को ऊंचे मूल्यों पर बचे थे ;

(घ) क्या इस फर्म ने काफी मात्रा में अपरीक्षित इस्पात को परीक्षित इस्पात बता कर बेचा है और इस प्रकार गैर कानूनी रूप से 50 रुपये प्रति टन के हिसाब से अतिरिक्त धन कमाया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार ने इन आरोपों की जांच करवाई है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (च) . सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रेलवे वर्कशापों/रेल इंजन शेडों में फोरमैन तथा चार्जमैन

586. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे वर्कशापों तथा रेल इंजन शेडों में काम करने वाले फोरमैन तथा चार्जमैन के निर्धारित कर्त्तव्य क्या हैं ; और

(ख) विभिन्न रेलों के वर्कशापों तथा शेडों में क्रमशः अधिकतम कितने कर्मचारी उनके अधीन हो सकते हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) किसी रेल-कारखाने या लोको शेड के फोरमैनों का कर्त्तव्य यह है कि वह अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के काम का पर्यवेक्षण करें और उनको निदेश दें और अपने अधिकार-क्षेत्र में किये जाने वाले अपने को सुपुर्द कामों पर कार्यकारी और तकनीकी नियंत्रण रखें ।

रेल-कारखानों और लोको शेड में नियुक्त चार्जमैनों को भी अपने अधीन काम करने वाले कामगारों की टोली के काम का पर्यवेक्षण करना होता है और उन्हें निदेश देना होता है। इसके अलावा वे उनके काम पर तकनीकी नियंत्रण रखते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि काम संतोषप्रद मात्रा में निकलता रहे।

फ़ोरमैन और चार्जमैन के कर्त्तव्यों में मुख्य अन्तर यह है कि फ़ोरमैन एक बड़े कारखाने का पर्यवेक्षण करता है जिसमें उसके अधीन कई चार्जमैन काम करते हैं और प्रत्येक चार्जमैन कारखाने या शेड में अपने अनुभाग में काम का पर्यवेक्षण करता है ।

(ख) फ़ोरमैन या चार्जमैन के नियंत्रण में रखे गये कामगारों की अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि यह काम के प्रकार और किसी विशेष काम के लिए पर्यवेक्षण की अपेक्षित गहनता पर निर्भर करती है ।

रेलवे फोरमैन तथा चार्जमनों के वेतनक्रम

587. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलवे तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले फोरमैनों/चाजमैनों के वेतन-क्रमों में बहुत अन्तर है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे में तकनीकी अधीक्षकों को अन्य सरकारी उपक्रमों में अपने तत्समान कर्मचारियों की तुलना में बहुत अधिक कर्मचारियों के काम का अधीक्षण करना पड़ता है तथा अधिक जिम्मेदारी से काम करना होता है ; और

(ग) यदि हां, तो वेतन-क्रमों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) जी हां। रेलवे में फोरमैन और चार्जमैन के वेतनमान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए जगन्नाथ दास वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित हैं। सरकारी उपक्रमों के वेतनमान और पर्यवेक्षित कर्मचारियों की संख्या विभिन्न यूनिटों में अलग अलग है। रेल कारखानों और अन्य सरकारी उपक्रमों में इस प्रकार की तुलना करना समीचीन नहीं है क्योंकि उनमें कर्मचारियों की ड्यूटी, योग्यता, नियुक्ति-प्रणाली, पदोन्नति-सरणि, काम की किस्म, जिम्मेदारियां, कारखाने की सुविधाएं आदि सर्वथा विभिन्न होती हैं ।

चार्ज मैनों को प्रतिकर

588. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यभार तथा उत्तरदायित्व में अत्यधिक वृद्धि के कारण सरकार का भारतीय रेलवे वर्कशापों के उत्पादन, आयोजन, दर निर्धारण, निरीक्षण और मिलराइट विभागों में चार्जमैनों को प्रतिकर अथवा मानदेय वेतन देने का कोई विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सूभग सिंह) : (क) जी नहीं। जहां जहां काम बढ़ा है वहां औचित्य होने पर, अतिरिक्त पर्यवेक्षक कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(ख) रेलवे कारखानों के उत्पादन, योजना, दर-निर्धारण, निरीक्षण और मिलराइट विभागों के चार्जमैनों का काम विशेष रूप से इतना श्रम-साध्य नहीं होता कि उन्हें अतिरिक्त पारिश्रमिक देने का कोई औचित्य बने ।

तालचेर औद्योगिक उद्योग समूह परियोजना

589. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने उड़ीसा इंजीनियर्स द्वारा तैयार की गई तालचेर औद्योगिक उद्योग समूह परियोजना के बारे में अध्ययन कर लिया है तथा छानबीन करके उसे स्वीकृति दे दी है;

(ख) समस्त परियोजना में कुल कितना धन लगने का अनुमान है तथा क्या इसे राज्य अथवा केन्द्रीय परियोजना के रूप में आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) परियोजना के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) तालचर इंडस्ट्रियल काम्पलैक्स परियोजना पर सरकार विचार कर रही है । इसे अभी अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) इस परियोजना पर पूंजी लागत का अनुमान 46 करोड़ रुपये के लगभग लगाया गया है । चौथी योजना के प्रारूप की रूप रेखा में इस परियोजना को राज्य-क्षेत्र में शामिल किया गया है ।

(ग) निर्माण कार्य आरम्भ होने की तिथि से लगभग छः साल के समय में सम्पूर्ण परियोजना चालू हो जायगी ।

पारादीप पत्तन तक रेलवे लाइन

590. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1966–67 की समाप्ति से पहिले पारादीप पत्तन तक एक रेलवे लाइन बिछाने का है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो (i) "एक्सप्रेस हाइवे" के समानान्तर जाने वाली दैवेरी खान–पारादीप लाइन तथा (ii) कटक–पारादीप लाइन पर पृथक्-पृथक् लगभग कितना खर्च होगा; और

(ग) उपरोक्त दोनों लाइनों में से कौन-सी लाइन अधिक उपयुक्त समझी जाती है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्याम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) बांसपानी से दैतेरी होकर पारादीप तक बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किया जा चुका है । एक्सप्रेस हाइवे के समानान्तर दैतेरी लाइन पर लगभग 19.63 करोड़ रुपये लागत का अनुमान है और कटक होकर पारादीप तक लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है ।

(ग) दोनों वैकल्पिक मार्गों के सापेक्ष गुण दोष तभी मालूम होंगे जब सर्वेक्षण पूरे हो जायें और मालेगटोली ब्लाक में खनिज लौह निकालने और उसके निर्यात की स्कीमें पूरी हो जायें ।

केरल में चीनी मिट्टी

591. **श्री मणियंगाडन** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उपलब्ध चीनी मिट्टी की मात्रा के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी मात्रा में उपलब्ध है;

(ग) क्या इस चीनी मिट्टी का उद्योगों में प्रयोग करने के लिये कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख). हां, महोदय । संचययों का अनुमान लगभग 30 मिलियन मीटरी टन का है जो परिष्कृत चीनी मिट्टी के 8 से 10 मिलियन मीटरी टन के बराबर है ।

(ग) चीनी मिट्टी पर आधारित नये उद्योग स्थापित करने के लिए कोई नये प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं प्राप्त हुए हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Regirdering of Bridge over River Jamuna

592. **Shri Braj Bihari Mehrotra:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Railway Department propose to use power from its own generators to complete the proposed work of regirdering of the bridge on River Jamuna between Chaunrah and Kalpi stations on the Kanpur-Jhansi Central Railway, the preliminary work in regard to which has already been started; and

(b) whether Government do not consider it proper to get power from Kanpur from where 11 k.w. power line happens to pass from a nearby place with its transformer village Amraudha?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Yes.

(b) No. The electric power is required temporarily for lighting the area where the railway staff will remain engaged in the work of regirdering. Since the Railway already has its portable generator sets which are being used on all such works it will not be economical or desirable to take power supply in this case from a separate organisation for such a small demand and duration.

विदेशों में रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण

593. **श्री गुलशन :**
श्री प० ह० भील :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 से 1966 के बीच की अवधि में प्रशिक्षण/शिक्षा के लिए विदेशों में भेजे जाने वाले रेलवे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कपड़ा उद्योग द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा

594. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है उससे अधिक वह व्यय करता है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा का कम व्यय करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) और (ख). कपड़ा उद्योग विदेशी मुद्रा का मुख्य उपार्जक है और कपड़े की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के हाल के अध्ययन के अनुसार 1960 से 1964 तक (दोनों वर्षों को मिला कर) कपड़ा उद्योग द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा का कुल उपार्जन 344 करोड़ रु० था । रुई का आयात कपड़े के निर्यात से सम्बन्धित नहीं है । चूंकि देश में रुई की कमी है इसलिए इसका आयात करना पड़ता है । गत दशकों में हम 10 से 20 लाख रुई की गांठों का आयात करते थे जब हम मुश्किल से थोड़े से सूती कपड़े का निर्यात किया करते थे ।

चूंकि कताई मिलों की आवश्यकताओं को पूर्णत: पूरा करने के लिए देश में कच्ची रुई के उत्पादन की अभी भी कमी है (जोकि दोनों मिल क्षेत्र तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र, जिसमें हथकरघे तथा शक्ति-चालित करघे आते हैं, को सूत का सम्भरण करती हैं), अत: कच्ची रुई के पर्याप्त आयात की आवश्यकता है । उद्योग को मसीनों, रंजकों, रसायनिक पदार्थों, तेलों, स्नेहकों आदि के कुछ आयात की भी आवश्यकता है ।

रुई तथा स्टैपल रेशे के घरेलू उत्पादन बढ़ाने और मशीनों, रंजकों, रसायनिक पदार्थों आदि के क्षेत्र में आयात स्थानापत्ति के द्वारा आयातित रुई पर निर्भरता को कम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । उद्योग के निर्यात उपार्जन और देश को सूती कपड़े में आवश्यकता से अधिक स्वावलम्बी बनाने और इस प्रकार आयातित सूती कपड़े, जोकि आम उपभोग की आवश्यक मद है और गत समय में जिसका हम काफी मूल्य में आयात किया करते थे, की आवश्यकता को दूर करके आयात में बचत करने को ध्यान में रखते हुए, उद्योग द्वारा अब भी देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्थिति में पर्याप्त रूप से निश्चित योग दिया जाता है ।

कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन पर माल डिब्बों और इंजनों की कमी

595. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी संकरी रेलवे सेक्शन पर माल-डिब्बों और चलने योग्य इंजनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या पठानकोट से कांगड़ा घाटी क्षेत्र तक माल कई बारियों में ढोया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी छोटी लाइन खण्ड पर इंजनों की कोई कमी नहीं है । लेकिन माल डिब्बों की कमी है । अगले व्यस्त काल में प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात को संभालने के लिए वर्तमान डिब्बों की संख्या बढ़ायी जा रही है । छोटी लाइन के पहाड़ी खंडों में कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां होती हैं । जिनके कारण कांगड़ा घाटी छोटी लाइन खण्ड के स्टेशनों के लिए माल का लदान हमेशा कोटा पद्धति द्वारा नियमित करना पड़ता है । माल डिब्बों के लदान-फेरों में कमी करने के लिए माल-गाड़ियों की समय सारणी में परिवर्तन करके 1 अक्तूबर, 1966 से माल डिब्बों का दैनिक कोटा 14 से बढ़ा कर 19 कर दिया गया है ।

पश्चिमी बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

597. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री उमानाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के कपड़ा मिल मालिकों ने सरकार को कुछ गंभीर कठिनाइयों को जिनके परिणामस्वरूप कुछ मिलें बन्द हो गई हैं, दूर करने के बारे में अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) बंगाल मिल मालिक संघ, कलकत्ता द्वारा वित्त मंत्री को भेजा गया एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें थीं :

(1) रुई पर रेल भाड़े की एक सी दरें,

(2) आधुनिक किस्म की मशीनों का आयात,

(3) मिलों को सहायता देने के लिये विशेष निधि की व्यवस्था जिससे उन्हें समुचित वित्तीय सहायता मिल सके,

(4) उत्पादन शुल्क को बजट पूर्व स्तर तक लाना,

(5) उत्पादन तथा वितरण पर लगे हुए वर्तमान संविधिक नियंत्रण को हटाने की वांछनीयता, और

(6) निर्यात प्रोत्साहन की राशि का शीघ्र भुगतान ।

सरकार ने मिल के बने कपड़े की नियंत्रित किस्मों पर कोरे कपड़े के स्तर पर मूल उत्पादन शुल्क को समाप्त कर दिया है तथा 5 करोड़ रुपये का ऋण भी मंजूर किया है ताकि भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ अपनी वचन बद्धताओं को पूरा कर सके । आम उपभोग के मिल के बने कपड़े की किस्मों के उत्पादन और मूल्यों पर वर्तमान नियंत्रण को हटाने का कोई विचार नहीं है ।

रिशड़ा स्टेशन का पश्चिम केबिन

598. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिशड़ा स्टेशन (पूर्वी रेलवे) के पश्चिम कैबिन को मुख्य लाइनों के अतिरिक्त चार साइडिंग लाइनों का कार्य भी संभालना पड़ता है और अन्य व्यस्त कैबिनों की अपेक्षा वहां पर कैबिनमैनों की संख्या कम है;

(ख) क्या वहां के कैबिनमैन वहां पर केबिनमैनों की संख्या बढ़ाये जाने की मांग करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). रिशड़ा स्टेशन का पश्चिमी केबिन तीन मुख्य लाइनों के अलावा चार साईडिंग लाइनों का काम भी सम्हालता है। वहां तीन स्विचमैन रखे गये हैं जो पारी-पारी से 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं। यह व्यवस्था उस खण्ड पर ऐसे कई अन्य केबिनों पर भी है जहां उतनी ही संख्या में गाड़ियों के आने-जाने का काम सम्हालना पड़ता है। इसके अलावा रिशड़ा पश्चिमी केबिन पर भीड़-भाड़ के समय, चार घंटे सुबह और और चार घंटे शाम ड्यूटी पर तैनात स्विचमैन की सहायता के लिए ग्रेड II का एक अतिरिक्त केबिनमैन भी रखा गया है।

भारत सरकार के उत्पादन केन्द्र

599. **श्री मणियंगाडन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एट्टुमनुर और तिरुवल्ला में स्थित भारत सरकार के उत्पादन केन्द्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा अपनी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया गया है ;

(ख) क्या उन शिकायतों के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि सम्पूर्ण केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी सभी मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है, अतः कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया था।

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए इस संबंध में सामान्य नियमों के अनुसार मिस्त्रियों को उत्पादन केन्द्रों में स्थायी कर दिया गया है। फिर भी कर्मचारी संघ को मान्यता देने, भत्तों के नियम बनाने, तथा वेतन मानों आदि के पुनरीक्षण जैसे कुछ विषयों पर विचार किया जा रहा है।

Derailment between Helak and Bharatpur

600. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a goods train derailed between the Helak and Bharatpur Junction on the Western Railway as reported in the "Hindustan", dated the 26th August, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the extent of damage caused thereby?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) The accident occurred on 25th August, 1966.

(b) The accident was due to the failure of mechanical equipment.

(c) Rupees 17,900 approximately.

Closure of Textile Mills at Gujarat

601. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 40 textile mills have closed down in Gujarat;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) Only 3 mills in Gujarat were lying closed as on 30th September, 1966.

(b) and (c). The names of the mills and the reasons for closure and the action taken by the Government were as follows:—

Name of the Mill	Reason	Action taken
Krishana Kumar Mills Co. Ltd., Mahuva,	Losses and financial reasons.	An Investigation Committee provbed into the affairs of the mills. It was found that the machinery of the mills was very old and the mill could not run economically without substantial renovation. The steps to be taken further are under consideration.
Shri Durga Cotton Mills (Kali) (P) Ltd. Kadi.	Losses/financial reasons.	An Investigation Committee investigated the affairs of the mill and fonnd that the financial position of the Company was very unsound and that, unless the mill was renovated and modernised, it could not run economically. It has not been possible to find a entrepreneur to by this mill to run it economically. The question of scrapping the mill and establishing a new one in its place is under consideration.
The Rajaratna Naranbhai Mills Co. Ltd., Petlad.	Financial/working difficulries.	An investigation Committee has been appointed to look into the affairs of the mills, which has not submitted its report.

मखमली कालीन बनाने के कारखाने

602. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 से सितम्बर, 1966 तक मखमली कालीन बनाने के कारखाने खोलने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ; और

(ख) ये लाइसेंस किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन तीन लाइसेंस दिये गये। इसके अतिरिक्त इस अवधि में दस फर्मों को अभिप्राय के पत्र (लेटर्स आफ इन्टेंट) भी भेजे गये।

(ख) प्रमुख शर्तें ये हैं :— (1) मशीनें आयात करने के लिए मुक्त विदेशी मुद्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी। फर्मों को मशीनें आयात करने के लिए वित्तीय व्यवस्था विदेशी ऋणों अथवा उधार से करनी होगी, जहां मशीनों की लागत की 10 प्रतिशत राशि आरम्भ में देना अनिवार्य होगा, वहां उस की अनुमति दे दी जायेगी ; (2) कारखाने में निर्मित उत्पादों का कम से कम 50 प्रतिशत अवश्य निर्यात किया जाना चाहिए।

रेलवे के मलेरिया इन्सपेक्टर

603. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के "मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम" की समाप्ति के पश्चात् रेलवे के मलेरिया इन्सपैक्टरों के पदों को समाप्त करने का आदेश दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेलवे ज़ोनों के इन मलेरिया इन्सपैक्टरों को कहां और किस प्रकार खपाया जायेगा और नई पदाली में इन की वरिष्ठता को किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा; और

(ग) अब तक कितने पदों को समाप्त किया गया है और उनको विभिन्न रेलवे में अन्य पदों पर रखा गया है और इनकी वरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उनमें से जिनके पास सफाई निरीक्षक का प्रमाण पत्र है, उन्हें सफाई निरीक्षक/सहायक सफाई निरीक्षक के रूप में रखा जायेगा। जो लोग प्रशिक्षित नहीं हैं, लेकिन जिनके पास बुनियादी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, उन्हें सफाई निरीक्षक पाठयक्रम में प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं में दाखिल कराके प्रशिक्षित किया जायेगा, ताकि उन्हें सफाई निरीक्षक के काम पर लगाया जा सके। जिनके पास पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उन्हें, यथासम्भव, अस्पतालों दवाखानों आदि में दूसरे कामों पर लगाया जायेगा। यदि इसके बाद भी कुछ लोग बच रहे तो ह्रासमान कोटि के रूप में वे अपने वर्तमान पदों पर तब तक बने रहेंगे, जब तक वे निवर्तन आयु प्राप्त नहीं कर लेते।

(ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर राज्य में रेलवे के निर्माण-कार्य

604. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के परियोजना कार्यालय, निर्माण, एकक, बंगलौर को मद्रास में स्थानान्तरित किया जा रहा है, हालांकि मैसूर राज्य में बंगलौर में तथा उसके आस-पास निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मद्रास में तथा उसके आस-पास कोई नए निर्माण कार्य नहीं चल रहे हैं ;

(ग) क्या यह बात रेलवे बोर्ड के आदेशों के प्रतिकूल है, जिसने कि मुख्य इंजीनियर (निर्माण) के कार्यालय को बंगलौर में स्थापित करने का निर्णय 1962 में किया था ; और

(घ) क्या इस स्थानान्तरण से मैसूर राज्य में रेलवे के निर्माण-कार्यों की प्रगति की गति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं । बेंगलूरु क्षेत्र में निर्माण कार्य की देखरेख के लिए एक इंजीनियर प्रमुख काम करता रहेगा, जिसका प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में होगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यद्यपि, अन्य विभागाध्यक्षों के साथ कारगर ताल-मेल बनाये रखने की दृष्टि से यह विचार किया गया था कि मुख्य इंजीनियर, निर्माण को बेंगलूरु में तैनात किया जाये, लेकिन वस्तुतः इस पद का प्रधान कार्यालय मद्रास में रहा ।

(घ) जी नहीं ।

मैसूर और मिनर्वा मिल्स

605. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 19 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मैसूर और मिनर्वा मिल्स का चालू किया जाना इस समय किस अवस्था में हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने 40 लाख रुपये की गारंटी दी है और इसके बावजूद स्टेट बैंक आफ इंडिया ने इस मिल को पुनः चालू करने के लिये आवश्यक धन नहीं दिया है ;

(ग) मिल के बन्द होने से कितने मजदूर बेकार रहे तथा कितने समय तक ;

(घ) क्या सरकार अथवा मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को कोई अन्तरिम बोनस अथवा जबरी छुटटी वेतन दिया जाता है ; और

(ङ) इन मिलों के कब तक खुलने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) राज्य सरकार की गारंटी पर 40 लाख रु० के ऋण के लिये, मिलों के प्रबन्धकों की स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ अभी भी बात-चीत चल रही है ।

(ग) दोनों मिलें 4 अप्रैल, 1966 से बन्द पड़ी हैं और इसका, कुल 6285 मजदूरों पर प्रभाव पड़ा है।

(घ) इस विषय पर जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) स्टेट बैंक आफ इंडिया से कार्यकारी पूंजी का प्रबन्ध हो जाने पर ये मिलें दोबारा खुल सकती हैं।

Damage to Railway Property due to Students' Agitation

606. Shri Bade:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri H. C. Linga Reddy:
Shri Tula Ram:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Bibhuti Mishra:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that much damage has been caused to the railway property during the recent students' agitation;

(b) if so, the extent of damage, Zone-wise; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b). The damages on Central, Eastern, Northern, North Eastern and Western Railways were to the tune of Rs. 30,200, 5,660, 7,300, 4.541 and 10,039 respectively and the damage on the Northeast Frontier Railway was negligible *i.e.* Rs. 100 only. On the South Eastern and South Central Railways, railway property has been extensively damaged as a result of the Steel Plant agitation in Andhra Pradesh in which students took active part. Extent of damage on these Railways is being ascertained.

(c) Maintenance of law and order in railway premises as also safety and security of railway property and life and property of passengers is the responsibility of the State Government and the State Government Railway Police. The State Governments are competent authorities to deal with the mobs who indulge in hooliganism, attacking railway premises and trains and destroying railway property. This matter was discussed by the Minister for Railways with the Chief Ministers at New Delhi on 20th July, 1966 and with the Chief Secretaries by the Chairman, Railway Board on 19th July, 1966, who assured that the Railways will be given full protection against miscreants and hooligans in respect of life and property of passengers, railway employees and railway property.

मद्रास–रामेश्वरम एक्सप्रेस रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

607. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 अक्तूबर, 1966 को त्रिची-केरईकुडी सैक्सन पर उदयमपटटी और कुमारमंगलम के बीच मद्रास-रामेश्वरम एक्सप्रेस रेलगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे सम्पति को कुल कितनी क्षति हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) लगभग 170/-रुपये ।

देवरिया सदर स्टेशन पर रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

608. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 अक्तूबर, 1966 को पूर्वोतर रेलवे के देवारिया सदर रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो गाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे सम्पति की कुल कितनी क्षति हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) दुर्घटना 7.10.66 को हुई।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) लगभग 8,750/– रुपये।

कपड़ा एकक

609. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत मिल मालिक संस्था ने बहुत मामूली लाभ कमाने वाले तथा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले कपड़ा मिलों को थोड़ी बहुत सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने कपड़ा मिल हैं ;

(ग) किस प्र कार की सहायता देने का अनुरोध किया गया है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

धनुषकोडि रेल दुर्घटना

610. **श्री उमानाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनुषकोडि रेल दुर्घटना के सम्बन्ध में दावा आयुक्त, मदुरै द्वारा मंजूर की गई कुल राशि में से अभी तक दावेदारों को कुछ राशि का भुगतान किया जाना शेष है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का भुगतान अभी बाकी है ;

(ग) भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) मंजूर की गई शेष राशि के शीघ्र भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालयमें राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) दावा आयुक्त ने क्षतिपूर्त्ति के रूप में कुल 1,96,600 रुपये की मंजूरी दी थी, जिसमें से 49, 580 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) दावा आयुक्त अपना पद छोड़ने से पहले सब मामलों में भुगतान नहीं कर पाये। बाकी रकम अब मदुरै में रामनाथपुरम् के जिला जज के खाते में जमा कर दी गयी है, जो भुगतान करने के लिए उस क्षेत्र के पदेन दावा आयुक्त हैं।

मिराज के निकट रेल दुर्घटना

611. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री द० ब० राजू :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बड़े :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अक्तूबर, 1966 को दक्षिण मध्य रेलवे के हुबली डिवीजन में बेलगाम-मिराज सैक्शन पर, मिराज और मैसल स्टेशनों के बीच 206 डाउन पूना-वास्को ऐक्सप्रस रेलगाड़ी की एक बड़ी दुर्घटना में कुछ व्यक्ति मारे गये तथा बहुत से व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(घ) रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई ; और

(ङ) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दुर्घटना के परिणामस्वरूप 10 व्यक्ति मर गये और 118 व्यक्ति घायल हुए ।

(ग) और (ङ) रेल-संरक्षा के बेंगलूरुस्थिति अपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की थी। उनके अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रेल-पथ से छेड़-छाड़ करने के कारण हुई।

(घ) लगभग 2,55,500 रुपये ।

बंगलौर नगर रेलवे स्टेशन को नया रूप दिया जाना

612. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर रेलवे स्टेशन को नया रूप देने का कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) इस कार्य पर अनुमानित कितना व्यय होगा और किये जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) बेंगलूरु सिटी स्टेशन की इमारत का ढ़ाचा बदलने का काम अक्टूबर, 1964 में शुरु किया गया था ।

(ख) इस काम की अनुमानित लागत 75,87,830 रूपये हैं ।

ढांचा बदलने का काम चल रहा है ; उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्टेशन की नयी इमारत तथा पुल नं 0 867 के नीचे सड़क, सुरंग मार्ग बनाने, यात्री प्लेटफार्म पर छत डालने, विचरण क्षेत्र तथा पहुंच-मार्ग बनाने का काम प्रगति पर है । कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने और पानी की व्यवस्था करने का काम पूरा हो गया है ।

(ग) काम के सितम्बर, 1967 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के पहाड़ी क्षेत्र में रेल गाड़ियों का पटरी से उतर जाना

613. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 15 अक्तूबर, 1966 तक, महीना-वार, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के पहाड़ी क्षेत्र में रेल गाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी घटनाये हुईं ; और

(ख) इनके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 1.4.66 से 15.10.66 तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे लूमडिंग-बदरपुर पहाड़ी खंड पर गाड़ियों के पटरी से उतरने की जितनी घटनाएं हुईं उनका महीनेवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

महीना	गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या
अप्रैल	5
मई	6
जून	2
जुलाई	3
अगस्त	—
सितम्बर	5
अक्तूबर	3
(1.10.66 से 15.10.66 तक)	

(ख) गाड़ियों के पटरी से उतरने की 24 घटनाओं में से, 9 घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण, 3 यांत्रिक उपस्कर की खराबी और 3 आकस्मिक कारणों से हुई थीं । बाकी 9 घटनाओं के कारणों का अभी अन्तिम रूप से पता नहीं चला है ।

कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति

614. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
डा० रानेन सेन :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति टन उत्पादन-लागत का पता लगाने के लिए मजदूर-संघ कोयला-मूल्य पुनरीक्षण समिति से सम्बद्ध होना चाहते थे;

(ख) क्या उन्हें सम्बद्ध किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) "कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति" के नाम की इस समय कोई समिति नहीं है । तथापि सरकार ने कोयले तथा कोक की कीमत की पुनिरीक्षा करने के लिये एक जांच समूह स्थापित किया है । श्रमिकों को उनके विचार जांच समूह के सामने रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे क्षेत्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति

615. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे क्षेत्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक कुछ समय पूर्व मालिन गांव में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन किन विषयों पर विचार किया गया और क्या क्या निर्णय किये गये; और

(ग) उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

616. **श्री विश्राम प्रसाद :** **श्री छ० म० केदरिया :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री रमापति राव :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1952 के पश्चात् उत्तर रेलवे के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को प्रशासनिक कारणों से मुख्यालय में स्थानांतरित किया गया है;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को उनके द्वारा मांग किये जाने पर अब तक रेलवे के क्वार्टर दिये गये हैं;

(ग) कितने कर्मचारियों को उनके द्वारा मांग किये जाने पर भी अब तक क्वार्टर नहीं दिये गये हैं; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों को शीघ्र क्वार्टर देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में कच्चे लोहे का कारखाना

617. **श्री नाथ पाई :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इस प्रार्थना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दो आवेदन पत्र हैं---एक 400,000 टन प्रति वर्ष के लिए और दूसरा 100,000 टन प्रति वर्ष के लिए । कारखानों के ठीक ठीक स्थानों के बारे में नहीं बताया गया है परन्तु संभावना यह है कि ये कारखाने नागपुर और चान्दा जिलों के बालारपुर, सूरजगढ़ और आस्थी के इलाकों में लगाये जायेंगे ।

(ग) चूंकि चौथी योजना के अन्त तक देश की कच्चे लोहे की प्रत्याशित मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त क्षमता लाइसेन्स की जा चुकी है, राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि वे इन योजनाओं को आगे न बढ़ावें ।

Blade Factories

618. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) the number of Blade Factories working at present in the country;

(b) whether it is a fact that these factories are supplying low quality blades at comparatively higher rates;

(c) if so, the number of factories against which action has been taken by Government and the nature of the action taken; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) There are five units in the large scale sector. Besides, there are a few units in the small scale sector.

(b) to (d) Government have not received any specific complaint regarding low quality of the blades or higher prices charged by the factories. In fact, sizeable quantities of the blades manufactured in the country are exported to USSR, Middle East, South East Asia and some African countries.

उद्योगों के लिये लाइसेंस देना

619. **श्री तुला राम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प० ह० भील :
श्री कपूर सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान एककों को वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के आधार पर नई वस्तुओं के निर्माण द्वारा अपने उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति देकर और अधिक उद्योगों के लिये लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करके अपनी औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति में और उदारता लाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) जहां तक उत्पादन में विविधता का सम्बन्ध है सरकार के निर्णय की घोषणा 27 अक्तूबर, 1966 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में की जा चुकी है। इसके अनुसार इंजीनियरिंग तथा गैर इंजीनियरिंग दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन बिना किसी लाइसेंस के नई वस्तुओं का निर्माण करके उत्पादन में विविधता ला सकते हैं बशर्ते कि :

1. देश में ही प्राप्त छोटे संतुलन उपकरण के अलावा कोई भी अतिरिक्त संयंत्र और मशीनें नहीं लगाई जायेंगी ;
2. कोई भी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा नहीं लगाई जायेगी ;
3. विविधता वाला उत्पादन कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा; और
4. इस विविधता में वे कुछ ऐसे विशेष उद्योग शामिल नहीं हैं जिनमें लघु क्षेत्र अधिक रुचि रखता है।

और अधिक उद्योगों पर से लाइसेंस हटाने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का "नियमानुसार कार्य करने का" निर्णय

620. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीस हजार से अधिक स्टेशन मास्टरों तथा असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों ने 1 दिसम्बर, 1966 से नियमानुसार कार्य करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसका यात्री यातायात तथा माल परिवहन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) इस हड़ताल को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन, जो कि अमान्यताप्राप्त एक सेक्शनल यूनियन है, से प्राप्त कुछ पत्रों को छोड़कर, सरकार के पास इस सम्बन्ध में और कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) सामान्यत: कर्मचारियों से नियमानुसार काम करने की आशा की जाती है । सरकार ऐसा नहीं समझती कि उनके नियमानुसार काम करने से सवारी और माल यातायात पर प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) नियमानुसार काम करना हड़ताल नहीं है, इसलिए यह सवाल नहीं उठता ।

शास्तानकोट्ट में निर्माण कार्य

621. **श्री प० कुन्हन् :**
श्री उमानाथ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के 1966–67 के आयव्ययक में केरल राज्य में क्विलोन–एरणाकुलम रेलवे लाइन पर शास्तानकोट्ट में निर्माण कार्य के लिए व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्टेशन पर आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण यात्रियों को असुविधा होती है; और

(घ) सरकार का निर्माण-कार्य कब तक पूरा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल मंत्रालय को सूचित किया गया है कि केरल राज्य के बजट में शास्तानकोट्ट स्टेशन की सीमा में किसी निर्माण कार्य का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

बम्बई सेण्ट्रल स्टेशन पर कलाई-घड़ियों का पकड़ा जाना

622. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अक्तूबर, 1966 को पश्चिम रेलवे के बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन पर यात्री टिकट निरीक्षक के पास से बड़ी संख्या में कलाई की घड़ियां पकड़ी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 11-10-66 को चल टिकट परीक्षक की ड्यूटी 1 डाउन गुजरात मेल पर लगायी गयी थी। जब अपने निवास स्थान, बोरीवली से वह एक स्थानीय गाड़ी द्वारा बम्बई सेन्ट्रल पहुंचा और मुख्य प्लेटफार्म पर जाने ही को था कि बम्बई की विशेष पुलिस सिव्बन्दी के कुछ अफसरों ने उसे रोक लिया और उसके सूटकेस की तलाशी ली। उसमें 88 कलाई घड़ियां और घड़ी के 5 स्ट्रैप मिले। यह सभी चीजें विदेशों में तैयार की गयी थीं। उसका बयान लेने के बाद बम्बई की विशेष पुलिस सिव्बन्दी ने इस मामले को सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया है जो उसकी जांच कर रहा है।

Pay Scales of Assistant Re-weighment Inspector

624. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a post of Assistant Re-weighment Inspector exists in the Commercial Departments throughout the Indian Railways; and

(b) if so, the pay scales obtaining for this post on the different Railways and the posts in the Commercial Department the incumbents of which are promoted to these posts?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b) The information is being collected from the Railways and the same will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Export of Silk Fabrics

625. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the present position of the export of silk fabrics;

(b) whether Government propose to take any new steps to encourage the export of silk; and

(c) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi): (a) In 1966, (upto 30th September, 1966) the exports of silk fabrics have amounted to Rs. 182.10 lakhs. During the year 1965 exports had totalled Rs. 244.97 lakhs.

(b) and (c) To promote exports of silk fabrics, garments and made-up articles, the Government has recently allowed import of raw silk and other essential raw materials to the exporters. A copy of the instructions issued in this behalf is attached. [*Placed in the Library. See* No. LT-7221/66.]

राजस्थान में बहु-धातु निक्षेप

626. **श्री बसुमतारी** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा भारत में पहली बार राजस्थान के दरीबा राजपुरा क्षेत्र में एक बहु-धातु निक्षेप का पता लगाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बरमें से किये गये छेदों में प्राप्त नमूनों के विश्लेषणात्मक परिणामों से यह संकेत मिलता है कि उनमें जस्ता तथा सीसा, विद्यमान है; और

(ग) अयस्क निक्षेपों की मात्रा का टनों में अनुमान क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) भारतीय भौमिकी विभाग को राजपुरा क्षेत्र के दरीबा में बहु-धातु निक्षेप मिले हैं । पहले भी अन्य राज्यों में तांबा, सीसा, जस्ता, अयस्क के बहुत से निक्षेपों के पाये जाने की सूचना थी ।

(ख) और (ग) नमूनों की जांच से अयस्क में तांबा, सीसा और जस्ता के तत्व होने के संकेत मिले हैं । संचयों का अनुमान 9.45 मि० मीटरी टन है जिसमें धातु की मात्रा औसतन 5 से 6 प्रतिशत होगी ।

ब्रिटेन को निर्यात

627. **श्री बसुमतारी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि ब्रिटेन का वार्षिक औसत निर्यात दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1,698,100,000 रुपये से घटकर तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1,604,900,000 रुपये हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां; द्वितीय योजना की अवधि में 169.81 करोड़ रुपये (3380 लाख डालर) के औसत वार्षिक निर्यात की तुलना में तृतीय योजना की अवधि में औसत वार्षिक निर्यात 160.56 करोड़ रुपये (3200 लाख डालर) मूल्य का हुआ ।

(ख) तृतीय योजना की अवधि में ब्रिटेन को हमारे निर्यात में कमी प्रमुखतः चाय, कच्ची ऊन तथा वनस्पति तेलों के निर्यात में गिरावट के कारण हुई । बोरे, ऊनी कालीन तथा कम्बल, अनिर्मित तम्बाकू और लाख के निर्यात में भी कुछ मामूली कमी हुई है । सूती वस्त्र, जूट के माल तथा खली के निर्यात में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि उपर्युक्त वस्तुओं के निर्यात में हुई कमी का आधा भाग पूरा हो गया और परिणामतः प्रति वर्ष केवल 9 करोड़ रुपये (180 लाख डालर) के लगभग शुद्ध कमी हुई ।

भारत से चाय के निर्यात में भारी कमी के कारण कतिपय वर्षों में फसल के खराब होने के परिणामस्वरूप संभरण की उपलब्धि में कमी, आंतरिक उपभोग में वृद्धि, ब्रिटेन के बाजार में भारी स्टाक का जमा होना तथा भारत-पाक संघर्ष से उत्पन्न अस्थायी कठिनाइयां हैं । कच्ची ऊन के निर्यात में कमी हमारे आंतरिक उद्योगों में ऊन की खपत में वृद्धि के कारण हुई है । ब्रिटेन सरकार द्वारा नवम्बर, 1964 में 15 प्रतिशत आयात अधिप्रभार के लगाये जाने के कारण, जो बाद में घटाकर 10 प्रतिशत किया गया, अन्य मदों के आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि तृतीय योजना की अवधि में ब्रिटेन से भारत के कुल आयात अधिक तीव्र दर से कम हुए, इस प्रकार भारत के ब्रिटेन के साथ प्रतिकूल व्यापार का अन्तर जो द्वितीय योजना की अवधि में 160.87 करोड़ (3200 लाख डालर) था, घटकर तृतीय योजना की अवधि में 71.04 करोड़ रुपये (1420 लाख डालर) रह गया । वस्तुतः कई वर्षों के बाद, प्रथम बार 1964–65 में भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार का अनुकूल व्यापार संतुलन 3.65 करोड़ रुपये (70 लाख डालर) हो सका ।

ब्रिटेन को हमारे निर्यात में कमी से उत्पन्न स्थिति के प्रति भारत सरकार पूर्णतः सजग है तथा वह न केवल परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाकर वरन् निर्यात को विविध करके तथा इंजीनियरी सामान, प्लास्टिक तथा लिनोलियम के माल, परिष्कृत खाद्य उत्पादों तथा तैयार मसालों, क्षार रसायनों तथा भेषजों, समुद्री उत्पादों, खेलों के सामान तथा रसायन और सम्बद्ध उत्पादों जैसी अपरम्परागत मदों पर ध्यान केन्द्रित करके सम्वर्धनात्मक जोरदार प्रयास कर रही है। कतिपय परम्परागत उत्पादों के संबंध में बाजार सर्वेक्षण किये गये हैं तथा उन पर अनुसरणात्मक कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों तथा सह-उद्यम उद्योगों से संघटकों तथा फालतू पुर्जों के निर्यात में वृद्धि पर भी ब्रिटेन सरकार की राय से विचार किया जाता है। 30 नवम्बर से आयात अधिप्रभार को समाप्त करने संबंधी ब्रिटेन सरकार के निर्णय से निर्यात के न केवल पूर्व स्तर पर पुनः पहुंचने की आशा है वरन् अधिप्रभार से प्रभावित वस्तुओं के निर्यात में कुछ सीमा तक सुधार भी होगा।

इंजीनियरी सामान का निर्यात

628. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के उप-सभापति के हाल के प्रैस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि अवमूल्यन के पश्चात् इंजीनियरी सामान का निर्यात वास्तव में कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वक्तव्य सही है और 1 जनवरी, 1966 से प्रतिमास इंजीनियरी सामान के निर्यात के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) अवमूल्यन के बाद सरकार द्वारा इंजीनियरी उद्योग को दी गई रियायतों का कुल मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) निर्यात संबंधी एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7222/66]**

(ग) इंजीनियरी के माल का निर्यात करने में सहायता देने के लिये किये गये उपाय पिछले अगस्त में घोषित कर दिये गये थे। जारी की गई हिदायतों के अनुसार 5-6-1966 के बाद किये गये निर्यातों संबंधी दावे, लायसेंस देने वाले प्राधिकारियों को 31 अक्तूबर, 1966 तक प्रस्तुत कर दिये जाने थे। इसलिये वर्तमान स्थिति में इंजीनियरी उद्योग को दी गई रियायतों के कुल मूल्य का हिसाब लगाना संभव नहीं है।

दक्षिण-मध्य रेलवे खंड (जोन)

629. **श्री प्रिय गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवनिर्मित दक्षिण मध्य रेलवे खण्ड के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिये कार्यालय भवनों तथा मकानों के निर्माणकार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन पर कितना पूंजीगत व्यय होगा; और

(ग) उनकी देखरेख पर प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त आवर्त्तक व्यय होगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी तक निम्नलिखित प्रगति हुई है :—

कार्यालय के लिए जगह :

प्रधान कार्यालय की व्यवस्था के लिए प्रारम्भ में लगभग 1,50,000 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता है जो कि रेल प्रशासन की वर्तमान इमारतों और प्राइवेट जगह किराये पर लेकर उपलब्ध की जा चुकी है। नये प्रशासी कार्यालय की इमारत में 3 दुमंजिले ब्लाक हैं और एक 7 मंजिले ब्लाक का काम जारी है। दो मंजिले ब्लाक में 50 प्रतिशत काम हो चुका है और 7 मंजिले ब्लाक में अभी निर्माणकार्य शुरू हुआ है।

आवास के लिए जगह :

अधिकारियों के लिए बनाये जाने वाले विभिन्न टाइप के मकानों के 99 यूनिटों में से 55 यूनिट तैयार हो चुके हैं और 24 यूनिट मकान 15–11–66 तक तैयार हो जाने की आशा की जाती है और शेष 20 यूनिटों में निर्माणकार्य काफी आगे बढ़ चुका है।

कर्मचारियों के लिए बनाये जाने वाले विभिन्न टाइप के 1152 यूनिटों में से 870 यूनिट मकान तैयार हो चुके हैं और 140 यूनिट मकान 15–11–66 तक पूरे हो जाने की आशा की जाती है और शेष 142 यूनिटों में निर्माणकार्य काफ आगे बढ़ चुका है।

(ख) लगभग 3.20 करोड़ रुपये।

(ग) अनुमानतः 4 लाख रुपये।

दक्षिण-मध्य रेलवे खंड

630. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब परिस्थितियों में नया परिवर्तन हो गया है जिनके कारण रेलवे का नया खण्ड (जोन) अर्थात् दक्षिण मध्य रेलवे जोन बनाना पड़ा जब कि ऐसा करना 1952 में रेलों के एकीकरण के समय अपनाये गये सिद्धान्तों के विपरीत है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): भूतपूर्व दक्षिण और मध्य रेलों पर काम का बोझ बहुत अधिक था। उसे कम करने और परिचालन कुशलता बढ़ाने के लिए दक्षिण-मध्य रेलवे का निर्माण आवश्यक था। नये क्षेत्र का निर्माण उन सिद्धांतों के विपरीत नहीं है जो 1951–52 में रेलों के सामान्य पुर्नसमूहीकरण के समय अपनाये गये थे। विकासशील अर्थव्यवस्था में यातायात की मात्रा और उसका स्वरूप समय-समय पर बदलते रहते हैं और कार्य कुशलता के हित में क्षेत्रीय रेलों पर काम के बोझ की लगातार समीक्षा करते रहने की जरूरत होती है।

इस्पात का वितरण

631. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में इंजीनियरी उद्योगों को इस्पात की सप्लाई उनकी मांग से कम है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस सीमा तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की वितरण प्रणाली के कारण है ; और

(ग) वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग) वैसे तो इस्पात की अत्याधिक कमी नहीं है लेकिन देशीय उत्पादन में कमी के कारण कभी-कभी मोटी प्लेटों, चादरों और विशिष्ट इस्पात की किस्मों में कमी हो जाती है। एक इस्पात संरचक उद्योग समिति जिसकी तीन क्षेत्रीय उप-समितियां हैं, मैचिंग स्टील की पूर्ति पर नजर रखती है और स्थिति का पुनरावलोकन करती है। जब कभी आवश्यक होता है मैचिंग स्टील की पूर्ति की स्थिति के बारे में संयुक्त संयंत्र समिति को सूचित कर दिया जाता है और दुष्प्राप्य वस्तुओं के विशेष बेलन की व्यवस्था कर ली जाती है।

मोटी प्लेटों, चादरों और विशिष्ट इस्पात के देशीय उत्पादन की कमी को यथासम्भव आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। प्राथमिकता-प्राप्त उद्योगों के कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिये आयात नीति को उदार बना दिया गया है। इन किस्मों के इस्पात के देशीय उत्पादन में सुधार होने के साथ-साथ स्थिति में और भी सुधार होने की आशा है।

कच्चे लोहे के कारखाने

632. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करने का क्या कार्यक्रम है तथा उनकी क्षमता क्या होगी और वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) उक्त कारखानों में से कितने विदेशी सहयोग से स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में इस प्रायोजना के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त नहीं किया जायेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे की मंजूर की गई परियोजनाओं, उनकी क्षमता और उनकी स्थिति की एक सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—7223/66]

(ख) उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम, बारबिल, कमानी इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन और मैसूर आइरन एण्ड स्टील लिमिटेड के लिए कुछ साजसामान का आयात किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि कच्चे लोहे के कारखाने जहाँ तक हो सके, हेवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्मित मानकीकृत धमन भट्टियों का उपयोग करें। अतः पुरानी किस्म की धमन भट्टियों के आयात अथवा किसी विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी।

लम्ब्रेटा स्कूटरों का निर्माण

633. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बनाए गए 'लम्ब्रेटा स्कूटर' बहुत ही घटिया किस्म के हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके बारे में ग्राहकों से काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास लम्ब्रेटा स्कूटर के स्तर में हाल में गिरावट को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है ।

(ख) तथा (ग). कुछ शिकायतें मिलीं हैं। इन्हें दूर करने के लिये केन्द्रीय तकनीकी विकास का महानिदेशालय द्वारा निर्माताओं की जानकारी में ले आया गया है।

त्रिपुरा में धर्मनगर से सबरूम तक रेलवे लाइन

634. **श्री दशरथ देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा विधान सभा ने एक संकल्प में केन्द्रीय सरकार से त्रिपुरा में धर्मनगर से सबरूम तक रेलवे लाइन बनाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) से (ग). त्रिपुरा विधान सभा ने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की है कि त्रिपुरा में धर्मनगर से सबरूम तक रेल-संचार की सुविधाओं का विस्तार किया जाये। लेकिन, त्रिपुरा सरकार कलकलीघाट-धर्मनगर लाइन को त्रिपुरा में आगे बनाने की प्रार्थना करती रही है। उपलब्ध धन की सीमित मात्रा को देखते हुए अभी यह कहना कठिन है कि चौथी पंचवर्षीययोजना में इस क्षेत्र में कोई नयी लाइन बनाने का काम शुरू किया जा सकेगा या नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 3688

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : लोक सभा में 15 अप्रैल, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3688 के भाग (ख) के उत्तर में मैंने निम्नलिखित कहा था :—

"प्रस्तावित समिति का मुख्य उद्देश्य डिपिंग स्प्लिंट्स् और विनियर लकड़ी समेत एक मिले जुले कारखाने को शुरू करना है"

केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जो अब प्राप्त हो गई है, उपरिलिखित प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर इस प्रकार होना चाहिये :—

"प्रस्तावित समिति का मुख्य उद्देश्य सदस्यों के उत्पाद की बिक्री की व्यवस्था करना है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्यों को कार्यसूची से पता चल गया होगा गृह-कार्य मंत्री गोवध पर प्रतिबन्ध के बारे में 6 बजे एक वक्तव्य देंगे। श्री त्रि० ना० सिंह पांचवें इस्पात कारखाने के बारे में शाम को एक वक्तव्य देंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर तथा साम्भर साल्टस लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7201/66]**

(2) (ए) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7202/66]**.

ऊष्मसह ईंटों (रीफैक्ट्री ब्रिक्स) का निर्यात निरीक्षण नियम

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत ऊष्मसह ईंटों (रीफैक्ट्री ब्रिक्स) का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 22 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2517 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर बताई गई अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बातने वाला एक विवरण की प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7203/66]**

इस्पात के उत्पादन पर लागत सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

लोहा तथा इस्पात मंत्री श्री (त्रि० ना० सिंह) : इस्पात के उत्पादन की लागत सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7204/66]**

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अन्तगत वर्ष 1965–66 के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा

उद्योग अधिनियम, 1953 के प्रवर्तन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम, के 1965–66 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7205/66)

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 7 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2787 में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० 7206/66]

(4) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 43 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 16354/66/के 2/आर डी की एक प्रति जो दिनांक 6 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल बाट तथा माप (प्रवर्तन) नियम, 1964 में एक संशोधन किया गया। [पुस्तकालय में रखी गया । देखिये संख्या एल० टी० 7207/66]

बीज विधेयक
SEED BILLS

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री स० चं० सामन्त (तमलुक) : मैं कुछ विक्रयार्थ बीजों की किस्म के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं । मैं इस बारे समिति के समक्ष रखे गये साक्ष्य की एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं आपकी आज्ञा से अगले सप्ताह के लिए सभा में सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :—

(1) आज की कार्य सूची में दर्ज सरकारी कार्य की शेष मदों पर विचार ।

(2) विचार तथा पारित करना :

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1966 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 1966।

मैंटल कारपोरेशन आफ इन्डिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, 1966।

समवाय (संशोधन) विधेयक, 1966।

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1965।

(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1965 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, अग्रेतर विचार तथा पारित किया जाना।

(4) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक, 1966 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में अग्रेतर विचार तथा पारित किया जाना।

(5) चर्चा और मतदान

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1966–67।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1963–64।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत तथा श्री सामन्त ने अनुरोध किया है कि बीज विधेयक को इस सत्र में लिया जाये।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, इस सत्र में न्यायाधीश (जांच) विधेयक भी पारित किया जाना चाहिए। इस पर प्रवर समिति ने विचार किया था और अपना प्रतिवेदन दिया था। इन विधेयकों को इस सत्र में अवश्य लिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हुई थी उस पर चर्चा पूरी की जानी चाहिये। एक और विषय है जिसे मैं पिछले बजट सत्र से निरन्तर उठाता चला आ रहा हूं : यह अनुदानों की मांगों के बारे में है .....

अध्यक्ष महोदय : इसे अब नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए यह समय नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : पहले भी मैं शुक्रवार को यह इस समय उठाता रहा हूं। और आप ने सदैव आज्ञा दी है। लोक सभा की अनुदानों की मांगों की त्रिसदस्यीय समिति छानबीन करती है। संविधान के अन्तर्गत इस सभा का यह कर्त्तव्य है कि राज्य सभा की मांगों की छानबीन करे। यह एक संवैधानिक प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि अपनी कार्यावधि में आप इस प्रश्न को हल करेंग। इस बारे में सभापति को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Shri Bagri (Hissar): I want to raise the question of area of Indian territory. It was said in the last session that it would be taken up in this session. It should be discussed here. The recommendation of the Business Advisory Committee that an half hour limit should be put for discussing miscellaneous items after Question Hour, cannot be accepted.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): It will be the last session of this Lok Sabha before the Fourth Lok Sabha is elected. It would be proper that some matter of national importance are discussed in this session. I would like that the question of teachers' and students' difficulties are also taken up. You would recollect that the discussion on border security could not be completed during last session. It should be taken in this session.

We would listen the Home Minister's statement on ban on cow-slaughter today, however, we want that this question of national importance should be discussed.

श्री वारियर (त्रिचुर) : सरकार ने पेटेन्ट विधेयक के बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया है। इस बारे में संयुक्त समिति ने बहुत काम किया है। इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए।

श्री रंगा (चित्तूर) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट के साथ एक विधयक का मसौदा भी दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में क्या इरादा है। क्या सरकार इस विधेयक को पुरस्थापित करेगी ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Government should bring the Report of the Education Commission for discussion in this House. Sir, I want that the question of area of Indian territory should be discussed here. Sir, you had said that it would be taken up in the monsoon session, but it was not done. I request that it should be taken up in this session.

श्री शिवमूर्तिस्वामी (कोप्पल) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन अन्तर्राज्यीय जल विवादों पर चर्चा करायेगी या नहीं कि जिनका उल्लेख मैं करता रहता हूं। हमारे साथ साथ दो राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए निश्चित नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : कुछ समय से यह प्रवृत्ति बन गई है कि प्रवर समितियां नियुक्त की जाती हैं और सदस्यों का काफी समय उनके कार्य में लगता है और सरकारी धन भी व्यय होता है। फिर अन्त में उन समितियों की रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यह उचित नहीं है। इस बारे में एक बड़ा उदाहरण पेटेन्ट विधेयक है। सरकार को इस विधेयक को अवश्य पारित करना चाहिए।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : हमें प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर अवश्य विचार करना चाहिए।

Mr. Speaker: Hon. Members should not repeat the item which has already been referred to by another Member.

Shri Madhu Limaye: Individual suggestions should also be allowed to be made.

श्री सत्यनारायण सिंह : मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम बीज विधेयकऔर पेटेन्ट विधेयक के लिए समय निकालेंगे, और ये इसी सत्र में पारित किये जायेंगे। वैसे हम सत्र को 2 दिसम्बर से अधिक बढ़ाना नहीं चाहते। यदि जरूरत हुई तो हम कुछ लेट बैठने की व्यवस्था करेंगे।

Shri Madhu Limaye: What about the Education Commission's Report. It is a Report of about 700 pages.

Shri Satya Narain Sinha: We cannot take it up in this session.

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत ने यह प्रश्न उठाया है कि लोक सभा की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के संबंध में इतना विलम्ब किस कारण से हुआ। मैं ने इस बारे में राज्य सभा के सभापति से परामर्श किया है। वह कहते हैं कि केवल सदस्यों की समिति द्वारा वह अपना लेखा परीक्षण कराने में को तैयार नहीं हैं। यदि यह सभा एक संयुक्त समिति की बात पर सहमत हो जाय तो यह समिति दोनों सभाओं का लेखा परीक्षण कर सकती है। यदि सभा के नेता चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और उन्हीं के द्वारा यह मामला हल होगा।

श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद) : परन्तु राज्य सभा के सभापति ने जो बात कही है वह संविधान के विरुद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो कहा था कि हल संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : इस मामले में बिना किसी कारण के विलम्ब किया जा रहा है। यदि जरूरत हो तो इसके लिए उच्चत्तम न्यायालय की भी राय ली जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता सम्पन्न है। जो चाहें कर सकती है।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पचासवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि सभी दलों के नेता कुछ समय के लिए एक साथ बैठें और किसी निर्णय पर पहुंच जायें। यदि ऐसा न हुआ तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): मेरा विचार था, जैसा कि सदन के नेता ने कहा था कि दलों के नेताओं की बैठक होगी और इस मामले में कोई निर्णय ले लिया जायेगा। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया। जो प्रस्ताव है, उसमें यह सुझाव है कि कार्य मंत्रणा समिति को इस मामले पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार में अब यह मामला कार्य मंत्रणा समिति को सौंप दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि सभा के नेता ने मुझे बैठक बुलाने के लिए कहा था। परन्तु कुछ कारण थे कि मैं बैठक न बुला सका, कारण मैं बैठक में बता दूंगा।

श्री रंगा (तेनाली) : मेरे विचार में यह बाद में आया हुआ विचार है। खेद की बात है कि इतने महत्व पूर्ण मामले पर विरोधी पक्षों के नेताओं तथा उनके सदस्यों से परामर्श किये बिना ही फैसला किया जा रहा है। हम तो सभा से बहिगमन करने में विश्वास नहीं रखते, परन्तु हमें भी ऐसा करने पर बाध्य होना पड़ रहा है। यह सब अध्यक्ष और सभा के नेता की कमजोरी के कारण हुआ है। मुझे इस बात का खेद है कि मुझे इस प्रकार के विचार व्यक्त करने पड़ रहे हैं।

Mr. Speaker: The matter is in the agenda and anything can be done with the consent of the leader of the House. There should not be any charge against me.

श्री म० ला० द्विवेदी : परन्तु जब एक बार निर्णय ले लिया गया तो उसे पुनः कसे लिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : मामला काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा हो कि सभा कुछ देर के लिए स्थगित कर दी जाय और बाद में आकर इस पर निर्णय किया जाय।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं तो हम 1 बजे तक बैठ सकते हैं। इस पर बहस तो कल हो चुकी, अब नहीं होगी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आपका सुझाव ठीक है, इस मामले में अनावश्यक खिचाव से बचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो इसी समय तैयार हूं ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : नियम 338 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर कल निर्णय हो चुका है । सभा का कीमती समय पुनः इस विषय पर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरा दोष नहीं है ।

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं इस पर चर्चा बन्द नहीं करना चाहता था अतः मैंने इसे कार्यसूची में शामिल करने की अनुमति दे दी । अब तो हम इसे स्वीकार कर चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि वे 2 बजे मेरे कमरे में आ जायें । मेरा सभा के नेताओं से निवेदन है कि वह इसका कोई हल निकालें ।

मंत्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा आरंम्भ होगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : हम बड़ी नाजुक स्थिति में इस अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं । मैंने कुछ भाषण स्वयं सुने हैं और कुछ सभा की कार्यवाही में पढ़े हैं । कांग्रेस जनों के विचार में तो यह प्रस्ताव चुनावों को सामने रख कर लाया गया है और इसके समर्थकों की निराशा पूर्ण वृत्ति को व्यक्त करता है ।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the Chair.]

मेरा ख्याल था कि प्रधान मंत्री देश की वर्तमान कठिन स्थिति पर गम्भीरता से विचार करेंगे । परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि यह प्रस्ताव उस समय आया है जब कि कुछ ही दिनों बाद हम चुनावों के समय पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता सम्पन्न होने वाले हैं । सारी स्थिति को देखते हुए मुझे निवेदन करना है कि देश में स्थिति इतनी चिंताजनक और खतरनाक है कि जब तक इसमें मूलभूत परिवर्तन न किया गया, लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती । लोकतंत्र का विधिवत शासन तो प्रायः समाप्त हो गया है । आज इस बात को महसूस किया जाना चाहिए कि इस देश के लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं । विद्रोह हो रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रहे हैं । सरकारी मशीनरी की कमजोर नीति बड़ी भारी रुकावट सिद्ध हो रही है । मेरा यह सुझाव था कि चुनावों से तीन माह पूर्व सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए । इससे यह सुविधा हो जायेगी कि देशवासियों को अपने भविष्य का निर्णय करने में सुविधा होगी । वे स्वतंत्र रूप में अपना मत व्यक्त कर सकेंगे । आज जो स्वरूप कांग्रेस का हमारे समक्ष है यदि यह इसी तरह बना रहा तो देश के सर्वनाश होने में मुझे कोई सन्देह नहीं है । महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश के स्वतंत्र होते ही कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए । हमने उनकी बात नहीं सुनी । अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें उनके शब्दों की ओर ध्यान देना चाहिए और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए परन्तु आशा नहीं कि इस

परामर्श को स्वीकार किया जायेगा । अतः एक ही तरीका बचता है कि इस सरकार को हटाया जाय ।

आज स्थिति क्या है ? सरकार सभी दिशाओं में असफल हो रही है । यदि ऐसी बात नहीं है तो मुझे बताया जाय कि इस सरकार ने क्या सफलतायें प्राप्त की हैं । एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र की बात छोड़ दो , सामूहिक दृष्टि से देखो । कौन सी ऐसी बात है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं । नीति से असफल हुई ही है । प्रशासनिक दृष्टि से भी सरकार निकम्मी सिद्ध हुई है । विरोधी दल गड़बड़ी करने में सफल हो रहे हैं , यह भी इसी बात को सिद्ध करता है कि देश की प्रशासनिक शक्ति कमजोर है । यह सिद्धांत की बात है कि संघीय प्रकार की सरकार में यदि केन्द्रीय सरकार ही दुर्बल हो तो इस बात की कल्पना मात्र ही की जा सकती है कि इसका कितना भयंकर परिणाम होगा ? और आज देश में जो व्यापक असन्तोष पाया जाता है , वह इस बात का प्रबल प्रमाण है ।

आप कहते हैं कि देश में बुरा हाल हो रहा है, परन्तु यह भी तथ्य है कि स्वयं सरकार ने भी संविधान का उचित सम्मान नहीं किया है । बड़ी स्पष्ट बात है कि सरकार संविधान का प्रयोग ऊंचे राष्ट्रीय हितों के लिए प्रत्युत दलगत हितों के लिए करती रही है और अब भी किया जा रहा है । किसी विधान को लागू करते हुए भी सभी दिशाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहता है । उदाहरण भी हमारे सामने है । केरल में चुनाव के समय राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया । पंजाब में कांग्रेस के आन्तरिक झगड़ों के कारण ऐसा किया गया । उड़ीसा में , क्योंकि कांग्रेस दल की बात थी , अतः वहां ऐसा न किया गया , जब कि वहां इस बात की जरूरत थी ।

देश की हर बात का फैसला कांग्रेस प्रधान करता है । हर बात में हस्तक्षेप होता है । मेरा कहना है कि यदि सरकार देश का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चला रही तो वह यह कैसे आशा कर सकती है कि विरोधी दल विधि और व्यवस्था का पालन करेंगे । कांग्रेस वालों ने देश के प्रति इतना उपेक्षा भाव अपनाया है कि शायद किसी महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिए उन्होंने गम्भीरता से सोचा और उसके लिए समय दिया हो । आंध्र में जो कुछ हुआ उसके लिए भी सरकार उत्तरदायी है । कांग्रेस ने कई मामलों का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया है । मेरे विचार में हमारी सरकार को देश की विधि व्यवस्था और खाद्य स्थिति के मुकाबले में गोवध की समस्या ज्यादा चिन्तित कर रही है । बिहार में सूखा पड़ रहा है । परन्तु सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही । चाहिए यह कि खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय और जनता में उसका उचित विवरण हो ।

मेरा मत यह भी है कि हमारे यहां खाद्य का उतना अभाव नहीं है जितना कि उसका शोर मचाया जाता है । सारी कमी भ्रष्ट और अयोग्य प्रशासन की पैदा की हुई है । राजनीतिक शक्ति प्राप्त अधिकारी और व्यापारी सब मिले हुए हैं । इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे लोग अधिकतर कष्ट सहन कर रहे हैं । उनकी कथनी और करनी में बड़ी विषमता है । लोगों को अत्यधिक संयमी बनने की सलाह दी जाती है परन्तु अपनी पार्टियों में बड़ा खर्चीला भोजन दिया जाता है । यह कितने दुःख की बात है कि केन्द्रीय अधिकारी भी गलती करने वाले राज्यों से नहीं निपट सकते । स्वयं देश के प्रधान मंत्री को भी योग्यता के आधार पर नहीं चुना गया । मुख्य मंत्रियों ने उन्हें चुना है और वे आज खुदा बन रहे हैं । वही देश के भाग्य का निर्णय करने वाले बन गये हैं ।

हमारे गृह-कार्य मंत्री ने यह शपथ ली थी कि वह भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे । परन्तु वे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वह स्वयं कई बातों पर आश्रित हैं । और आज देश में जो हो रहा है, वह हमारे समक्ष है । दास आयोग द्वारा निन्दित व्यक्ति पंजाब के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिये गये हैं । जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे में अभी भी पूरा वक्तव्य नहीं दिया जा रहा । 4 अथवा

6 जून को डा० तेजा भारत में थे । और यह एक रहस्य है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? अब उनके पासपोर्ट को रोक दिया गया है। देश में उनको आने की अनुमति नहीं है। यह भी बताया जाता है कि यह सब जानबूझ कर किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि उनके पास इस तरह के पत्र है जिनसे फर्म और प्रधान मंत्री के सम्बन्धों पर कुछ प्रकाश पड़ता है । मैं चाहता हूं कि श्री हरिश्चन्द्र माथुर भी इसका उल्लेख करें। सरकार को चाहिए कि इसका प्रतिवाद करे।

श्री माथुर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन का श्रेय ले रहे हैं। हम सब आयोग के आभारी है, उन्होंने शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण समस्या का हल प्रस्तुत किया है । परन्तु आप इसका श्रेय कांग्रेस को नहीं दे सकते। श्री हरिविष्णु कामत भी तो इस आयोग के सदस्य है।

मैं चाहता हूं कि वह स्पष्टरूप से बतायें कि सरकार इसको स्वीकार करने जा रही है रायपुर में एक प्रैस सम्मेलन में विद्यार्थियों के आन्दोलन के बारे में पूछे जाने पर गृह-कार्य मंत्रालय में उप्र-मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पण नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करना नन्दा जी के विरोध में होगा।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। मैं इसको चुनौती देता हूं।

सभापति महोदय : मैं माननीय उप-मंत्री को बाद में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इसका अभी विरोध करना चाहता हूं। यह एक गैर-जिम्मेदाराना तथा गलत बात है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उपमंत्री ने कहा कि नन्दा जी का वही पुराना पुलिस वाला रवैया तथा दृष्टिकोण है जिससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : पहले मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दें। फिर वह जो कुछ भी कहना चाहे कह सकते हैं।

श्री शिव नारायण (बांसी) : जब एक उपमंत्री खड़े होते है और व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उनको ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन): मंत्री को वही अधिकार है जो कि सदस्य को हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियम 352 के उप नियम (दो) के अन्तर्गत एक सदस्य को किसी दूसरे सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाने से पूर्व सूचना देनी चाहिए। ऐसी सूचना से पूर्व किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसलिये माननीय सदस्य को ऐसा कोई वक्तव्य देने से पूर्व उचित सूचना देनी चाहिए थी। उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बिना यदि

कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए और उसको सदस्य द्वारा वापस लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इसमें व्यावस्था का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु यदि माननीय मंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये कोई वक्तव्य देना चाहें तो वह ऐसा कर सकते हैं। मैं उनको ऐसा करने के लिये अवसर दूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं श्री विद्याचरण शक्ल जी का पूरा वाक्य पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा था :

> "कि मैं कोई टिप्पण नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करना श्री नन्दा जी के विरोध में होगा। श्री नन्दा जी का रवैया तथा दृष्टिकोण वही पुराना पुलिस वाला है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। मुझे विद्यार्थियों में कोई बुराई दिखाई नहीं देती और पुलिस वहुत अनुचित ठंग से व्यवहार कर रही है।"

इसके पश्चात उन्होंने कलैक्टर से कहा कि हमें पुराने तरीके बदलने होंगे। परन्तु यह रिकार्ड पर नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बिल्कुल गलत है। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने यह सब कुछ कहां से लिया है। यह एक स्थापित प्रथा है कि ऐसी चीजों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री त्यागी (देहरादून): मेरे विचार म इसको सभा पटल पर रखने में कोई हानि नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री ने इसका विरोध कर दिया है। इस लिए यह मामला यहां समाप्त हो जाता है।

सभापति महोदय : श्री विद्याच्रण शुक्ल को अब यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए। माननीय सदस्य ने कहा है कि मामला समाप्त हो गया है। श्री शुक्ल अपनी व्याख्या दे चुके हैं और अब इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं करता। सभा की यह नियमित प्रक्रिया है कि यदि किसी भी दस्तावेज का सभा में उल्लेख किया जाता है तो सम्वन्धित सदस्य को इसको प्रमाणित करना चाहिए तथा इसका सभा पटल पर रखना चाहिए। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि माननीय सदस्य ने जिसका उल्लख किया है वह इसको सभा पटल पर रखें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब देश के प्रशासन में इस प्रकार की गड़बड़ चल रही तो हम विद्यार्थियों से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वे अनशासन भंग नहीं करेंगे। जम्मू में भी गोली चलाई गई है तथा वहां की पुलिस सहायता के लिये सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस को बुलाया गया था। आसाम में भी घुसपैठ हो रही है। सरकार इस बात के लिए क्या कार्यवाही कर रही कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन न हो।

अभी हाल ही की बात है कि घनशाम मिश्र नाम के एक व्यक्ति को दार्जिलिंग की एक सड़क से अपहरण कर लिया गया उसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका। ऐसा

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

कहा जाता है कि उसको चाय बागान के प्रबन्धकों ने कत्ल करवा दिया है। मैं चाहता हूं कि श्री नन्दा इस मामले की तुरन्त जाच करवायें।

यदि इस प्रकर की घटनाएं होती रही तो सरकार की अदक्षता, भ्रष्टाचार, अयोग्यता के कारण देश में लोकतंत्र का विनाश होने वाला है।

सभापति महोदय : श्री शुक्ल व्यक्तिगत रूप में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : में नियम 380 के अन्तर्गत प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने प्रार्थना की थी कि माननीय सदस्य को साधन बताने चाहिए जहां से इनको यह कुछ पता लगा है। चाहे वह समाचारपत्र हो अथवा कोई अन्य साधन। वह इसको प्रमाणित करें तथा इसको सभा पटल पर रखें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं इसके लिये बाध्य नहीं हूं। किसी को भी साधन बताने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि जो कुछ मैंने कहा वह गलत था तो ठीक है।

सभापति महोदय : श्री द्विवेदी ने श्री शुक्ल के वक्तब्य को स्वीकार कर लिया है इसलिये उनको अब संतुष्ट हो जाना चाहिए। इस मामले को समाप्त समझा जाना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री नन्दा) : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस समय देश में चिन्ता जनक स्थिति है;

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

उदाहरणतया मूल्यों में वृद्धि, कमी की स्थिति तथा हिंसा की भावना। विरोधी दल के माननीय सदस्यों का इस असंतोषजनक स्थिति की ओर बार बार ध्यान दिलाना स्वभाविक ही है। देश में हुई किसी भी गलत बात पर सरकार का ध्यान दिलाना विरोधी दलों का विधिवत अधिकार है। परन्तु आलोचना उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए और शिष्ट चर्चा के तरीकों से परे नहीं होनी चाहिए। सरकार की किसी भी त्रुटि को बताने के लिये प्रत्येक बार अविश्वास के प्रस्ताव का आश्रय लेना ठीक बात नहीं है तथा इस प्रकार इसके महत्व को कम करना है। यह एक बहुत ही अस्वस्थ प्रथा है।

हमसे यह पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 19 वर्षों में हमने क्या किया है। हम अपनी त्रुटियों के प्रति जागरूक है। हम महसूस करते हैं कि कुछ विशेष क्षेत्रों में हमें कुछ अधिक कार्य करना चाहिए था। परन्तु यदि हमारे कार्यों को अनेक अड़चनों तथा कठिनाइयों के संदर्भ में देखा जाय तो मालूम होगा कि हमने पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। हम अपने आर्थिक जीवन के एक क्रान्तिकारी दौर से गुजर रहे हैं।

कुछ लोगों का विश्वास है कि तोड़फोड़ की कार्यवाहियां अर्थात् 'बन्द', "घेराडालो' आदि क्रान्ति के चिन्ह है और वे समझते हैं कि वे लोग इस क्रान्ति के निर्माता है।

मेरा विचार है कि देश में वर्तमान अशान्ति अस्थायी है। कुछ लोगों को कठिनाइयां हो सकती हैं परन्तु उनका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। इन सब गतिविधियों का सबसे

अधिक दुःखद परिणाम यह होता है कि निर्दोष लोगों की जाने जाती हैं; सम्पत्ति नष्ट होती है और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।

विधि व्यवस्था बनाये रखने वाले अधिकारियों को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है। एक आलोचना यह है कि पुलिस निष्क्रिय है और वह अपना काम दृढ़ता तथा कठोरता से नहीं कर रही है। दूसरी ओर यह कहा जाता है कि पुलिस ज्यादती तथा अत्याचार करती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पुलिस सदा ठीक व्यवहार करती है। कहीं कहीं पुलिस गलती पर भी हो सकती है। जहां भी कहीं ऐसी कोई बात होती है हम कार्यवाही करते है और पुलिस की गलती को सुधारते हैं। पुलिस को बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और वह समर्थन तथा सहानुभूति के पात्र है। जब वास्तव में विधि तथा व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस को उसको बनाये रखने के लिये परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। यदि हिंसा की कार्यवाही होती हैं, लटू होती है और जान तथा माल, लोगों की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता को खतरा होता है तो उसका दृढ़ता से मुकाबला किया जाता है।

विधि व्यवस्था का विषय एक राज्य विषय है परन्तु फिर भी इस बारे में राष्ट्र की कुछ नीति है। हमने लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों को बनाये रखा है तथा बनाये रखने का भरसक प्रयत्न किया है। जनता के किसी भी वर्ग पर अपनी शिकायतों तथा विरोध को लोकतन्त्रीय तरीकों से प्रकट करने के बारे में कोई रोक नहीं लगाई गई है। परन्तु इस अधिकार को दूसरे लोगों के अधिकारों पर आघात पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अव्यवस्था तथा हिंसा को किसी प्रकार भी सहन नहीं किया जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : बस्तर के शासक को कुत्ते की तरह गोली मार दी गयी थी।

श्री नन्दा : इसकी जांच की जा रही है। यदि अधिकारियों के विरुद्ध किसी बात का पता चला तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

देश में विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये किसी भी खतरे का दृढ़ता से मुकाबला किया जायेगा। यह बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिये कि सरकार विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की अनुमति नहीं दे सकती। यदि देश में अव्यवस्था फैली हो तो आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। विधि व्यवस्था बनाये रखे बिना हम प्रगति नहीं कर सकते।

देश में वर्तमान अशान्ति का एक कारण देश में हुआ विकास भी है। जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई है तथा उसकी आशायें भी बढ़ी हैं। आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाने के लिये हो रहे आन्दोलन का यही रहस्य है। स्वतन्त्रता से पूर्व देश में इस्पात की कुल क्षमता पन्द्रह लाख टन की थी परन्तु देश में 70 लाख टन की क्षमता है और 1970–71 तक इस क्षमता को बढ़ा कर एक करोड़ 48 लाख टन करने का प्रस्ताव है। यह भी एक कारण हो सकता है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गये हैं। हमने उनके अधिकारों तथा आशाओं को उचित दिशा देने के लिये लोगों को उचित शिक्षा देने का पर्याप्त काम नहीं किया है।

विद्यार्थियों के आन्दोलन के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता परन्तु एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 1950–51 में केवल तीन लाख विद्यार्थी कालेजों में जाते

[श्री नन्दा]

थे परन्तु अब उनकी संख्या बढ़ कर ग्यारह लाख हो गई है। इसलिये शिक्षा पर एक बड़ी धनराशि व्यय की जा रही है। परन्तु मैं यह स्वीकार करता हूं सुविधाओं में इसके अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है।

रोजगार के अवसर भी अवश्य बढ़े हैं परन्तु जितने लोग पढ़ लिख विश्वविद्यालयों से बाहर आते हैं वे अवसर उसकी तुलना में कम हैं।

हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को पर्याप्त सफलता मिली है परन्तु पारिवारिक कार्यक्रमों को नहीं। मृत्यु दर में कमी हुई है परन्तु जन्म दर यही है।

मलेरिया का लगभग उन्मूलन किया जा चुका है। जीवनावधि में 1952 में 32 से बढ़ कर अब 50 हो गई है। यह सब स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने से हुआ है।

श्री मसानी ने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस को चुनाव में केवल 44.7 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे और कि उसको शक्ति में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस शक्ति ग्रहण नहीं करती तो कौन सा दल शक्ति ग्रहण कर सकता था। जहां तक स्वतन्त्र दल का सम्बन्ध है उसको केवल 7.89 प्रतिशत मत मिले थे। यदि जन संघ के मत भी साथ मिला लिये जायें तो यह 33.37 प्रतिशत बनते हैं। इसलिये कांग्रेस ही एक ऐसा दल था जो कि शक्ति ग्रहण कर सकता था।

श्री मसानी ने देश में स्थायित्व बनाये रखने की बात भी कही थी। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस ही देश में स्थायित्व को कायम रख सकती है।

हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं और यदि कमी तथा त्रुटि रह जाती है अथवा कोई अड़चन आ जाती है तो हम उसको सफलतापूर्वक पार करेंगे।

हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि राष्ट्र के हित के विरुद्ध हो।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्री नन्दा ने अपने भाषण में कोई नई बात नहीं कही। लगभग वही बातें कही हैं जो कि कांग्रेस के प्रधान बार बार कह चुके हैं। उनका भी यही मत है कि कांग्रेस को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। कांग्रेस ही उनके विचार में इस देश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर सकती है। देश के विभिन्न भागों में बन्द और हड़तालें चल रही हैं, मगर इनकी आंखें नहीं खुल रही। इनका कहना है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं। यदि ऐसा ही हो तो जनता में इसका प्रभाव क्यों होता है। और इसकी ओर गम्भीरता से क्यों ध्यान नहीं देते हैं। कुछ आधारभूत कठिनाइयां हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण जनता में इतना व्यापक असन्तोष पाया जाता है। आराम से विधिवत जीवन व्यतीत करने वाले लोग ऐसे नहीं भड़क उठते। उनकी कुछ कठिनाइयां हैं और उनसे वे तंग आ चुके हैं। वह सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था से पूर्ण रूप से असन्तुष्ट हैं। अतः परिणामों से बेपरवाह होकर इन प्रदर्शनों में भाग लेते हैं। ये बन्द, हड़तालें और बन्द केवल असन्तोष ही तो व्यक्त करते हैं।

कहा गया है कि हम अपेक्षित प्रकार की सामाजिक शिक्षा लोगों को नहीं दे सके। मैं पूछता हूं कि जो कुछ विशाखापटनम में हुआ उसके लिए कौन उत्तरदायी है? इसके लिये केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी भी है और आन्ध्र सरकार की भी। तकनीकी मिशन ने इस संयंत्र की सिफारिश की

है। परन्तु मंत्री और मंत्रिमंडल जो कि तकनीकी ज्ञान में बिल्कुल कोरे हैं इस सिफारिश को कार्यान्वित करने में असफल रहे। क्या यह इस बात का सबूत नहीं कि ठीक समय पर ठीक निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं है। यह प्रथम बार ही नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। यदि लोग और राजनीतिक दल इस गड़बड़ के उत्तरदायी हैं तो सरकार की जिम्मेदारी भी इसमें कम नहीं है। वह भी अपने कर्तव्य पालन में बुरी तरह असफल रही है।

उस्मानिया विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है ? ईश्वर का धन्यवाद है कि वहां कोई मृत्यु नहीं हुई। वहां बात तो इतनी ही है कि मुख्य मंत्री उपकुलपति को निकालना चाहते हैं, परन्तु अवधि समाप्त होने से पूर्व ऐसा नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी वर्ग के हल और उनके व्यापक असन्तोष का उल्लेख किया गया है। मेरा मत यह है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय को ही ले लीजिए। वहां के लोकप्रिय उपकुलपति के हटाये जाने के विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी सुनवाई ही नहीं हो रही। शिक्षा संस्थाओं में जो भयंकर भूलें सरकार कर रही है उससे विद्यार्थियों में असन्तोष निरन्तर बढ़ रहा है। वैसे सामान्य लोगों में जो गहरा असन्तोष पाया जाता है उसका भी विद्यार्थी वर्ग पर प्रभाव है।

माननीय मंत्री महोदय ने गत् 19 वर्षों की अपनी सफलताओं का उल्लेख किया है। मेरे विचार में उनके दोष उनकी सबसे बड़ी सफलतायें हैं। खाद्य मंत्री इस बात पर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने भुखमरी से किसी को मरने नहीं दिया। परन्तु इस दिशा में स्थिति यह है कि खाद्य स्थिति देश में बहुत ही सोचनीय हो रही है। सर्वत्र अभाव और कमी ही दिखाई देती है और भविष्य में कोई आशा दिखाई नहीं देती। स्वयं कांग्रेस द्वारा स्थापित आयोग ने कहा था कि आने वाले दस वर्ष काफी खतरनाक हैं और उनके लिए कोई प्रबन्ध करना होगा। उत्पादन की वृद्धि में कोई ठोस पग उठाया गया दिखाई नहीं देता। अब नई पद्धति लागू करने की बातें की जा रही हैं। इस पद्धति के लिये पांच गुणा उर्वरक चाहिए और रोग नाशक चीजें चाहिएं, परन्तु कोई व्यवस्था नहीं हो रही। न कोई इसके लिए योजना ही है और न ही साधन है। इसका एक परिणाम होगा कि इनकी योजना तो असफल होगी ही हमारी कृषि सम्बन्धी अर्थ व्यवस्था का भी नाश हो जायेगा। अतः खाद्य के बारे में कोई आशा दिखाई नहीं देती।

लोग सरकार से अपनी कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा तो कर ही सकते हैं। आप संयंत्रों की बातें कर रहे हैं और कृषक बेचारे के पास कृषि के औजार नहीं। न उर्वरक है और न अच्छे बीज ही उपलब्ध हो रहे हैं। देश के कई भागों में तो पानी भी नहीं मिल रहा। खेती और सिंचाई की तो बात ही छोड़ो, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो रहा। अब आप बताइये कि आप की सफलताओं की कोई क्या करे। यही कारण है कि लोगों में व्यापक असन्तोष और अशान्ति व्यापक है। आज सारे देश से यह आवाज़ उठ रही है कि सारे विरोधी दलों को मिल कर इस सरकार को किसी तरह से समाप्त करना चाहिए। सभी लोगों की यह आकांक्षा है कि किसी तरह कांग्रेस दल के हाथों से सत्ता छीन ली जानी चाहिए।

मेरा मत यह है कि कांग्रेस दल में इतने दोष आ गये हैं कि उनका उपचार असम्भव है। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस दल को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस अब विरोधी पक्ष में आ जाये। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छीन ली जाय। अच्छा हो यदि कांग्रेस स्वयं ही सत्ता छोड़ दे। आज देश में अराजकता का बोल-

[श्री रंगा]

बाला है । पति की मौजूदगी में पत्नी को उठा लिया जाता है। परन्तु सरकार कुछ नहीं कर सकती। सारे देश में विधि और व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। माननीय गृह-कार्य मंत्री को ज्योतिषियों की राय के साथ-साथ लोगों की राय जानने का भी प्रयास करना चाहिए और इसके बाद यह भविष्यवाणी करनी चाहिए कि आगामी चुनाव में कांग्रेस ही विजय प्राप्त करेगी। शायद लोग कांग्रेस के प्रभाव और साधनों के डर से इन्हें राय दे दें पर यह बात तो कांग्रेस के नेता भी समझते हैं कि देश में कांग्रेस के विरुद्ध व्यापक असन्तोष है और उन के पास इनका कोई उपचार नहीं। कहीं इस देश में चीन के चांग काई शेक वाली बात न हो जाय।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि यह कहना गलत है कि हमारा दल परिवर्तन नहीं चाहता। हम तो देश में उचित लोकतन्त्र की स्थापना के पोषक हैं, परन्तु कांग्रेस स्वयं नौकरशाही और प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहन दे रही है। वे जनता की स्वतन्त्रता को समाप्त कर देना चाहते हैं। लगता है कि वे नौकरशाही तथा भ्रष्ट और अकुशल लोगों का शासन स्थापित करने के इच्छुक हैं। मेरा विश्वास है कि जब श्री नन्दा को गृह मंत्री पद से हटा दिया गया तो वह भी वही बातें करेंगे जो कि हम कर रहे हैं। इससे पूर्व हम श्री हुमायून् कबिर और श्री मेहताब की हालत देख चुके हैं। मुझे विश्वास है कि अब भी वह जानते हैं कि उनका केस कमजोर है, पर उसकी वकालत किये चले जा रहे हैं।

श्री उमानाथ (पुडुकोटै): सरकार के विरुद्ध यह अविश्वास का प्रस्ताव उस समय आ रहा है जब कि सारे देश में सरकार की नीतियों के विरुद्ध भारी असन्तोष और गहन रोष व्यक्त हो रहा है। लोग शनैः शनैः इस विचार के हो रहे हैं कि इस बदनाम सरकार को ठीक करने और लोगों की हालत सुधारने के लिये उन्हें कोई कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। केवल आलोचना करने और खरी खोटी सुनाने से यह सरकार अपनी राह छोड़ने वाली नहीं है। हमें इस बात का गर्व है कि हमने इस सरकार की दमन नीति के विरुद्ध बन्द और प्रदर्शन संगठित किये। इन बन्दों से लोगों का साहस बढ़ता है और वे सरकार के दमन का मुकाबला करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि देश की जनता अविवेकी शासकों को सत्ता से हटाने के लिए कृतसंकल्प है। नये नये वर्ग इन बन्दों और हड़तालों में शामिल होते चले जा र हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के डाक्टरों तक को आन्दोलन करना पड़ रहा है। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सरकार जनता से बहुत बुरी तरह से दूर होती चली जा रही है। सरकार ने राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़ी भयंकर राजनीतिक और आर्थिक भूलें की हैं। इस से लोगों पर असीम अत्याचार हुए हैं। लोगों में असन्तोष निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। यहां तक कि पुलिस, जिस पर सरकार मुख्यतः निर्भर करती है, भी इससे वंचित नहीं रह सकी।

यह कहना ठीक नहीं है कि हमारा दल वर्तमान परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठा रहा है। जो कुछ भी हालात देश में पैदा हो गये हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करने और स्थिति में हस्तक्षेप करने का उसका अधिकार है। लोग कांग्रेस के कुशासन के कारण बेहद दुखी और पीड़ित हैं। उनके इस दुख में साथ देने का अधिकार भी प्रत्येक राजनीतिक दल को है। विद्यार्थियों का आंदोलन पुलिस वालों की हलचल, और किसान का असन्तोष सब इसी बात का प्रमाण हैं कि कांग्रेस उनके विचारों की ओर ध्यान नहीं दे रही। केवल कांग्रेस का ही यह जन्मसिद्ध अधिकार नहीं कि वह लोगों के अधिकारों की बात करे, दूसरे दल भी लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार

रखते हैं। यह भी दुख की बात है कि कांग्रेस ने अतीत में की गयी अपनी भूलों का भी कुछ लाभ नहीं उठाया। उन से कुछ शिक्षा लेने का प्रयास नहीं किया। कांग्रेस की इस जनविरोधी नीति के कारण ही स्थिति गम्भीर हो गयी है और लोगों में असन्तोष और निराशा की लहर फैल गयी है।

जब रुपये का अवमूल्यन किया गया तो सरकार ने बड़ी शेखी के साथ यह कहा था कि इस से देश की अर्थ-व्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। परन्तु तीन मास के भीतर ही हमें पता लग गया कि स्थिति क्या है? सारे परिणाम उन बातों के विपरीत हुए जो कि कहीं गयी थीं। व्यापार के साथ सम्बन्ध रखने वाले बड़े बड़े पत्रों ने भी इसी प्रकार की भावना व्यक्त की हैं। हमारे निर्यात की वृद्धि का जो रहस्य था वह खुल गया है। देश की अर्थ-व्यवस्था काफी खराब हो गयी है। इसका कारण अवमूल्यन ही है। और सरकार के समक्ष अर्थ-व्यवस्था की रक्षा करने की बड़ी भारी समस्या आ खड़ी हुई है। कीमतें बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। इसके साथ-साथ आयात की हुई चीज़ों का मूल्य बड़े भंयकर रूप में बढ़ गया है। चौथी योजना भी खटाई में पड़ी हुई है। योजना के कुल परिव्यय के बारे में बार-बार तबदीली करने के कारण लोगों में इसके बारे में भारी सन्देह पैदा हो गये हैं। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय यह योजना हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का बड़े बड़े साम्राज्यवादियों के हाथों में गिरवी रख देगी। इस से पहले की योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। उनमें जो सफलतायें हमें उपलब्ध हुई हैं उनको देखते हुए कोई आशा दिखाई नहीं देती कि हम अपने लक्ष्य पूरे कर लेंगे।

अभी कोई आशा दिखाई नहीं देती कि हमें विदेशों से अपेक्षित सहायता प्राप्त हो जायेगी। जो देश हमें सहायता देते हैं वह अपने डालरों का उचित मूल्य मांगते हैं। और 'बैल मिशन' दूसरे अवमूल्यन के लिए दबाव डाल रहा है। हो सकता है कि हमें एक बार पुनः अवमूल्यन करना पड़ जाये। हम आज कपड़ा उद्योग में जिस संकट का सामना कर रहे हैं उस से स्पष्ट है कि आर्थिक व्यवस्था समाप्त हो गई है। बहुत सी मिलें बन्द हो चुकी हैं और अन्य बहुत सी बन्द की जाने की धमकी दी जा रही है। सरकार संकट का सामना करने के बजाय यह कोशिश कर रही है कि सारे संकट का भार गरीब मजदूरों पर ही पड़े। देश में पूंजीवाद स्थापित करने का यह परिणाम हुआ है कि कुल धन में श्रमिकों का हिस्सा प्रति वर्ष घटता जा रहा है। कृषि सम्बन्धी संकट ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है और सरकार पी० एल० 480 पर ही निर्भर है। संकट का कोई हल निकालने की बजाय वह स्थित को और चिन्ताजनक बना रही है। देश में जो भी खाद्यान्न मिल रहा है, उसे भी वह ठीक से वितरित नहीं कर पा रही है। मेरा निवेदन है कि वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाना बड़ा ही ज़रूरी है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की रोज़गार सम्बन्धी नीति से भी बेरोज़गारी निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। दिन प्रति दिन ठीक ढंग से और आधुनिक प्रकार के रोज़गार के अवसर एक दम कम होते चले जा रहेहैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है परन्तु सरकार इसके प्रति जागरूक दिखाई नहीं देती। उद्योगों की रोज़गार क्षमता भी कम होती चली जा रही है। आधुनिक मशीनों ने भी रोज़गार अवसर कम किये हैं। राज्य सरकारें भी इस दिशा में कुछ नहीं कर रहीं। भारत में विदेशी कम्पनियां भी अपने कर्मचारियों से ठीक व्यवहार नहीं कर रही। मुझे तो यह भी भय है कि सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों से गुप्त रूप से समझौता न कर लिया हो। यदि ऐसा नहीं तो सरकार इस मामले में एक पक्ष बनने का प्रयास क्यों कर रही है। अन्यथा उनका नियन्त्रण अमरीका के पास है और यदि ऐसा न होता तो शायद वह हमारी सरकार को हस्तक्षेप की अनुमति न देती। यह भी बड़े दुःख की बात है कि सरकार अपने ही कर्मचारियों से ठीक व्यवहार नहीं कर रही है।

उन्हें जो कुछ दिया गया वह काफी नहीं है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को एक होकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा।

सारे देश में विद्यार्थियों का आन्दोलन ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा है। यह जागृति का एक नया चिन्ह है।

विद्यार्थियों के आन्दोलनों को हिंसा का नाम देकर उनकी निन्दा करना वास्तविकता से आंखें मूंद लेने के बराबर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने विश्वविद्यालय की सीमा में प्रवेश कर विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा है। तीन हजार विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया। गोली काण्डों में 13 निर्दोष व्यक्तियों की जानें गईं और लगभग एक हजार व्यक्ति घायल हुए। पुलिस ने महिला विद्यार्थियों पर भी अत्याचार किये हैं। कानपुर के एक कालेज के प्रिंसिपल आंसू लाने वाली गैस से मौके पर ही मारे गये। इन्हीं सब ज्यादतियों के कारण विद्यार्थियों में सरकार की उपेक्षा करने की बात ने जोर पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश, बंगाल दिल्ली कश्मीर और आन्ध्र प्रदेश में पुलिस ने जो अत्याचार किये हैं वैसे अत्याचार ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुए थे।

अब सरकार इन आन्दोलनों के विरोधी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्य मंत्रियों द्वारा मेरे दल का भी नाम लिया जा रहा है परन्तु तथ्य यह है कि यह सब कुछ सरकार की गलत शिक्षा सम्बन्धी नीति के कारण हो रहा है। आजकल की मंहगाई में कोई भी साधारण मां-बाप अपने बच्चे को अन्य सुविधाओं को छोड़े बिना हाई स्कूल तक शिक्षा नहीं दिला सकते। इस तथ्य को सरकार महसूस नहीं कर रही है। इलाहाबाद में विद्यार्थियों के सम्मुख बोलते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि मैं एक मां के नाते बच्चों की कठिनाइयों को समझती हूं। परन्तु उसी समय एक विद्यार्थी ने कहा कि आप एक मां अवश्य हैं परन्तु आप के बच्चे इंगलैंड में पढ़े हैं। इसलिये आप साधारण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कठिनाइयों को नहीं समझ सकती। यही उचित उत्तर था जो कि उस बच्चे ने हमारे प्रधान मंत्री को दिया।

विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति को दिल्ली में ही आंका जा सकता है जहां लाखों विद्यार्थी तम्बुओं में शिक्षा पा रहे हैं। इनके लिये भवनों का निर्माण करने के लिये सरकार के पास धन नहीं है परन्तु दूसरी ओर दिल्ली में ही मंत्रियों तथा उच्च अधिकारियों के लिये बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है। इस भेदभाव को इस अन्तर को छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार अपने क्षेत्र में एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के बारे में केन्द्रीय सरकार के निर्णय को क्रियान्वित नहीं कर रही है इसी कारण वहां पर आन्दोलन आरम्भ हुआ।

सभी क्षेणियों के अध्यापकों की स्थिति भी बहुत बुरी है। सरकार ने इसको अच्छा वेतन देने से इन्कार कर दिया जिस कारण इनको भी दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा। पंजाब में इन्जीनियरों ने अच्छे वेतनों के लिये हड़ताल की।

आंध्र प्रदेश की स्थिति और खराब है। वहां पर जल तथा स्थल सेना का भी प्रयोग किया गया है। जान और माल की काफी क्षति के पश्चात् अब सरकार विशाखापटनम में एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में वक्तव्य देने वाली है। औद्योगिक विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। इससे भी दूसरे क्षेत्रों के लोगों में काफी असंतोष फैला है। सरकार को इस आन्दोलन से सबक सीखना चाहिए।

भाषायी आधार पर प्रदेशों को पुनर्गठित करने के बारे में सरकार के इन्कार से राज्यों में विवाद उत्पन्न हो गये हैं। बहुत से सीमा विवादों को स्वयं कांग्रेस वाले ही भड़का रहे हैं।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि देश की वर्तमान स्थिति के लिये सरकार ही जिम्मेदार है। साम्यवादी दल तथा अन्य विरोधी दलों पर आरोप लगाने का कोई लाभ नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghy): I rise on a point of order and I would like to draw your attention to rule 350 and 389. There has been well established convention that members are called to speak according to the lists supplied by the leader of the parties. My name was also mentioned in the list supplied by the leader of our party but I have not been given a chance to speak.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं किसी सूची को नहीं मानता। माननीय सदस्य के दल को 24 मिनट दिये गये थे। इनमें से 23 मिनट श्री यशपाल सिंह बोल चुके हैं। अब कोई समय नहीं है। इसलिये उनको अवसर नहीं दिया जा सकता।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दलों के पास एक ऐसा हथियार है जिससे विरोधी दल अपनी भावना तथा सरकार की त्रुटियां व्यक्त कर सकते हैं। इस संसदीय अधिकार को सब जगह मान्यता प्राप्त है। इस समय देश में जो कुछ हो रहा है उस सम्बन्ध में दो अथवा तीन बातों की ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। संसदीय लोकतन्त्र के लिये एक जिम्मेदार विरोधी दल का होना आवश्यक एवं एक स्वस्थ लक्षण है। इसलिये बहुत से संसदों में न केवल विरोधी दल को मान्यता प्राप्त है बल्कि उसके नेता को वेतन मिलता है और प्रधान मंत्री के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। परन्तु आज देश में जो कुछ हो रहा है यदि इसको इसी ढंग से चलने दिया गया और इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जायेगा। इस सब स्थिति के पीछे कोई 'मास्टर-मायंड' काम कर रहा है और जब तक इसका पता नहीं लगा लिया जाता और इस पर समय पर ही रोक नहीं लगाई जाती तो लोकतंत्र को अवश्य ही खतरा बना रहेगा।

जहां तक इन बन्दों, घेरा डालो आदि आन्दोलनों का सम्बन्ध है यदि यह सब शान्तिपूर्वक ढंग से गठित किये जायें तथा कार्य तथा उत्पादन को न रोका जाये और अनुशासनहीनता न हो तो इन बन्दों तथा घेरा डालो आदि आन्दोलनों को गठित करने में कोई हानि नहीं है। केरल में जब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हो रही थी तो वामपक्षी साम्यवादी दल ने शान्तिमय आन्दोलन गठित किया था। यद्यपि कुछ कार्य नहीं हो सका तथापि यह सब कुछ शान्तिपूर्वक ढंग से किया गया था। परन्तु आज देश में इन बन्दों को जिस स्थिति में चलाया जा रहा है उससे न केवल देश का उत्साह बल्कि उत्पादन क्षमता भी समाप्त हो रही है। अनाज को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना तथा लेजाना असम्भव हो रहा है। अब समय आ गया है जबकि सरकार को अपनी शक्ति का प्रयोग करके प्रभावशाली ढंग से कार्य करना होगा चाहे अन्य लोगों पर इसकी प्रतिक्रिया कुछ भी हो।

जहां तक विद्यार्थियों के आन्दोलन का सम्बन्ध है उनको मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। रेलवे स्टेशनों, बसों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने की अनुमति दी जा सकती। विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं परन्तु उन पर

[श्री स० का० पाटिल]

उसी तरीके से विचार किया जाना है । सरकार बल के आगे नहीं झुक सकती । हो सकता है कि उप-कुलपति की नियुक्ति में कहीं कोई भूल हुई हो, परन्तु उस ओर अन्य तरीकों से सरकार का ध्यान दिलाया जा सकता है ।

जहां तक आंध्र प्रदेश में इस्पात कारखाना स्थापित करने का सम्बन्ध है इस बात का निर्णय विद्यार्थियों पर नहीं छोड़ा जा सकता । इसका एक लम्बा इतिहास है । इसकी मांग उचित ढंग से की जानी चाहिये । आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और मैं चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश की औद्योगिक क्षमता बढ़े तथा वहां का विकास हो । परन्तु कोई कारखाना लगाने सम्बन्धी निर्णय विद्यार्थियों पर नहीं छोड़ा जा सकता ।

विद्यार्थी भावनात्मक होते हैं । भावना से उत्तेजित हो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में आंध्र प्रदेश में लगभग 25 रेलवे स्टेशनों को आग लगा दी है और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई है ।

स्वतंत्रता के समय देश में 250 से 260 लाख के लगभग विद्यार्थी थे परन्तु आज इनकी संख्या बढ़कर 260 लाख के लगभग हो गई है । यद्यपि उनकी संख्या दुगने से भी अधिक हो गई है फिर भी इसके अनुपात से सुविधायें नहीं बढ़ सकी हैं । दूसरे देशों में विद्यार्थियों की शिकायतों को सुनने के लिये कालेज के प्रोफेसरों के अतिरिक्त अन्य प्रोफैसर होते हैं जिनको निजी परामर्श-दाता कहा जाता है । हमारे देश में इस प्रकार की प्रणाली के अभाव तथा कारणों से ही यह सब कुछ हो रहा है ।

हमारे देश का विरोधी दल कई दलों में बंटा हुआ है । 500 के संसद में उनके केवल 125 सदस्य हैं और वे 125 सदस्य 10 अथवा 20 ग्रुपों में बंटे हुए हैं । उनमें सरकार के प्रति घृणा के अतिरिक्त कुछ भी सामान्य नहीं है । मैं सभी विरोधी दलों को दोष नहीं देता । कुछ विरोधी दल उचित ढंग से व्यवहार कर रहे हैं ।

दक्षिण रोडेशिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ब्रिटेन में पर्याप्त मतभेद है परन्तु इसके बावजूद भी वहां का विरोधी दल वहां की सभा के कार्य में रुकावट नहीं डालता क्योंकि उनको मालूम है कि यदि भविष्य में उनको सरकार बनानी पड़ी तो उनको भी कार्य चलाना है ।

अमरीका के समक्ष इस समय दक्षिण वियतनाम की समस्या है सभी दल इस प्रश्न पर सहमत नहीं हैं । फिर भी विरोधी दल गैर-जिम्मेदारी से काम नहीं ले रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उनको सरकार बनानी पड़ी तो हो सकता है कि उनको स्वयं भी इस प्रश्न से इसी प्रकार निपटना पड़े । परन्तु यहां हमारे देश में विरोधी दलों द्वारा सरकार बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है । मैं अपने विरोधी दलों को बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि आन्दोलनों, बन्दों तथा घेरा डालो आदि से उनको अस्थायी रूप से कुछ लाभ हो जाये परन्तु अन्ततः उनको इनसे कुछ लाभ होने वाला नहीं है ।

जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है पिछले दो वर्ष बहुत ही खराब रहे हैं । पिछले सौ वर्षों में भी ऐसे वर्ष नहीं आये । इसी लिये स्थिति कुछ बिगड़ गई है । जब मैंने खाद्य मंत्री का पद छोड़ा था तो उस समय 25 लाख टन अनाज का 'बफर स्टाक' सरकार के पास था । देश के दुर्भाग्य के कारण गत दो वर्ष खराब रहे और स्थिति बिगड़ गई । मैं विरोधी दलों से अपील करूंगा

कि वह खाद्य, विद्यार्थियों के आन्दोलन, तथा अनुशासन के मामले में राष्ट्रीय अनुशासन को बनाये रखें। अमरीका से एक करोड़ बीस लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया था। परन्तु अब अमरीका के पास भी फालतू अनाज नहीं है। हमारा देश गुटों से अलग है और यदि हमें रूस अथवा किसी अन्य देश से अनाज मिल सका तो हम अवश्य लेंगे।

कुछ सदस्यों द्वारा त्रिदलीय सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया है। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री उत्तर देते समय इससे अच्छी प्रकार निपटेंगी। परन्तु मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि गुटों से अलग रहने की नीति को कई देशों ने स्वीकार किया है। दोनों गुटों ने कई बार भारत की सेवाओं का गुटों से अलग रहने के नाते ही प्रयोग किया है। राष्ट्रपति नासर तथा टीटो हमारे आज के नहीं बल्कि बहुत पुराने मित्र हैं। गुट-निरपेक्षता की भावना को जीवित रखने के लिये हमें अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना है।

जिस पार्टी ने यह प्रस्ताव रखा है उसके सदस्यों की कुल संख्या 20 है। इसके विपरीत सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों की संख्या 375 है। मैं समझ नहीं सका कि यह अविश्वास की मांग को राष्ट्रीय मांग कैसे कहा जा सकता है। आज हमारे देश में और कोई पार्टी नहीं जो सरकार का कार्यभार सम्भालने में समर्थ हो। अतः मैं चाहता हूं कि पहले तो इन दलों को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिये और अपने सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिये उसके पश्चात् कांग्रेस को गद्दी से हटाने के बारे में सोचना चाहिये। अब चुनाव निकट हैं। यह एक अच्छा अवसर है। सभी को कोशिश करनी होगी।

श्री स्वैल (आसाम—स्वायत्तशासी जिले) : यह बहुत अच्छा होता कि यदि हम इस सरकार के स्थान एक और स्थान बनाने योग्य होते। खेद की बात है कि आज हमारे देश में कोई अन्य संगठित पार्टी नहीं कि जो सरकार बना सके।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छियानवेवां प्रतिवेदन

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियानवेवें प्रतिवेदन से, जो 2 नवम्बर, 1966 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियानवेवें प्रतिवेदन से, जो 2 नवम्बर, 1966 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाओं का राष्ट्रीय बोर्ड विधेयक

NATIONAL BOARD OF POST-GRADUATE MEDICAL EXAMINATIONS BILL

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अखिल भारतीय आधार पर स्नातकोतर चिकित्सा परीक्षाएं लेने के लिये एक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आधार पर स्नातकोत्तर चिकित्सा परीक्षाएं लेने के लिये एक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री चन्द्रभान सिंह : मैं विचार को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान संशोधन विधेयक

(अष्टम अनुसूची का संशोधन—जारी)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF EIGHTH SCHEDULE)—contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा 26 अगस्त, 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"।

[**श्री प्र० क० देव** पीठासीन हुए
[**Shri P. K. Deo** in the Chair]

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी अधिक जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को संविधान की आठवीं अनसूची में स्थान नहीं दिया गया है। इसके विपरीत अल्पसंख्यक जनता की भाषाओं को मान्यता दे दी गई है। सिंधी समुदाय के लोग आज विश्व के सभी स्थानों पर मिलेंगे। ये बहुत गुणी और प्रतिभाशाली लोग हैं। यह व्यापारी तथा बैंकरों के रूप में बहुत अधिक संख्या में विदेशों में हैं। आप उन्हें इंगलैंड, यूरोप के अन्य देशों, अफ़्रीका के देशों तथा एशिया के देशों में पायेंगे। इन लोगों ने अपने देश को इस लिए त्याग किया क्योंकि वे अपनी भाषा तथा संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। देश विभाजन के समय इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया और भारत में आये।

इन लोगों ने भारत में आकर अपना स्थान बना लिया। परन्तु इनकी भाषा को हमारे संविधान में मान्यता नहीं दी गई। यह मान्यता देना आवश्यक है। विभाजन से पहले यह भाषा एम० ए०

तक पढ़ाई जाती थी। बम्बई विश्वविद्यालय में इस की व्यवस्था थी। इस भाषा को संविधान में मान्यता देने की मांग समूचे देश से हो रही है। मुझे इस बारे में देश के सभी भागों से तार तथा सन्देश प्राप्त हुए हैं। उन में सरकार से तथा संसद् से मांग की गई है कि सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया जाये।

मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस मांग को पूरा किया जायेगा। मुझे पता चला है कि सिंधी भाषी लोगों की संख्या 15 लाख के लगभग है। इस बारे में मैं ने जून, 1962 में भी एक विधेयक रखा था। सरकार को इस मांग को स्वीकार करना चाहिए और इस विधेयक को पारित करना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Sindhi language is an ancient language. We have recognised Sánskrit, which is not spoken in any part of India and it is spoken by a few people throughout the country. It does not therefore seem logical that we should not recognise Sindhi since it is not spoken in any particular state. If Sanskrit is given recognition similarly Sindhi should also be recognised.

Some people do not recognise the partition of country. It is a political partition and a time can come when India and Sindh can be politically one.

Sindhi has hitherto been written in Arabic script. It is my suggestion that while recognising the Sindhi language, we should adopt Devnagari as script for Sindhi. In that case those not knowing Arabic script will also be able to follow Sindhi literature.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य): सभापति महोदय, मैं श्री त्रिवेदी के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं। इसका अभिप्राय केवल उस गलती को दूर करने का है, जो हमने सिंधी भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल न कर के की है। साहित्य अकादमी और आकाशवाणी ने पहले ही सिंधी भाषा को सीमित मान्यता दे रखी है। यह भाषा हमारी संस्कृति का एक अंग है। भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि संविधान में सिंधी भाषा को शामिल न किये जाने के कारण भारत की सिंधी जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भारत के राज्यों में सरकारी स्तर पर सिंधी भाषा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सिंधी भाषा, को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आयुक्त ने यह विशिष्ट सिफारिश की है कि सिंधी भाषा की स्थिति को स्थायी बनाने के लिए सिंधी भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए। अतः इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में समाविष्ट किया जाना चाहिए।

Shri Shree Narain Das (Darbhanga): Sindhi is an ancient language and its literature is rich. Although Sindhi population is not concentrated in any one region, yet their demand to include Sindhi in the 8th Schedule of the Constitution is genuine. There is also a demand to include Bhojpuri and Maithili languages in the 8th Schedule of the Constitution. The Government should give a sympathetic consideration to all such demands and bring forward appropriate legislation to give a creditable place to these languages in the Constitution.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे वह आवश्यकता पूरी हो जायेगी जिसे हम बहुत समय से अनुभव

[डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

कर रहे हैं। सिंधी भाषा ऐसे लगभग 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है जो कि देश के बंटवारे के कारण विस्थापित हुए हैं। आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल करने की उनकी न्यायोचित मांग स्वीकार की जानी चाहिए। इस भाषा के लिए देवनागरी लिपि स्वीकार की जानी चाहिए। इससे देवनागरी लिपि जानने वाले लोगों के लिए यह भाषा सीखना सरल हो जायेगा।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने भी कहा है कि चूंकि इस भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है और इस भाषा के नष्ट हो जाने का भय है, इसलिए इस भाषा को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। देश की सांस्कृतिक एकता को बनाये रखने के लिए राजस्थानी, मैथिली तथा ऐसी ही अन्य भाषाओं को उचित मान्यता दी जानी चाहिए। इन भाषाओं को संविधान में शामिल करने के लिए सरकार को एक उचित विधेयक लाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा (आनन्द): श्रीमान्, मैं श्री त्रिवेदी के विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे राज्य गुजरात में विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र में सिंधी एक बोलचाल की भाषा है। सिंधी जनता की भाषा को मान्यता दी जानी चाहिए। यह उनकी उचित मांग है और इसको पूरा किया जाना चाहिए। सरकार को सभी भाषायी अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन देना चाहिए कि उनकी भाषाओं पर विचार किया जायगा। सिंधी लोगों को सिंधी भाषा के लिए देवनागरी लिपि स्वीकार करनी चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहजी (कच्छ): सभापति महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि सिंधी भाषा को जो कि एक प्राचीन भाषा है और इस देश की विरासत का भाग है, आठवीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। सिंधी भाषा केवल सिंध में ही नहीं बोली जाती है बल्कि पड़ौसी क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। अतः इसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। उन लोगों की भाषा को, जो इस देश का एक अंग है संविधान में अवश्य ही उचित स्थान मिलना चाहिए ताकि उनकी संतति उसे सीख सके और उनकी संस्कृति बनी रहे। सिंधी साहित्य को परिरक्षण के लिए भी ऐसा करना आवश्यक है।

श्री नि० चं० चटर्जी (वर्दबान): श्रीमान्, अनुच्छेद 344 में न केवल सिंधी भाषा के विकास के लिए बल्कि सभी प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए संसदीय आयोग नियुक्त करने का उपबन्ध है। सिंधी भाषा को आठवीं अनसूची में समाविष्ट किया जाना चाहिए। ताकि संसदीय आयोग अथवा सांवैधानिक समिति भो इस भाषा के विकास पर विचार कर सके। अनुच्छेद 351 को ध्यान में रखते हुए उसके विकास के लिए भी उसका संविधान में शामिल किया जाना आवश्यक है।

सिंधी लोग भारत की स्वतन्त्रता के बाद उत्पात के शिकार हुए थे। न्याय दृष्टि से तथा सांवैधानिक नैतिकता, देश भक्ति और प्राचीन संस्कृति को देखते हुए सिंधी भाषा को संविधान में मान्यता दी जानी चाहिए।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): श्रीमन्, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जायेगा। समृद्ध सिंधी साहित्य हमारे राष्ट्र को विरासत का एक भाग है। सिंधी लोग सार्व-भौमि दृष्टिकोण के होते हुए भी भारतीय हैं। वे उद्यमी हैं। उनकी भाषा एक मिली जुली और समृद्ध भाषा है और उसको उचित मान्यता दी जानी चाहिए।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : श्रीमन्, विभाजन के कारण सिंधी लोग बेघर हो गये थे। विभाजन के समय एक गलती यह की गई थी कि विभाजन के लिए अपनी सहमति देने से पहले इन बेघर लोगों की भाषा और संस्कृति के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गया। उस अन्याय की क्षतिपूर्ति के लिए हमें सिंधी भाषा को अन्य भाषाओं के साथ आठवीं अनुसूची में स्थान दिलवाने के लिए अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए और उसके विकास के लिए सभी सुविधाएं देनी चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, while displacing English language from its position in our country encouragement should be given to the development of all the languages including Sindhi. Sindhi should be included in the 8th Schedule of the Constitution. We should be sympathetic towards Sindhi, Punjabi, Bengla and Urdu languages. This will go a long way in bringing about the unification of our country which has been dissected. This Bill should be passed.

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : सभापति महोदय, आशा है कि सभा की भावना को देखते हुए सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करेगी ताकि सिंधी भाषा को देश की अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के बराबर का दर्जा मिल जाये। सिंधी अत्यन्त प्राचीन भाषा है। इसक शब्द भण्डार बड़ा समृद्ध है अनुच्छेद 351 में निर्दिष्ट है कि हिन्दी को अन्य राष्ट्रीय भाषाओं से शब्द तथा वाक्यांशों को लेकर समृद्ध बनाया जाना चाहिए। जिस से इस देश की संशिलष्ट संस्कृति की अभिव्यक्ति हो सके। इस उद्देश्य से सिंधी सर्वाधिक उपयुक्त है।

यह सोचना गलत है कि आठवीं अनुसूची में एक या दो भाषाओं को शामिल करने से हम देश में विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा देंगे। बल्कि वास्तवकिता इससे भिन्न है। दूसरी भाषाएं भी हैं, जो पर्याप्त विकसित हैं, तथा काफी लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। उन भाषाओं को भी उचित मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए कि सिंधी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाये। लिपि के प्रयोग का प्रश्न लोगों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये।

सरकार को यह देखने का यथार्थ प्रयत्न करना चाहिए कि जो आर्य भाषाएं देवनागरी में लिखी जा सकती हैं उनको ही पहले इस लिपि के अधीन लाया जाये। तदनन्तर दूसरी भाषाओ को, यदि आवश्यक हो तो लिपि में सुधार करके उसके आधीन लाया जाये।

गह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सरकार का रवैया शुरू से ही इस मांग के प्रति सहानुभूति का रहा है कि सिंधी को भारत की अन्य भाषाओं केसाथ बराबर का दर्जा दिया जाये। यद्यपि सिंधी को हमारे संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तथापि सरकार सिंधी को देश की एक राष्ट्र भाषा ही मानती रही है।

इसे साहित्य अकादमी ने देश की प्रमुख भाषा माना है। नैशनल बैंक ट्रस्ट ने भी इसी प्रकार इसे मान्यता दी है तथा सिंधी पुस्तकों को राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्रदान किये गये हैं। आकाशवाणी से इस भाषा में प्रसारण होता है तथा इस भाषा को अब केवल कानूनी एवं संवैधानिक मान्यता देना ही शेष है।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने अपने छठे प्रतिवेदन में सिंधी को सांविधान की आठवीं अनुसूची में समाविष्ट करने की विशेष रूप से सिफारिश की है।

इसे तथा देश की सामान्य भावना को देखते हुए, इसे केवल कानूनी और संवैधानिक मान्यता देने की बात रह जाती है। अब, सरकार ने संविधान में संशोधन करने के लिए तथा संविधान की

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल करने के लिए संसद् के चालू अधिवेशन में विधेयक पुर: स्थापित करने का निश्चय किया गया है ।

श्री उ० म० त्रिवेदी : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Bill was, by leave, withdrawn.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 314 का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of Article 314)

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I beg to move that the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration. This Bill aims at the omission of Article 314 under which special protection has been given to the I.C.S. officers.

(**श्रीमती रेणका राय** पीठासीन हुईं ।)
(**Shrimati Renuka Ray** in the Chair)

There is a history behind it. The British were ruling this country from a distance of 4000 miles. They needed a cadre of such administrators who would enable them to rule over India. These very I.C.S. officers are responsible for committing repression and atrocities during our struggle for freedom. They wanted to prolong the British rule. They were cruel to the national leaders. Why the members of this cadre have been given special protection in the Constitution.

Now our country is independent. The conditions have changed. No special protection should be given to the I.C.S. officers who wanted to perpetuate our slavery. I therefore submit that Article 314, which is a blot on the Constitution should be omitted. In my opinion after independence Government itself should have brought such a bill before the House. But Government have failed to do so even after passing 18-19 years of independence. I want that all the guarantees given in Constitution to the I.C.S. cadre should be withdrawn, because these guarantees were given in an atmosphere of suspense which was prevailing in pre-independence period. At that time all the I.C.S. officers were afraid of being removed from their offices for their stern administrative measures taken against freedom-fighters and others. Now that period of suspence or fear exists no more, so they do not require those guarantees. At present there should not be any kind of classification between I.C.S. and I.A.S. officers. Both these classes should be treated alike. Government have itself created a similar cadre of I.A.S. officers. At the time of independence Pakistan has also given such guarantees to such officers but they were withdrawn later on and they were not mentioned the Constitution of Pakistan. We do not find such instances of discrimination in the officers

of the same cadre. I therefore think that for a better administration of free India the protection guaranteed under Article 314 should be removed. It will add to the dignity and prestige of our independent country and will encourage the officers of I.A.S. cadre. With these words I beg to move this Bill.

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द): प्रस्तुत विधेयक का ध्येय यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और पश्चात् सिविल सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों के बीच विद्यमान सेवा की शर्तों और वेतन सम्बन्धी भेद-भाव को समाप्त किया जाय। सरदार पटेल ने भी यह अनुभव किया था कि आई० सी० एस० अधिकारियों को स्वतंत्र भारत के प्रशासन से पृथक नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि प्रशासन के लिये उनको सेवाओं में बनाये रखना जरूरी है। इसी बात को विचारते हुये उन्हें कुछ संरक्षण दिये गये थे। जिनका संविधान में उल्लेख है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वे ब्रिटेन की सरकार के नौकर थे परन्तु अब वे भारत सरकार के नौकर हैं, भारत के नागरिक हैं और भारत के प्रशासन को सुचारु रूप से चला रहे हैं। अतः संविधान द्वारा दी गयी सभी सुविधाओं को उन से छीन लेना वांछनीय नहीं है। दूसरे, अब ऐसे अधिकारी प्रशासन में बहुत कम हैं और कुछ वर्षों बाद उन में से एक भी प्रशासन में नहीं रहेगा तथा भविष्य में सभी भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी प्रशासन चलायेंगे। अतः मैं चाहता हूं कि जो संरक्षण आई० सी० एस० अधिकारियों को दिये हुये हैं, उन्हें तब तक बना रहने दिया जाये जब तक कि ऐसे अधिकारी भारत सरकार की सेवा में रहें। इसी आधार पर मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri Shree Narain Das (Darbhanga): I appreciate the feelings of the mover of the Bill. Nobody would like to have Article 314 in our Constitution because it reminds us of the Crown and Council of States and through these officers the British Rulers have tried to put down our movements for independence. But in our case it is a peaceful transfer of power. There has not been any blood-shed for achieving independence in India. While handing over power to us Britishers desired for such an agreement as has been provided under Article 314 of the Constitution. Once we have given some guarantees or safeguards to I.C.S. officers we should not withdraw them in view of the fact that they are running the administration to the best of their ability; they are only 162 in number and they all will retire from services by 1979. Now I request hon. Member not to press upon the Bill seeking the amendment of the Constitution.

Shri Sheo Narain (Bansi): Article 314 of the Constitution contains the words "the Secretary of State or Secretary of State in Council". It is a curse for our country that being independent we owe to British Crown. In fact these I.C.S. officers are not loyal to the Government. Being in Government service they have made arrangement for themselves in private firms. They are not honest, they are not fulfiling their duties faithfully. They are devoid of patriotic feelings. They are hurdles in the way of development us the way of Hindi language and in the way of unity of the country. So it is our duty to correct the wrong doings of our ancestors. We should amend the Constitution for removing the protection guaranteed to I.C.S. officers. Thus I support the Bill.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं विश्वनाथ पाण्डेय द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन पूर्णतः करता हूं। कुछ व्यक्ति आई० सी० एस० अधिकारियों को दिये गये संरक्षणों को यह कहकर

[श्री दी० चं० शर्मा]

समाप्त नहीं करने देना चाहते। कि वे संवैधानिक संरक्षण हैं जिनका हमें आदर करना चाहिये। परन्तु संवैधानिक संरक्षण किसी विशेष समय और स्थान के लिये हुआ करती हैं। समय और स्थान में परिवर्तन आ जाने पर वे भी बदल जाती हैं। अब चूंकि वह स्थिति बदल गई है जब कि संरक्षण दिये गये थे इसलिये संवैधानिक संरक्षण भी बदले जाने चाहिएं। यह भी कहा जाता है कि वे बड़े चतुर राजनीतिज्ञ और उन के बिना भारत का प्रशासन नहीं चल सकेगा। ये ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति में रोड़ा अटकाया था। उन्हें तो राजनैतिज्ञ प्रतिक्रियावादियों की संज्ञा दी जा सकती है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के भूत के समान हैं। आप इन भूतों को अपने सर पर 13 वर्ष अर्थात् 1979 तक क्यों सवार रखना चाहते हैं। ब्रिटिश सामराज्य के इन चिह्नों को जितना शीघ्र हो समाप्त कर देना चाहिए। वे हमें दास भारत की याद दिलाते हैं स्वतंत्र भारत की नहीं। वे भारत में रहते हुये भी भारतीय नहीं हैं। उन में से अधिकतर पाश्चात्य जीवन व्यतीत करना चाहते हैं।

उन्हें पेंशन भी इतनी अधिक दी जाती है जो स्वतंत्र भारत पर अतिरिक्त भार है। उन्हें कुछ वर्ष की सेवा के बाद दो या तीन महीने की छुट्टी दी जाती है। वास्तव में यह छुट्टी उन्हें अंग्रेजी काल में इंगलैंड जाने के लिये दी जाती थी। परन्तु भारतीय अधिकारी तो अब इंगलैंड नहीं जाते। आप विदेशियों की प्रतिमाएं हटा रहे हैं किन्तु विदेशियों की इन जिन्दी प्रतिमाओं को आप क्यों नहीं हटा रहे हैं।

भारतीय प्रशासन सेवा में हमें दो स्तर नहीं रखने चाहियें—एक आई० सी० एस० अधिकारियों के लिये और दूसरा भारतीय प्रशासन सेवा के लिये। दोनों में समानता होनी चाहिए। दोनों का वेतन, कार्य, छुट्टियां तथा अन्य सुविधाएं समान होनी चाहिएं। अतः या तो उन अधिकारियों को दी गयी विशेष सुविधाओं को समाप्त किया जाय या उन्हें उन शर्तों पर काम करने के लिये कहा जाय जिन पर भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी कार्य कर रहे हैं या भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को वे सब सुविधाएं प्राप्त होनी चाहियें जो आई० सी० एस० अधिकारियों को मिली हुयी हैं। मैं दोनों वर्गों के बीच विद्यमान असमानता का विरोध करता हूं और इसी आधार पर उक्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar): Mr. Chairman, in my opinion the officers in Civil Service should congratulate the mover of this Bill, because it has provided an opportunity to discuss the role of I.C.S. officers. Though it is a matter of regret that the people who are totally westernized, who ruled under British empire, are still holding the reins of free India. But we should respect our elders who have given these guarantees. We should respect our constitutional provisions. Moreover, we require their services and they are doing to the best of their ability. Coming generations will take advantage of their experience.

Shri Bade (Khargone): I support the Bill put forward by Shri Pandey. I appreciate the role of I.C.S. officers, they played in transitional period. They guided some Ministers and helped them to run properly the administration in newly independent country. They are well-educated and efficient in their work. But all are not good. Some of them understand themselves as super-human beings and hate Indian people. They least care for their nationality. What I want is that there should not be discrimination between I.C.S. and

I.A.S. cadres. The existing difference should be removed and both cadres should be treated alike. On this basis I support the Bill.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : यह चर्चा कुछ भावुकता की ओर झुक गयी है । आई सी० एस० अधिकारियों के प्रति हमारी जो धारणाएं पिछले बीस वर्षों से बनी चली आ रही है उसे बदलना बहुत कठिन है । सिविल सेवा की एक परम्परा होती है कि वह जो भी सरकार आती है उसकी निष्ठा से सेवा करती है । लोकतंत्रीय व्यवस्था में तो इसका और भी अधिक महत्व है । वे तो वर्तमान सरकार की सेवा करते हैं । यह कहना कि आई० सी० एस० अधिकारियों ने स्वतंत्रता का विरोध किया था, ठीक नहीं है । स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारियों ने भारत में अपनी परम्परा को पूर्णतः निभाया है । गत बीस वर्षों में उन्होंने सरकार की सभी नीतियों का भली-भांति अनुसरण किया है । अच्छा होता यदि वर्तमान चर्चा का विषय प्रशासनिक दक्षता होती । इन अधिकारिषों के वेतन, छुट्टियों, उन के भर्ती के तरीके या उन के काम करने के ढंग के बारे में बारे में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है । यह कार्य तो प्रशासनिक सुधार आयोग के लिये छोड़ देना चाहिए । जो व्यक्ति इस विषेय पर चर्चा करना चाहते हैं वे उक्त आयोग के साम ने गवाही दे सकते हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

वैसे सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार के संवैधानिक संरक्षण नहीं दिये जाने चाहिएं । यह सब तो उनकी कार्य-कुशलता, इमानदारी आदि निर्भर होता है । किसी व्यक्ति का किसी सेवा में बने रहना तो इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार देश और जनता के लिये उसकी क्या उपयोगिता है । अतः मैं उक्त विधेयक के पास किये जाने के पक्ष में नहीं हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : आई० सी० एस० अधिकारियों की कार्य-कुशलता के आधार पर हमें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए । यदि वे ब्रिटिश सरकार के आदेशों का शीघ्रता से पालन करते थे तो वे अब भारत सरकार के आदेशों का पालन उसी तीव्रता से करते हैं, फिर उनके प्रति इर्ष्या क्यों रखी जाय । दूसरे हमने जो संरक्षण उन्हें एक बार दे दिये उनका इमानदारी और निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिये वर्ना उन आश्वासनों और संरक्षणों का कोई मूल्य नहीं रह जाता । अतः मैं चाहता हूं कि यह बिल वापस ले लिया जाय ।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं विश्वनाथ पाण्डेय की उस भावना का विरोध नहीं करता हूं जिससे उन्होंने यह विधेयक तेश किया है । उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि वर्तमान असमानता को दूर करने के लिये संविधान में संशोधन किया जाय क्योंकि सरकारी नौकरी के मामले में सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं । परन्तु इस अनुच्छेद की एतिहासिक महत्ता है और इस अनुच्छद को काफी सोच विचार के बाद संविधान में लाया गया था ।

व्यक्तिगत आई०सी०एस० अधिकारियों के गुण-दोषों की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में केवल यही कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों ने जितना अच्छा कार्य स्वतंत्रता से पूर्व किया था उतना ही अच्छा कार्य, उसी लगन और इमानदारी से वे अब भी कर रह हैं । यदि उनमें से कोई एक-आध अधिकारी ठीक नहीं है तो इस आधार पर सब को तो बदनाम नहीं किया जा सकता । इनमें से कुछ ने तो वास्तव में बड़ा सराहनीय कार्य किया है । जहां तक असमानता का सम्बन्ध है वह केवल सेवा की शर्तों तक ही सीमित हैं । हम उन आश्वासनों को पूरा करना चाहिये जो उन्हें एक बार दे दिये गये हैं । दूसरे यह संरक्षण केवल 1979 तक ही चलेगा । इसलिये केवल 13 वर्षों के लिये संविधान में संशोधन करना शोभा नहीं देता । अतः मैं माननीय सदस्य श्री पाण्डेय से यह निवेदन करता हूं कि वह उक्त विधेयक को वापिस ले लें ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): Some of the Members supported the Bill moved by me and some including the Minister have appreciated the spirit behind it. I do not want to say that all the I.C.S. officers before independence were not good or they are not good at present. But when Constitution provides equal opportunity in matters of Government employment to all citizens. It also provides for equal pay for equal work to all. Viewing this provision there should not be such disparity anywhere in the Constitution as has been provided under Article 214. It gives protection to them even in cases of corruption or indiscipline. On these grounds, I wanted the removal of this provision from the Constitution. Now, on request of the Minister I seek your permission to withdraw the Bill.

Mr. Speaker: You may withdraw the Bill.

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।
The Bill was, by leave, withdrawn.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

श्री मलाईछामी (पेरियाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

मैं यह संशोधन इस उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि मतदाता सूचियां पूर्ण और ठीक बनाई जा सकें और चुनाव जहां तक सम्भव हो निष्पक्ष और सुचारू रूप से हो सके । मूल अधिनियम में यह व्यवस्था है कि मतदाता सूचियां सरकार द्वारा तैयार की जायेगी, परन्तु जब सरकार इस स्थिति में न हो कि वह मतदाता सूची तैयार कर सके तो उस हालत में क्या होगा इस बारे में मूल अधिनियम में कुछ भी नहीं कहा गया है । मैंने जो संशोधन पेश किया है उसके अधीन लोगों को यह सुविधा मिल सकेगी कि वे अपने आप को मतदाताओं की सूची में दर्ज करा सकेंगे । निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदनों से भी यह मालूम होता है कि मतदाता सूचियों में सभी मतदाताओं के नाम नहीं आ पाते अर्थात वे अपूर्ण रह जाती हैं । इसी कमी को पूरा करने के लिये मैंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 में यह संशोधन पेश किया है कि जिस वर्ष सरकार मतदाता सूची को दुबारा ठीक न करे, उस वर्ष उन व्यक्तियों से जो मतदाता सूची मे अपना नाम देना चाहें, एक निश्चित अवधि के दौरान इसके लिये आवेदन पत्र मांगे जांयें ।

मेरा दूसरा संशोधन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के सम्बन्ध में है जिसमें चुनाव के दौरान भ्रष्ट आचरण के बारे में उल्लेख है । उसमें कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार चुनाव में जीतने के लिये किसी सरकारी कर्मचारी की अनुचित सहायता लेने का प्रयास करे, तो उसको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना जाय । इसी आधार पर चुनाव याचिकाएं दायर की जाती हैं जिनमें सरकारी कर्मचारियों पर निराधार और अस्पष्ट आरोप लगाये जाते हैं । जिनसे सरकारी कर्मचारियों को बेकार ही परेशानियों, कठिनाइयों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । वास्तव में अधिकतर सरकारी कर्मचारी चुनाव के दौरान ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करते हैं और चुनाव की सफलता बहुत हद तक इन सरकारी अधिकारियों के निष्पक्ष व्यवहार पर ही निर्भर होती है । इसके विपरीत चुनाव में असफल व्यक्ति इन पर ऐसे झूठे आरोप लगाकर चुनाव-याचिका दायर कर देते हैं कि मतों के गिनने या छांटने में पक्षपात किया गया है । इन याचिकाओं को दायर करने का उद्देश्य ही यह होता है कि चुनाव में सफल उम्मीदवार और सरकारी कर्मचारियों को फिजूल में ही परेशान किया जाय ।

अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, की धारा 123 में मैं यह संशोधन करना चाहता हूं कि चुनाव-काल में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध ऐसे आरोपों को लगाना, जिन्हें न्यायालय में सिद्ध न किया जा सके, भी भ्रष्ट आचरण माना जाय। यदि उक्त अधिनियम में ऐसी व्यवस्था होगी तो सरकारी कर्मचारियों और चुनाव मे सफल उम्मीदवार को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा और साथ ही ऐसे झूठे आरोप लगाने वालों को दंडित भी किया जा सकेगा। इन शब्दों के साथ ही मैं उक्त विधेयक को विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Bade: I oppose the Bill on the grounds that the proposed amendments are not necessary. The original Act says that the electoral roll shall be revised in every subsequent year in the prescribed manner, but it is also provided that if for any reason electoral roll is not revised in any year, its validity will not be affected. In fact this latter provision should have been replaced by if the electoral roll is not revised or publicized and election takes place in accordance with such an unrevised electoral roll, that election should be declared void'.

There is no need of any amendment regarding corrupt practice, because one who files an election petition, has to submit a declaration to the effect that all that is stated in the petition is correct. Accordingly action can be taken against the petitioner on the basis of wrong affidavit. Thus there is no need of any such amendment as has been proposed by Shri M. Malaichami.

Moreover, there are many cases in which we found that officers on duty during elections are forced by the Government of Congress Party to favour the candidate of Congress Party in the election. Because of the fear of getting unemployed they favour Congress Party. In some cases Congress have distributed money to voters to fetch their votes. We have made all these allegations in our election petitions and we have proved them too. To sum up this amendment is brought with the intentions of shutting up our mouth and putting a kind of ban on filing election petitions. I, therefore, oppose this Bill.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga): The present bill was ballotted in 1964 and now in 1966 we have got an opportunity to consider it. During this period a bill further to amend, the Representation of the People Act was brought by Government which was referred to Select Committee. The Select Committee has submitted its report recommending various amendments to the same. The first amendment moved by Shri Malaichami has been covered by the recommendation of the Select Committee. The Committee has agreed to the fact that the electoral roll should be revised before every general election or by-election. If Election Commission is not in favour of revising the election roll, it will have to give reason for it in writing.

There is nothing wrong with the second amendment regarding corrupt practices. I agree with the proposed amendment that making allegations against Government officials in the discharge of their duties during the period of election, which are found to be false by a court of law, should be regarded as corrupt practice. In the end I would make an appeal to Shri Bade not to find fault with every thing unnecessarily. We should accept what is good.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Shri Bade has alleged that Congress party purchase the votes in election. But on the contrary it is Jan Sangh party, which is the richest party in India these days and which excites the communal feelings of the masses raising religious issues and it is against the spirit of the Constitution.

Mr. Speaker: Do you want to finish or continue your speech?

Shri Raghunath Singh: I will continue.

गो-बध पर रोक लगाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. BANNING OF COW SLAUGHTER

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): पिछले कई वर्षों से गो-बध पर रोक लगाने की मांग निरन्तर की जा रही है। सरकार गो-बध बन्द करने, कृषि और पशु-नस्ल सुधारने और गाय, बछड़ों और दुधारु पशुओं की अच्छी किस्मों के संरक्षण के लिये उचित कार्यवाही करने के प्रति पूर्णतया जागरुक है। हमारे संविधान अनुच्छेद 48 में राज्य के निदेशक सिद्धान्तों के अधीन यह उल्लेख है कि गाय तथा अन्य पशुओं की नसल सुधारी जाय, गो-बध बन्द किया जाय। यह निदेशक सिद्धान्त हमारे कृषि-प्रधान देश में पशुओं के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करता है।

संविधान लागू होने के बाद इस सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये कई राज्यों ने कानून बनाये। संसद् के गत अधिवेशन में 23 अगस्त, 1966 को श्री सुब्रह्मण्यम ने यह बताया था कि बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, मैसूर के पुराने मैसूर क्षेत्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और दिल्ली में गो-बध पर पूर्ण रोक लगी हुयी है जैसा कि उच्चत्तम न्यायालय ने व्याख्या की है। आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, असम, मद्रास, महाराष्ट्र के पुराने बम्बई क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में गो-वध पर आंशिक रूप से रोक लगायी गयी है। उन्होंने यह भी बताया था कि केन्द्रीय सरकार राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों के सन्दर्भ में सभी राज्य सरकारों का ध्यान इस आश्य का विधान बनाने की आवश्यकता की ओर दिलायेगी।

इस घोषणा के अनुसरण में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस आशय का एक पत्र लिखा था। मैं ने भी उन राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को, जहां प्रतिबन्ध आंशिक रूप में लगा हुआ है, और संघीय राज्य-क्षेत्रों की सरकारों को इस सम्बन्ध में 8 अक्तूबर, 1966 को एक पत्र लिखा था। हमने उन राज्य सरकारों से जहां अब इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, यह कहा है कि वे गायों, बछिया-बछड़ों, दूध देने वाले तथा दूध न देने वाले पशुओं के बध को रोकने के लिये कानून बनायें। जहां तक संघीय राज्य-क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वहां उपयुक्त विधान बनाने के लिये शीघ्र ही कदम उठाये जायेंगे।

Shri Bade (Khargaon): I would like to know whether the slaughter House in Hazaratpur near Agra is likely to be closed where machinery worth 32 crores of rupees have been installed?

Mr. Speaker: This question has no relevance with the statement.

श्री नन्दा : इस विषय पर नीति सम्बन्धी वक्तव्य मैंने दिया है । बूचड़खानों का अन्य उद्देश्यों के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है । जहां तक गोवध का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पहले ही रोक लगा दी है ।

Dr. Govind Das (Jabalpur): The hon. Home Minister has just now stated that they have written to the States to make laws for banning cows slaughter where it is still prevalent. I would like to know whether the Centre will do something in this regard if some States refused to make these laws? As it is also the last session of this Parliament. I would like to know whether Government are going to pass some laws or not in this regard?

Mr. Speaker: The hon. Minister has already stated that in regard to the Union Territories Centre will make necessary laws. In States where there is no ban, Centre will take necessary steps.

Shri Bagri (Hissar): I would like to have a classification from the hon. Home Minister whether Government is considering to release the Sadhus such as Swami Rameshwaranand who is also Member of Parliament and also to withdraw the cases against them.

Shri Nanda: They might have been released.

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor): I would like to know why the Centre is hesitating to make laws to ban cow slaughter instead of leaving this matter to the States. If there is a need to amend the Constitution it can be amended as it has already been amended twenty or twenty-one times. If ban is not imposed on the cow slaughter, I am sure this agitation will gather momentum and situation will become more serious.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): I would like to know from the Home Minister whether it will be applicable to slaughtering of useless and old cows and bulls also?

Shri Nanda: I have already stated that ban will be imposed according to the provisions of the Constitution. We have written to the States in this regard that where there is no such ban it should be imposed.

भविष्य में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्रों के स्थानों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: LOCATION OF FUTURE STEEL PLANTS

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : चौथी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उत्पादन के बारे में सरकार का विचार पहले तो वर्तमान इस्पात कारखानों का

[श्री त्रि० ना० सिंह]

विस्तार करने का है और फिर बोकारो में 17 लाख टन की क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने का विचार है । इस संयंत्र की क्षमता को बाद में बढ़ाया भी जा सकेगा । नये स्थानों पर प्रारम्भिक कार्य करने की भी व्यवस्था की गई है जिससे बाद में वहां पर पूरे संयंत्र स्थापित किये जा सकें ।

सरकार का मूल उद्देश्य राष्ट्रहित में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना, सभी क्षेत्रों के विकास के लिए उद्योगों को बांट कर लगाना ताकि समूचे देश में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकें । सरकार को आंध्र प्रदेश, मैसूर और मद्रास के लोगों की इस्पात कारखाने के प्रति इच्छाओं और आकांक्षाओं का पता है । वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में इस्पात कारखाने लगाये जायं जिससे कि वहां मिलने वाले लोह-अयस्क का प्रयोग किया जा सके । प्रधान मंत्री ने भारत में भविष्य में लगाये जाने वाले इस्पात कारखानों की स्थापना के प्रश्न के बारे में हैदराबाद में पहले ही बता दिया है ।

इस बात को महसूस किया जाना चाहिए कि भविष्य के इस्पात कारखानों के लिए स्थान निश्चित करने का मामला बहुत जटिल है इसमें आर्थिक, तकनीकी अन्य कई बातें अर्न्तग्रस्त हैं । मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि वे धैर्य से काम लें और सरकार को अवसर दें ताकि वह सभी पहलुओं पर निष्पक्ष तथा वास्तविक परन्तु सहानुभूति के साथ विचार कर सके । सरकार राष्ट्रहित में कार्य करते हुए लोगों के साथ पूरा न्याय करेगी ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मद्रास तथा मैसूर के लोगों की इस्पात कारखाने सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये क्या सरकार का विचार तकनीकी सार्थसंघ की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का है आंध्र प्रदेश के लोगों को आश्वासन देने के बारे में मंत्री महोदय ने कोई पेशकश नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जायेगा ।

श्री रंगा : क्या सरकार आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पर विश्वास रखेगी । क्या आंध्र के लोगों को तकनीकी सार्थसंघ की सिफारिशों को ईमानदारी से क्रियान्वित करने के बारे में कोई निश्चित आश्वासन दिया जायेगा अथवा नहीं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने जो कुछ कहा है उस से अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री रंगा : उन्होंने जो कुछ कहा हम उसकी व्याख्या के लिये कह सकते हैं परन्तु वह उसके लिए तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न की अनुमति दी थी परन्तु यदि वह कोई अन्य आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं .....

श्री रंगा : उन्होंने क्या आश्वासन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय सरकार द्वारा इतना कहा जा सकता है कि वह इस समय इससे अधिक आश्वासन देने को तैयार नहीं है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : किसी में विश्वास आदि का कोई प्रश्न नहीं है । हमारे उस राज के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं और हम उन से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं ।

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा): मंत्री महोदय के वक्तव्य से सरकार के इरादे का कुछ पता नहीं लगता। मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। इस वक्तव्य से स्थिति में सुधार नहीं होगा और आंध्र प्रदेश के लोगों में अधिक असंतोष फैलेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अपनी राय व्यक्त की है। कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा है।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : इस्पात कारखानों की स्थापना के बारे में क्या सरकार आर्थिक बातों अथवा इस विषय पर पड़ने वाले राजनैतिक दवाब को ध्यान में रख कर नीति बनाती है?

श्री त्रि० ना० सिंह : किसी दवाब का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कोल्ला वेंकैया (तेनालि) : तकनीकी सार्थसंघ का प्रतिवेदन जून, 1965 में प्रस्तुत किया गया था। हमारे बार-बार कहने पर भी सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया। पुलिस की गोली से लगभग 17 व्यक्ति मारे गये हैं और लगभग 40 व्यक्तियों को चोटें आई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उसका क्या उत्तर दे सकते हैं।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट किये जाने की मैं निन्दा करती हूं। परन्तु समस्त जिम्मेदारी आंध्र के लोगों पर नहीं डाली जा सकती। इस के लिए केन्द्र सरकार भी जिम्मेदार है। मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहती हूं कि क्या आंग्ल-अमरीकी सार्थसंघ की सिफारिश अथवा परामर्श एक तकनीकी परामर्श नहीं था? दूसरे जब संजीव रेड्डी मंत्री थे तो उन्होंने इस मामले के बारे में अपनी सिफारिश की थी क्या उस समय उन्होंने तकनीकी बातों के अतिरिक्त अन्य बातों को ध्यान में रखा था। तीसरे क्या हम यह समझ लें कि इस बारे में कोई निर्णय करने में सरकार को एक वर्ष लगेगा।

श्री त्रि० ना० सिंह : मैंने यह कभी नहीं कहा कि तकनीकी बातों को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। अन्य बहुत सी बातों को भी ध्यान में रखना होता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि सरकार निर्णय करने में और कितना समय लेगी।

श्री त्रि० ना० सिंह : हाल ही में हम उन वित्तीय तथा आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं सभा उससे अवगत है। इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही हमने कोई निर्णय करना है।

श्री राजाराम (कृष्णागिरी) : गत 15 वर्षों से सालेम में इस्पात कारखाना लगाने के लिये हमें आश्वासन दिया जा रहा है। दस्तूर समिति ने भी अपना प्रतिवेदन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसको मद्रास तथा मैसूर में भी दोहराया जाये?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करूंगा कि वे व्यौरे तथा अन्य पहलुओं में न जायें। जो वक्तव्य मैंने दिया है उसी से संतोष किया जाना चाहिए और मामले को जटिल नहीं बनाना चाहिये।

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जून, 1965 में सार्थसंघ ने अपना प्रतिवेदन दिया था। जुलाई में इसको मंत्रिमंडल के समक्ष पेश कर दिया गया था।

[श्री संजीव रेड्डी]

मंत्रिमंडल ने कुछ समय के लिए इस पर विचार किया था परन्तु कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पर विचार आगे के लिये स्थगित कर दिया गया था। जब मामूली सा अवसर भी मिलता है तो मुझ पर आक्षेप किया जाता है..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री रंगा : मैंने अब तक उन के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है (**अन्तर्बाधायें**)

श्री संजीव रेड्डी : मैं केवल अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। योजना आयोग से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिये इस प्रतिवेदन पर विचार स्थगित कर दिया गया था। उसी समय पाकिस्तान से युद्ध आरम्भ हो गया। युद्ध के समय ऐसे मामलों पर निर्णय नहीं किया जा सकता। जनवरी से परिवहन मंत्रालय में आ गया हूं।

श्री जोकिम आल्वा (कनारा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गोआ, मैसूर, मद्रास और उड़ीसा के खनिज संसाधनों को ध्यान में रखेगी ?

श्री म० ना० स्वामी (ओंगोल) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में वास्तव में कुछ भी नहीं कहा है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जब कभी भी आंध्र प्रदेश गये तो उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम में इस्पात का कारखाना स्थापित किया जायेगा। वर्तमान प्रधान मंत्री ने भी इसी प्रकार का वक्तव्य दिया था। गत दो तीन वर्षों से आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री भी विधान सभा में तथा उसके बाद विशाखापत्तनम इस्पात कारखाना लगाने की बात कह रहे हैं और इसके लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार को स्वर्गीय प्रधान मंत्री के वक्तव्यों तथा सार्थसंघ द्वारा की गई सिफारिशों का कोई आदर है और क्या इस आधार पर वह कोई निर्णय करने वाली है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा मैंने भी लगभग वही कुछ कहा था। मैं उस स्थिति पर अब भी कायम हूं। सारे क्षेत्रों के लोगों की इच्छाओं के लिए जो विभिन्न बातों के लिये कह रहे हैं हमारे दिल में बड़ा आदर है। हम उद्योगों को अलग-अलग स्थानों में स्थापित करने में विश्वास रखते हैं परन्तु जैसा माननीय मंत्री ने कहा इस समय हम बहुत कठिन आर्थिक समय से गुजर रहे हैं और इस समय हम कहीं भी पांचवां इस्पात कारखाना आरम्भ करने की स्थिति में नहीं हैं। योजना में कुछ सांकेतिक धन राशि रखी गई थी परन्तु अब योजना पर पुनः विचार किया जा रहा है। इसलिए इस समय हम कोई इस्पात कारखाना लगाने का वचन नहीं दे सकते। विभिन्न राज्यों द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं का हम आदर करते हैं और हम इस बात से भी सहमत हैं कि प्रत्येक राज्य में कोई महत्वपूर्ण उद्योग होना चाहिए जो उनके विकास करने में सहायक हो।

श्री पें० वैंकटासुब्बया (अडोनी) : इस बारे में जो हिंसा तथा गड़बड़ हुई है उसके लिए हमें खेद है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार को किसी दबाव के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए। आंध्र प्रदेश का मामला उचित है। आर्थिक समिति ने भी इसकी सिफारिश की है। ज़िम्मेदार नेताओं जैसा कि श्री त्रिवेदी और कृपलानी ने गम्भीर आरोप लगाये हैं कि इस गड़बड़ में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का भी हाथ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले को लम्बे समय के लिए स्थगित करने की बजाय सरकार इस बारे में शीघ्र कोई निर्णय करेगी जिसमें आंध्र के लोगों की विशाखापत्तनम में इस्पात कारखाना लगवाने संबंधी आकांक्षा पूरी हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस बारे में और क्या उत्तर दे सकते हैं ।

श्री वासप्पा (तिपतुर) : दस्तूर समिति तथा आंग्ल-अमरीकी सार्थसंघ ने हास्पेट के पक्ष में निर्णय दिया है । यदि विभिन्न समितियों की राय में कुछ भेद है तो उसके लिये एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण स्थापित किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है उस को देखते हुए क्या सरकार ने आंध्र के मुख्य मंत्री से कोई आश्वासन लिया है कि इस समय वहां जो गड़बड़ हो रही है वह जारी नहीं रहेगी ।

श्री त्रि० ना० सिंह : आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री स्वयं वहां पर शांति के लिए बड़े उत्सुक हैं । मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि वह सभी सम्भव कार्य कर रहे हैं कि ऐसी घटना पुनः न घटे ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या हास्पेट भारत में लोह-अयस्क में सब से समृद्ध स्थान नहीं है दूसरे क्या इस सार्थसंघ ने हास्पेट को अन्य स्थानों की उपेक्षा अधिक स्थान होने की सिफारिश नहीं की थी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जहां तक संसाधनों का सम्बन्ध है यह भू-सर्वेक्षण का मामला है ।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : परसों मद्रास विधान सभा में मद्रास के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सालेम में इस्पात कारखाना स्थापित किया जायेगा और कुछ समय पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस के अयध्क्ष ने भी ऐसा ही कहा था । मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है तो उसके प्रवक्ता ऐसे वक्तव्य क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विधान सभा में ही पूछा जा सकता है । मैं इसकी यहां अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : श्री संजीव रेड्डी के वक्तव्य को देखते हुए संसाधनों की उपलब्धता होने के बाद कारखाना स्थापित करने के बारे में सरकार को निर्णय करने में क्या कठिनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : सभी कठिनाइयों के बारे में बताया जा चुका है । मैं सभा को कल के लिए स्थगित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 7 नवम्बर, 1966/15 कार्तिक, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the 7th November, 1966/Kartika 15, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS III—2122 (Ai) LS—25-3-67—600